SANJAY KUMAR JHA
Digitally signed by SANJAY KUMAR JHA
Date: 2022.08.08 10:20:35 +05'30'

सत्यमेव जयते

तटीय पारितंत्रों के संरक्षण
पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2022 का प्रतिवेदन संख्या 4
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

तटीय पारितंत्रों के संरक्षण
पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

2022 का प्रतिवेदन संख्या 4

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषयसूची

	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	iii
	कार्यकारी सार	v
अध्याय 1	परिचय	1
अध्याय 2	संस्थागत रूपरेखा	9
अध्याय 3	सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत परियोजना का अनुमोदन	18
अध्याय 4	सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुमोदन के बाद अनुवीक्षण तथा प्रवर्तन	34
अध्याय 5	तटीय पारितंत्रों का संरक्षण	51
अध्याय 6	एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना	66
अध्याय 7	सतत विकास लक्ष्य	80
अध्याय 8	निष्कर्ष एवं अभ्युक्तियां	85
	अनुलग्नक	93
	संक्षेपाक्षर	143

प्रस्तावना

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 2015-20 की अवधि के लिए तटीय पारितंत्रों के संरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2015-20 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए और साथ ही वे जो पूर्व के वर्षों में पाए गए थे परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे; जहां आवश्यक था, वहां 2019-20 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

परिचय और पृष्ठभूमि

तटीय क्षेत्र भूमि और समुद्र के बीच एक अंतरफलक है जिसमें तटीय भूमि, अंतर्ज्वारीय क्षेत्र, तटीय पारितंत्र जिसमें नदियां, मुहाना, दलदल और आर्द्रभूमि शामिल हैं। भारत की तटरेखा लगभग 7516 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य भूभाग- लगभग 5422 किलोमीटर, लक्षद्वीप तट 132 किलोमीटर तक फैला हुआ है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा लगभग 1962 किलोमीटर है। तटीय क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की एक बहुत विस्तृत श्रृंखला से संपन्न है। तटीय जल के अलावा, तटीय पर्यावरण में पाए जाने वाले अन्य प्रमुख पारितंत्र मैंग्रोव; मूंगा चट्टान; समुद्री घास; मिट्टी के घर; मुहाना/बैकवाटर; लैगून; रेत के टीले आदि हैं। समुद्र तट एक ऐसी विशाल मानव आबादी की जीविका निर्वाह करने में सहायता करता है, जो समृद्ध तटीय और समुद्री संसाधनों पर निर्भर है। हालांकि, बढ़ती मानव आबादी, शहरीकरण और त्वरित विकास गतिविधियों ने भारत के नाजुक तटीय पारितंत्र पर अत्याधिक दबाव डाला है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) दो नोडल मंत्रालय हैं जो मुख्य रूप से तटीय और महासागर क्षेत्रों में काम करते हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने, सभी स्रोतों से प्रदूषण को नियंत्रित और कम करने और पर्यावरणीय आधार पर किसी भी औद्योगिक सुविधा की स्थापना और/या संचालन को निषेध या प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत करता है। सरकार ने तटीय क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 और 5 के तहत अधिसूचना जारी करी जिससे की तटीय पर्यावरण को विभिन्न मानवजनित गतिविधियों से बचाया जा सके। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (सी.आर.जेड.) 2019, जिसने 1991 और 2011 की अधिसूचनाओं को प्रतिस्थापित करा था, जिसे एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करना और एकीकृत तरीके से गतिविधियों का प्रबंधन करना है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन में जोखिमों को समझने के लिए किए गए पूर्व-लेखा परीक्षा अध्ययनों से पता चला है कि तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सी.आर.जेड. के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। विभिन्न डाटा स्रोतों से अवैध निर्माण गतिविधियों की घटनाएं (तटीय क्षेत्र का संकुचन होना), स्थानीय निकायों, उद्योगों और जलीय कृषि फार्मों से अपशिष्ट निर्वहन के मामले दर्ज किए गए हैं। तटीय पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों का मूल्यांकन करने के लिए तटीय राज्यों के साथ-साथ केंद्र द्वारा तटीय क्षेत्र विनियमन अधिसूचना 2011 के कार्यान्वयन का आकलन करना अनिवार्य था ।

साथ ही, सतत विकास लक्ष्यों के महत्व और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में देश की प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, हमने एस.डी.जी.-14 पानी के नीचे जीवन के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में योजना, कार्यान्वयन और वितरण तंत्र का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है ।

तदनुसार, हमने निम्नलिखित उद्देश्यों के तहत 'तटीय पारितंत्रों के संरक्षण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया:

1. यह जांच करना कि सी.आर.जेड. अधिसूचना 2019 के प्रावधानों के तहत सी.आर.जेड. क्षेत्रों में गतिविधियों को विनियमित करने के लिए केंद्र और राज्य में संस्थागत तंत्र मौजूद है अथवा नहीं।
2. यह जांच करना कि तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु क्या सरकार द्वारा दी गई सी.आर.जेड. अनुमोदन उचित प्रक्रिया के अनुसार है।
3. क्या अनुमोदन के बाद की निगरानी के साथ-साथ सी.आर.जेड. विनियमों को लागू करने से तटीय पारितंत्र की सुरक्षा हुई है।
4. यह जांच करना कि क्या एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.सी.जेड.एम.पी.) के तहत परियोजना विकास के उद्देश्य सफल रहे।
5. एस.डी.जी.-14 के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करना।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय 2: संस्थागत रूपरेखा

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने अनुशंसित सदस्यों के साथ एन.सी.जेड.एम.ए. को स्थायी निकाय के स्वरुप के बारे में अधिसूचित नहीं किया है। एन.सी.जेड.एम.ए. को कुछ वर्षों में पुनर्गठित किया जाता है और निर्धारित सदस्यता के अभाव में, यह संस्था स्थायी सदस्यों से रहित एक तदर्थ निकाय के रूप में कार्यरत है। इसके अलावा, एन.सी.जेड.एम.ए. की संरचना इन वर्षों में एक समान नहीं रही है, जो तटीय संरक्षण के मामलों के प्रति दृष्टिकोण की निरंतरता की कमी को प्रदर्शित करता है।

(पैरा 2.1 क)

ऐसे उदाहरण पाए गए जहां विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (ई.ए.सी.) ने मंजूरी दी, हालांकि परियोजना पर विचार-विमर्श के दौरान डोमेन विशेषज्ञ मौजूद नहीं थे। साथ ही, ऐसे मामले भी नोट किए गए जहां विचार-विमर्श के दौरान ई.ए.सी. के सदस्य कुल संख्या के आधे से भी कम थे क्योंकि ई.ए.सी. सदस्यों के लिए कोई निश्चित कोरम नहीं था।

(पैरा 2.1 ख)

कर्नाटक राज्य में एस.सी.जेड.एम.ए. का पुनर्गठन नहीं किया गया था और गोवा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में पुनर्गठन में विलंब हुआ था। एस.सी.जेड.एम.ए. ने कोरम की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना बैठकें कीं और संबंधित हितधारक निकायों के प्रतिनिधित्व की भी कमी थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में एस.सी.जेड.एम.ए. के पास अपने जनादेश का पालन करने के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति नहीं थी।

(पैरा 2.1 ग और घ)

तमिलनाडु के डी.एल.सी. में स्थानीय पारंपरिक समुदायों की भागीदारी का अभाव था। आंध्र प्रदेश में, मार्च 2021 तक सभी नौ तटीय जिलों में डी.एल.सी. की स्थापना नहीं की गई थी। गोवा में, सी.आर.जेड. अधिसूचना की घोषणा के छह साल के विलंब के पश्चात् 2017 में डी.एल.सी. का गठन किया गया था। मार्च 2021 तक कर्नाटक के दो तटीय जिलों में डी.एल.सी. का पुनर्गठन किया जाना शेष है।

(पैरा 2.1 ड.)

एन.सी.जेड.एम.ए. से संबंधित जानकारी जैसे कार्यसूची टिप्पणियाँ, बैठकों के कार्यवृत्त को प्रसारित करने के लिये किसी भी सक्रिय और कार्यात्मक वेबसाइट की अनुपस्थिति संस्थान की अनिवार्य जिम्मेदारियों के विरूद्ध थी।

(पैरा 2.3)

अध्याय 3: सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत परियोजनाओं का अनुमोदन

परियोजनाओं को ई.आई.ए. प्रतिवेदनों में अपर्याप्तता के बावजूद अनुमोदित किया जाना जिसमें ई.आई.ए. प्रतिवेदन तैयार करने में शामिल सलाहकार की गैर-मान्यता, पुराने बेसलाइन डाटा का उपयोग, परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का गैर-मूल्यांकन, जिन आपदाओं के प्रति परियोजना क्षेत्र प्रवण था, उनका उल्लेख नहीं किया जाना शामिल था।

(पैरा 3.1)

शमन योजनाओं का हिस्सा बनने वाली गतिविधियां जैसे मैंग्रोव संरक्षण/पुनःवृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण योजना, वर्षा जल संचयन योजना को पर्यावरण प्रबंधन योजनाओ में शामिल किए जाने में विफल रहा क्योंकि इसे परियोजना प्रस्तावक (पी.पी.) पर छोड़ दिया गया था।

(पैरा 3.2)

ऐसी परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया जहां एम.ओ.ई.एफ .एवं सी.सी. निजी सलाहकारों द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता को सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र प्रयास करने में विफल रहा और परियोजना गतिविधियों के कारण संभावित पारिस्थितिक जोखिमों के संबंध में केवल परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर आश्रित था।

(पैरा 3.4)

ऐसे उदाहरण पाए गए जहां एस.सी.जेड.एम.ए. ने अनुमोदन देने वाले प्राधिकारी वर्ग की शक्तियों को छीन लिया और स्वत: परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, ऐसी परियोजनाओं के अनुमोदन के मामले थे जहां एस.सी.जेड.एम.ए. ने अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना परियोजनाओं की सिफारिश की।

(पैरा 3.7)

विशिष्ट परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए सी.आर.जेड. अधिसूचना के संशोधन ने तटीय पारितंत्र के संरक्षण के प्रयासों को विफल कर दिया था।

(पैरा 3.8)

ऐसे मामले पाए गए जहां परियोजनाओं को ई.आई.ए. की बहुस्तरीय प्रक्रिया से गुजरे बिना अनुमोदित किया गया क्योंकि प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाएं व्यापक रुप से ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के तहत शामिल नहीं हैं।

(पैरा 3.9)

अध्याय 4: सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुमोदन के उपरांत अनुवीक्षण और प्रवर्तन

ऐसे मामले पाए गए जहां परियोजना प्रस्तावक अनुमोदन लेने में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा एवं एम.ओ.ई.एफ .एवं सी.सी. के क्षेत्रीय कार्यालयों को अनिवार्य अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे मामले भी पाए गए थे जहां संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई सी.टी.ई. या सी.टी.ओ. प्राप्त किए बिना परियोजनाएं शुरू हुईं।

(पैरा 4.1)

एस.सी.जेड.एम.ए. और डी.एल.सी. द्वारा सी.आर.जेड. प्रावधानों के प्रवर्तन की समीक्षा की गई और ऐसे उदाहरण पाए गए जहां एस.सी.जेड.एम.ए., सी.आर.जेड. उल्लंघनों के प्रति कार्रवाई करने में विफल रहे और डी.एल.सी. भी उल्लंघनों की पहचान करने और एस.सी.जेड.एम.ए. को इसको प्रतिवेदित करने में विफल रहे थे।

(पैरा 4.2)

अध्याय 5: तटीय पारितंत्र का संरक्षण

मन्नार द्वीप समूह की खाड़ी में जीवित प्रवाल आवरण की गंभीर कमी और गिरावट के बावजूद, तमिलनाडु के वन विभाग द्वारा आक्रमणशील प्रजातियों की वृद्धि को कम करने के लिए कोई व्यवहार्य कार्यनीति तैयार नहीं की गई। गोवा में प्रवाल भित्तियों के लिए निगरानी प्रणाली की अनुपस्थिति और कछुओं की नेस्टिंग साईट के लिए प्रबंधन योजना तैयार न करने जैसे मामले पाए गए। ऐसे उदाहरण पाए गए जहां गोवा में तटीय रेत के टीलों के क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास जैसी निषिद्ध गतिविधियां पाई गई थीं। गोवा और गुजरात में मैंग्रोव के संरक्षण के प्रयासों में अंतराल पाया गया। ऐसे उदाहरण पाए गए जहां सीवेज उपचार

संयंत्र या तो पूरी तरह से अनुपस्थित थे या बिना किसी निगरानी के सक्रिय थे जिससे तटीय जल में हानिकारक अपशिष्टों का निर्वहन हुआ।

(पैरा 5.1 और 5.2)

अध्याय 6: एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना

हालांकि खतरा रेखा के मानचित्रण का पूरा काम अगस्त 2018 में पूरा कर लिया गया था, लेकिन एम.ओ.ई.एफ .एवं सी.सी. द्वारा अभी तक खतरा रेखा का आधारचिन्ह नहीं किया गया था। तटीय राज्यों द्वारा अहम रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों (सी.वी.सी.ए.) के लिए एकीकृत प्रबंधन योजनाएं (आई.एम.पी.एस.) अभी तैयार की जानी थी।

(पैरा 6.1)

गुजरात के मांडवी और जामनगर में समुद्री फील्ड स्टेशनों में, यह पाया गया कि इन दोनों स्थानों पर परियोजना के तहत स्थापित 40 उपकरणों में से 33 उपकरण केवल जाँच और अंशांकन के लिए संचालित किए गए और कभी भी इच्छित उद्देश्य अर्थात कच्छ की खाड़ी के अंतर्ज्वारीय क्षेत्र की मिट्टी और पानी के भौतिक रासायनिक पैरामीटर का अध्ययन करने के लिए उपयोग नहीं किए गए थे।

(पैरा 6.2)

ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओ.एस.पी.सी.बी.) में अपर्याप्त क्षमता निर्माण उपायों को पाया गया क्योंकि नमूनों के संग्रहण और विश्लेषण के लिए निर्धारित लक्ष्यों में 33 प्रतिशत से लेकर 59 प्रतिशत तक की अत्याधिक कमी थी। इसके अलावा, केंद्र आवश्यक श्रमशक्ति के 55 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप नमूनों के विश्लेषण के लिए क्रय किए गए उपकरणों का संचालन नहीं हो रहा था।

(पैरा 6.3.2)

हमने पाया कि ₹ 6.23 करोड़ की राशि का व्यय करने के पश्चात् भी, गहिरमाथा अभ्यारण्य में प्रभावी समुद्री गश्त का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। 2016 में निर्मित ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के दंगमल में एक शोध प्रयोगशाला को आज तक शूरू नहीं किया जा सका है। हमने ओडिशा के गोपालपुर में मछलियों को स्वच्छता से सुखाने से संबंधित गतिविधि के तहत बनाए गए आधारभूत संरचना के निष्क्रिय होने का अवलोकन किया, जिस पर आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत सुविधाओं के निर्माण हेतू ₹ 6.72 करोड़ का व्यय किए जाने के बावजूद समुदाय को आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए सौर ड्रायर को पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका।

(पैरा 6.3.3 और 6.3.4)

अध्याय 7: सतत विकास लक्ष्य

लेखापरीक्षा ने हितधारक मानचित्र की जांच की और यह पाया कि कुछ महत्वपूर्ण हितधारक संगठन जैसे भारतीय तटरक्षक और पत्तपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय मानचित्र में शामिल नहीं थे। हमने यह पाया कि संकेतक एस.डी.जी. लक्ष्य को समग्र रूप से संबोधित नहीं करते हैं और वैश्विक संकेतकों के अनुरूप नहीं हैं, क्योंकि संकेतक अनिवार्य रूप से केवल मैंग्रोव पारितंत्र के प्रबंधन के लिए विकसित कार्यक्रमों के आउटपुट को मापता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित गतिविधियों की सूची में उप-संकेतक और जैव विविधता, मत्स्य पालन सूचकांक आदि का भी गठन होना चाहिए एंव लक्ष्य के लिए आदर्श रूप से आउटपुट संकेतक का गठन किया जाना चाहिए। हमने यह पाया कि महाराष्ट्र और केरल राज्यों द्वारा राज्य संकेतक रूपरेखा तैयार नहीं की गई थी। यह पाया गया कि गुजरात के अपवाद के साथ, अन्य सभी तटीय राज्यों ने राज्य विशिष्ट पर्यावरणीय पहलुओं के अनुरुप बनाये बिना एम.ओ.एस.पी.आई. द्वारा विकसित राष्ट्रीय संकेतकों को अपनाया था। साथ ही, उन राज्यों में जहां एस.आई.एफ. तैयार किए गए थे, जिला स्तर पर आगे स्थानीयकरण केवल कर्नाटक राज्य द्वारा जिला संकेतक रूपरेखा (डी.आई.एफ.) को अधिसूचित करके किया गया था।

(पैरा 7.1, 7.2 और 7.4)

अभ्युक्तियां

हम अनुशंसा करते हैं कि:

1. एस.सी.जेड.एम.ए. और एन.सी.जेड.एम.ए. को तटीय पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी अनिवार्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए पूर्णकालिक सदस्यों के साथ स्थायी निकाय बनाया जा सकता है।

2. सभी संबंधित जिलों में बिना किसी देरी के डी.एल.सी. का गठन और पुनर्गठन किया जा सकता है। डी.एल.सी. की संरचना सभी संबंधित हितधारक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रकृति में समावेशी हो सकती है।

3. एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा दिशानिर्देश लाए जा सकते हैं कि एन.सी.जेड.एम.ए./एस.सी.जेड.एम.ए. जनता के साथ अपनी चर्चाओं/बैठकों के कार्यवृत्त के बारे में एक समान तरीके से जानकारी साझा करें। एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा संवादात्मक शिकायत संबोधन तंत्र अपनाया जा सकता है।

4. मंत्रालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि पी.पी. परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले परियोजना पर्यावरण का गहन पारिस्थितिक मूल्यांकन करे और साथ ही ई.एल.ए. अधिसूचना, 2006 में पहले से परिभाषित संचयी आंकलन के अभ्यास को लागू करे।

5. एम.ओ.ई.एफ .एवं सी.सी. यह सुनिश्चित कर सकता है कि पी.पी. पर्यावरण के लिए सभी जोखिमों को संबोधित करते हुए एक व्यवहार्य ई.एम.पी. प्रस्तुत करें और प्रभाव पूर्वसूचना- विश्लेषण के साथ ई.एम.पी. काफी हद तक सुसंगत हो। इसके अलावा, शमन प्रस्तावों को ई.एम.पी. में स्पष्ट रूप से लाया जा सकता है जिससे लागत पर नियंत्रण किया जा सके।

6. एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. स्वीकृति के बाद की निगरानी को मजबूत करने के लिए विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं और संरचना पर फिर से विचार कर सकता है।

7. विशेषज्ञ सेल, जो जी.आई.एस. उपकरणों की अच्छी जानकारी रखते हैं, समुद्र तट पर बदलते परिदृश्य की प्रभावी और कुशलता से निगरानी करने और अनियमित विकास पर नजर रखने के लिए बनाए जा सकते हैं। इस तरह के निगरानी तंत्र की उपस्थिति न केवल अनियमित गतिविधियों पर नजर रखेगी बल्कि उनके लिए एक निवारक उपकरण के रूप में भी काम करेगी।

8. राज्य सरकारें मूंगा चट्टानों, कछुओं की नेस्टिंग साईट आदि के लिए मानचित्रण और प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए आवश्यक प्रयास करें।

9. पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए आई.एम.पी. को जल्द से जल्द अधिसूचित करने के लिए एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा प्रयास किए जा सकते है।

10. एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को परियोजना के तहत मजबूत किए गए एस.आई.सी.ओ.एम. और विभिन्न संस्थानों में तकनीकी विशेषज्ञता के साथ पर्याप्त श्रम शक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए श्रम शक्ति की तैनाती को युक्ति संगत बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

11. एम.ओ.ई.एस. और एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. एस.डी.जी. 14 लक्ष्यों के संबंध में सभी संबंधित संस्थानों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए हितधारक मानचित्रण की समीक्षा कर सकते हैं।

12. राज्यों में जिला संकेतक रूपरेखा का निर्माण सुनिश्चित करके हितधारक राज्यों में संकेतकों के स्थानीयकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अध्याय 1: परिचय

तटीय क्षेत्रों में हमारे ग्रह के कुछ सबसे गतिशील प्राकृतिक पारितंत्र शामिल हैं, जहां तीन मुख्य घटक-जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल-मिलते हैं और परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जिनमें दलदल, मैंग्रोव, निकट-तटीय मूंगा चट्टान, समुद्री घास के बिस्तर, रेतीले समुद्र तट और टीले शामिल है, जो हमें मत्स्य पालन के माध्यम से आजीविका तथा समुद्री लहरों/चक्रवातों से सुरक्षा जैसे कई लाभ प्रदान करते हैं। इन लाभों ने पिछले कई दशकों में तटीय संसाधनों पर जनसांख्यिकीय दबाव की वृद्धि सुनिश्चित की हैः दुनिया की 38 प्रतिशत आबादी तट के 100 किमी के भीतर रहती है। पानी के नीचे जीवन के महत्व को स्वीकार करते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने एस.डी.जी. 14 को शामिल किया, जिसका उद्देश्य यू.एन. एस.डी.जी. 14 के सभी सदस्य देशों द्वारा महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करते हुए इन लक्ष्यो को हांसिल करना है।

भारत, लगभग 7516 किलोमीटर की तटरेखा के साथ,12 मेगा जैव विविधता वाले देशों और दुनिया के सबसे धनी और अत्यधिक लुप्तप्राय पर्यावरण क्षेत्रों के 25 हॉटस्पॉटों में से एक है। जहाँ भारत के तटीय क्षेत्र देश के 13.36 प्रतिशत लोगों को आश्रय प्रदान करते हैं वहीं यह तटीय संसाधनों पर भी अत्याधिक दबाव डालते हैं। हमारे देश में नौ तटीय राज्य हैं, नामतः गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल।

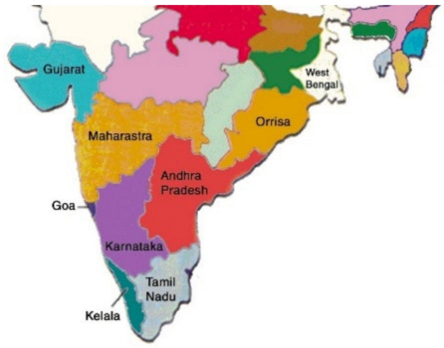

चित्र 1: भारत के तटीय राज्य

राष्ट्रीय स्तर पर नोडल संस्थानों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.), और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ ही पूरे भारत में विभिन्न हितधारक मंत्रालयों और अन्य प्रमुख वैज्ञानिक और अनुसंधान निकायों को तट की सुरक्षा और नाजुक तटीय संसाधनों और उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 1991, 2011 और 2019 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा प्रख्यापित तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना है। यह भारतीय तटीय क्षेत्र में गतिविधियों के प्रबंधन के लिए व्यापक कानून है। अतः क्षेत्रीय वर्गीकरण तंत्र के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन, तटीय पारितंत्र की रक्षा हेतू सरकारी उपायों के आकलन में प्रमुख है।

1.1 तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों का विनियमन

केंद्र सरकार ने मछुआरों और अन्य तटीय क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने, तटीय हिस्सों को संरक्षित और बचाव करने एवं सतत तरीके से विकास को बढ़ावा देने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जेड.) अधिसूचना, 1991 को अधिसूचित

किया था। अधिसूचना ने सी.आर.जेड. क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और उनके संचालन के विस्तार पर भी प्रतिबंध लगाया था। सी.आर.जेड अधिसूचना को 2011[1] में और 2019 में श्री शैलेष नायक की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया था। सभी सी.आर.जेड. अधिसूचनाओं ने तटीय क्षेत्रों को क्षेत्रों में सीमांकित किया था, इन क्षेत्रों में केवल अनुमत गतिविधि की अनुमति प्रदान की गई थी। सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के तहत, तटीय विनियमित क्षेत्रों को सी.आर.जेड. I, सी.आर.जेड. II, सी.आर.जेड. III और सी.आर.जेड. IV भागो में वर्गीकृत किया गया है:

सी.आर.जेड. I

- ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हैं, वह भू-आकृति संबंधी विशेषताएं बनाते हैं जो तट की अखंडता को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं।
- इनमें शामिल हैं-मैंग्रोव और 1000 वर्गमीटर से अधिक मैंग्रोव के लिए 50 मीटर मध्यवर्ती बफर क्षेत्र; मूंगा, मूंगे की चट्टाने और संबंध जैव विविधता; बालू के टीले; जैविक रूप से सक्रिय मडफ्लैट्स;
- राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री पार्क, अभ्यारण्य, आरक्षित वन, वन्यजीव आवास और अन्य संरक्षित क्षेत्र जिन्हें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है;
- रेह; कछुए के नेस्टिंग क्षेत्र; हॉर्स शू केकड़े के आवास; समुद्री घास के बिस्तर पक्षियों के घोंसले वाले क्षेत्र;
- पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र या संरचनाएं/विरासत स्थल/निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच में स्थित क्षेत्र

सी.आर.जेड. II

- मौजूदा नगरपालिका सीमाओं/अन्य शहरी क्षेत्रों के भीतर के क्षेत्र जो पर्याप्त रूप से निर्मित हैं और जल निकासी, पहुँचने के लिए सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाएं

सी.आर.जेड. III

- अपेक्षाकृत अबाधित/सी.आर.जेड. -I या II से संबंधित नहीं है; इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में तटीय भाग, मौजूदा नगरपालिका सीमा के भीतर के क्षेत्र या अन्य शहरी क्षेत्र शामिल हैं जो पर्याप्त रूप से निर्मित नहीं हैं।

सी.आर.जेड. IV

- निम्न ज्वार रेखा से समुद्र के किनारे पर बारह नॉटिकल माइल तक जल क्षेत्र और ज्वार से प्रभावित अंतर्देशीय जल के लिए निर्धारित है।

[1] 2009 में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर

सी.आर.जेड. में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्र

- महत्वपूर्ण तटीय पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से; स्थानीय समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों, ग्रेटर मुंबई की नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले -सी.आर.जेड. क्षेत्र से मिलकर बनता है;
- केरल के सी.आर.जेड. क्षेत्र जिनमें बैकवाटर और बैकवाटर द्वीप शामिल हैं;
- गोवा के सी.आर.जेड. क्षेत्र और सुंदरबन जैसे अत्याधिक संवेदनशील तटीय क्षेत्र
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अन्य पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई और मछुआरों सहित अन्य तटीय समुदायों की भागीदारी के साथ प्रबंधन किया गया था।

इन क्षेत्रों के तहत विशिष्ट गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सभी राज्यों को भूकर मानचित्रों[2] और उच्च ज्वार और निम्न ज्वार रेखाओं के सीमांकन के आधार पर तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सी.जेड.एम.पी.) तैयार करनी थी। इसके अलावा देश मे तीन तटीय राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात से शुरू होकर, व्यापक तटीय प्रबंधन दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (आई.सी.जेड.एम.पी.) नामक एक परियोजना विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी।

[2] भूकर मानचित्र वह मानचित्र होता है जो भू-खण्डों की सीमाओं और स्वामित्व को दर्शाता है।

1.2 तटीय क्षेत्रों के संरक्षण में शामिल संस्थागत तंत्र

सी.आर.जेड. विनियमन के कार्यान्वयन के

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.

- मंत्रालय का प्रभाव आकलन प्रभाग सी.आर.जेड. के अंतर्गत आने वाले तटीय क्षेत्रों की विकासात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मंत्रालय मे तटों के साथ श्रेणी ए मे वर्गीकृत परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों के साथ विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों का गठन किया गया है।

एन.सी.जेड.एम.ए

- राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण तटीय विनियमन के लिए शीर्ष अभिकरण है। यह तटीय क्षेत्रों और सी.जेड.एम.पी. के वर्गीकरण में बदलाव के मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। यह एस.सी.जेड.एम.ए. को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

एस.सी.जेड.एम.ए.

- राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण अपने से संबंधित राज्यों से परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हैं और अनुमोदन के लिए उन्हें एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. या एस.ई.आई.ए.ए. को अनुशंसित करते हैं।

एस.ई.आई.ए.ए.

- एस.ई.आई.ए.ए. राज्यों के निकाय हैं जो एस.सी.जेड.एम.ए. की सिफारिशों के आधार पर श्रेणी बी परियोजनाओं को परियोजना मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार हैं। एस.ई.आई.ए.ए. की संरचना केंद्र में विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की संरचना के समान है।

डी.एल.सी.

- डी.एल.सी., सी.आर.जेड. अधिसूचना की निगरानी और प्रवर्तन के लिए जिला स्तरीय प्राधिकरण हैं।

आई.सी.जेड.एम.पी. के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र

एस.आई.सी.ओ.एम.

- एकीकृत तटीय प्रबंधन सोसाइटी (एस.आई.सी.ओ.एम.) एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के तत्वावधान में एक पंजीकृत संस्था है, यह आई.सी.जेड.एम.पी. के नियोजन, प्रबंधन, निष्पादन, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नामित राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई है।

एस.डी.जी.-14 के चयनित लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र

एम.ओ.ई.एस.

- यह एस.डी.जी. 14.1 के लिए डाटा स्रोत मंत्रालय है - सभी प्रकार के समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और कमी और एस.डी.जी. 14.3- समुद्र के अम्लीकरण के प्रभावों को कम करना। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, एम.ओ.ई.एस. का एक संलग्न कार्यालय है जो देश में एस.डी.जी 14.1 और 14.3 से संबंधित सभी डाटा एकत्र करता है।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.

- यह एस.डी.जी. 14.2 के लिए डाटा स्रोत मंत्रालय है जो समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का स्थायी प्रबंधन और संरक्षण करता है और 14.5-तटीय और समुद्री क्षेत्रों के कम से कम 10% का संरक्षण करता है।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा ने तटीय वातावरण में प्रमुख घटकों की प्रासंगिक गतिविधियों को शामिल करते हुए पांच व्यापक उद्देश्यों को रखा गया था। लेखापरीक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(i) यह जांच करने के लिए कि क्या सी.आर.जेड. अधिसूचना 2019 के प्रावधानों के अनुसार सी.आर.जेड. क्षेत्रों में गतिविधियों को विनियमित करने के लिए केंद्र और राज्य में संस्थागत तंत्र मौजूद है या नहीं।

(ii) यह जांच करने के लिए कि क्या तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा दी गई सी.आर.जेड. मंजूरी उचित प्रक्रिया के अनुसार है।

(iii) क्या मंजूरी के बाद की निगरानी के साथ-साथ सी.आर.जेड. विनियमों को लागू करने से तटीय पारितंत्रों की सुरक्षा हुई है?

(iv) यह जांच करने के लिए कि क्या एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.सी.जेड.एम.पी.) के तहत परियोजना विकास के उद्देश्य सफल रहे।

(v) एस.डी.जी.-14 के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का मूल्यांकन करना।

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड के मुख्य स्रोत सी.आर.जेड. अधिसूचना, 2011/2019 थे[3]; पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006; विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की कार्यसूची और कार्यवृत्त; राज्य विशिष्ट तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं; परियोजना मंजूरी के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई.ए.सी.), पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (ई.एम.पी.) के संदर्भ की शर्तें, पर्यावरण मंजूरी और सी.आर.जेड. मंजूरी में लगाई गई शर्तें; एकीकृत तटीय प्रबंधन संस्था (एस.आई.सी.ओ.एम.), राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एन.सी.एस.सी.एम.) और राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र में रिकॉर्ड और सामान्य वित्तीय नियम और एम.ओ.ई.एस. में एस.डी.जी. 14 से संबंधित अभिलेख थे।

1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और नमूनाकरण

लेखापरीक्षा ने सी.आर.जेड. विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में 2015-2020 की अवधि के लिए एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और एम.ओ.ई.एस. के तहत संस्थानों की गतिविधियों को सम्मिलित किया था। इस संबंध में, 2015 से 2020 की अवधि के लिए सभी नौ तटीय राज्यों (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात) के राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों के अभिलेखों की जांच की गई थी। हमने गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में आई.सी.जेड.एम. परियोजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की थी। इसके अलावा, सतत विकास लक्ष्यों के महत्व और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में देश की प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, हमने एस.डी.जी. 14- पानी के नीचे के जीवन के तहत तटीय नियमों से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासों अर्थात् योजना, कार्यान्वयन और वितरण तंत्र का मूल्यांकन करने का भी प्रयास किया है।

1.5.1 लेखापरीक्षा के तहत जांच के लिए परियोजना स्वीकृति का नमूनाकरण

(i) एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. दो तरह की स्वीकृति देता है। (क) समग्र स्वीकृति[4], और (ख) सी.आर.जेड. स्वीकृति[5]। 2015-2019 की अवधि के दौरान, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा

---

[3] सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011, फरवरी 2022 तक मंजूरी के लिए मानदंड है क्योंकि सी.आर.जेड. 2019 के आधार पर सी.जेड.एम.पी. को राज्यों द्वारा तैयार किया जाना है और इसे एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

[4] जहां परियोजनाओं को ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अनुसार पर्यावरण मंजूरी (ई.सी.) के साथ-साथ सी.आर.जेड. मंजूरी की आवश्यकता होती है।

[5] जहां परियोजना को केवल तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार सी.आर.जेड. मंजूरी की आवश्यकता है।

71 समग्र स्वीकृतियां और 139 सी.आर.जेड. स्वीकृतियां दी गई थी, जिनमें से 15 समग्र स्वीकृतियां और 28 सी.आर.जेड. स्वीकृतियों का नमूना[6] लिया गया था।

(ii) राज्य निकायों[7] द्‌वारा दी गई 1978 परियोजनाओं की स्वीकृतियों में से 118 परियोजनाओं की स्वीकृति का नमूना लिया गया था और राज्यों के लेखापरीक्षा कार्यालयों द्‌वारा इसकी जांच की गई थी।

(iii) स्थानिक संवेदनशील वनस्पतियों और जीवों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तटीय पर्यावरण की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए नौ तटीय राज्यों में से प्रत्येक में दो जिलों की जांच[8] की गई थी।

(iv) हमने 128 सी.आर.जेड. उल्लंघनों की भी जांच की, जो राज्यों में रिपोर्ट किए गए सी.आर.जेड. उल्लंघन मामलों पर राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों द्‌वारा उठाए गए कदमों का आकलन करने के लिए राज्यों में उन्हें[9] सूचित कुल उल्लंघन (1898 उल्लंघन) का 20 प्रतिशत थे।

(v) हमने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्यों में आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत शुरू की गई 13 पायलट परियोजनाओं की जांच की थी।

1.6 लेखापरीक्षा पद्धति

एक जुलाई 2020 को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और एम.ओ.ई.एस. की घटक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों/मानदंड/क्षेत्र और निष्पादन लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी., एम.ओ.ई.एस., राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र और नौ तटीय राज्यों के राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकारियों (एस.सी.जेड.एम.ए.) के अभिलेखों की जांच शामिल थीं। नमूना जांच करके रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों की स्थिति का पता लगाने के लिए

---

[6] मानदंड के आधार पर (क) विकासात्मक गतिविधि से जुड़े अंतर्निहित जोखिम (ख) परियोजना स्थल में और आसपास समुद्री पारितंत्र की भेद्‌यता (ग) परियोजना के पूरा होने की अवधि की पर्याप्तता (अधिकांश चयनित परियोजनाएं, जिन्हें लेखापरीक्षा अवधि के पूर्व भाग में मंजूरी दी गई थी)।

[7] एस.आई.ई.ए.ए., नगर नियोजन प्राधिकरण, नगर पालिकाएं, पंचायतें आदि

[8] जिलों का नमूना कई कारकों के आधार पर लिया गया था जैसे कि मौजूदा विकासात्मक गतिविधियों से जोखिम, स्थानिक वनस्पतियों और जीवों की उपस्थिति, तटीय पर्यावरण के बिगड़ने की रिपोर्ट आदि। चयनित जिले इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश (पूर्वी गोदावरी और श्रीकाकुलम), गोवा (उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा), गुजरात (भावनगर और गिर सोमनाथ), कर्नाटक (दक्षिण कन्नड़ और उडुपी), केरल (एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम), महाराष्ट्र (मुंबई उप शहरी और सिंधुदुर्ग), ओडिशा (केंद्रपाड़ा और गंजम), तमिलनाडु (चेन्नई और रामनाथपुरम), पश्चिम बंगाल (दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर)

[9] जो मामले विचाराधीन थे, उन्हें छोड़ दिया गया और शेष मामलों में से प्रत्येक राज्य के लिए नमूना लिया गया था।

संयुक्त भौतिक जांच की गई थी। लेखापरीक्षा ने रिपोर्ट न किए गए उल्लंघनों को देखने के लिए गुगल अर्थ की उपग्रह छवियों के साथ चयनित किए गए क्षेत्र के लिए अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. को मानचित्रित करने के लिए जी.आई.एस. उपकरण का उपयोग किया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित मंत्रालयों के साथ उनके उत्तर के लिए साझा किया गया था। 16 फरवरी 2022 को निकास सम्मेलन एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और एम.ओ.ई.एस. के साथ आयोजित किया गया था।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा पर मसौदा प्रतिवेदन 9 दिसंबर 2021 को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और एम.ओ.ई.एस. दोनों को जारी किया गया था। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने तक, एम.ओ.ई.एस., एस.आई.सी.ओ.एम. और एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के सांख्यिकीय विभाग को छोड़कर, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. से इस मसौदा प्रतिवेदन पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्याय 2: संस्थागत रूपरेखा

सी.आर.जेड. अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए तीन संस्थान उत्तरदायी हैं: i) केंद्र में राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एन.सी.जेड.एम.ए.) ii) प्रत्येक तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश[10] में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एस.सी.जेड.एम.ए./यू.टी.सी.जेड.एम.ए.) iii) प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समितियां (डी.एल.सी.) जिनमे तटीय क्षेत्र है और जहां सी.आर.जेड. अधिसूचना लागू है। जबकि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और राज्य-स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.)[11] एस.सी.जेड.एम.ए. की सिफारिशों के आधार पर सी.आर.जेड. क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं को मंजूरी देते हैं। सी.आर.जेड. उल्लंघनों से संबंधित निगरानी और प्रवर्तन संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी.सी.बी.), एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के क्षेत्रीय कार्यालयों और डी.एल.सी. द्वारा किया जाता है।

अप्रैल 1996 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पर्यावरण-कानूनी कार्रवाई परिषद (1993) द्वारा दायर एक रिट याचिका के आधार पर देखा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड न केवल अधिक काम कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ प्रदूषण के नियंत्रण से और 1991 के अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा (3) के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य तटीय प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।

इन निकायों के गठन और तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने में उनकी भूमिका की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

2.1 एन.सी.जेड.एम.ए., एस.सी.जेड.एम.ए. और डी.एल.सी. का गठन

क) एन.सी.जेड.एम.ए. की संरचना एवं कार्यप्रणाली

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) ने तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा, सुधार और तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, कम करने और नियंत्रित करने के लिए दो साल की अवधि के लिए 26 नवंबर 1998 को एन.सी.जेड.एम.ए. का गठन किया। प्राधिकरण को निम्नलिखित के लिए अधिकार दिए गये थे:

क) ई.पी. अधिनियम के तहत एस.सी.जेड.एम.ए. और यू.टी.सी.जेड.एम.ए. के कार्यों का समन्वय।

---

[10] आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नौ एस.सी.जेड.एम.ए. और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में चार यू.टी.सी.जेड.एम.ए.

[11] ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के संदर्भ में एस.ई.आई.ए. ए. एक सीमा क्षेत्र से कम की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकता है।

ख) एस.सी.जेड.एम.ए. और यू.टी.सी.जेड.एम.ए. से प्राप्त सी.आर.जेड. क्षेत्रों और तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं के वर्गीकरण में परिवर्तन के प्रस्ताव की जांच और केंद्र सरकार को विशिष्ट सिफारिशें करना।

ग) तटीय क्षेत्रों के लिए ई.पी. अधिनियम 1986 के तहत उल्लंघन से जुड़े मामलों की समीक्षा और अनुपालन के लिए निर्देश जारी करना।

घ) उल्लंघन से जुड़े मामलों के लिए जारी निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में शिकायत दर्ज करें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने अनुशंसित सदस्यों के साथ एन.सी.जेड.एम.ए. को स्थायी निकाय के रूप में अधिसूचित नहीं किया है। इसने एन.सी.जेड.एम.ए. की वांछित संरचना, गैर-अधिकारक सदस्यों को शामिल करने और सदस्यों की डोमेन विशेषज्ञता को भी निर्दिष्ट नहीं किया था। एन.सी.जेड.एम.ए. का कुछ वर्षों में पुनर्गठन किया जाता है और परिभाषित सदस्यता के अभाव में, यह स्थायी सदस्यों से रहित एक तदर्थ निकाय के रूप में कार्य कर रहा था। एन.सी.जेड.एम.ए. के सदस्यों में विभिन्न मंत्रालयों/तकनीकी निकायों के अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने पदेन क्षमता में कर्तव्यों का निर्वहन किया था। इसके अलावा, एन.सी.जेड.एम.ए. की संरचना इन वर्षों में एक समान नहीं रही है, जो तटीय संरक्षण के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण में निरंतरता की कमी को दर्शाता है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित संख्या में आयोजित की जाने वाली बैठकों के अभाव में, यह जब भी आवश्यक हो (2015-2020 के दौरान 14 बार) विभिन्न एस.सी.जेड.एम.ए. से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए, मुख्य रूप से सी.आर.जेड. क्षेत्रों के पुनर्वर्गीकरण के लिए और सी.जेड.एम.पी. के पूरा होने की स्थिति के अद्यतन करने के लिए मिलता है।

इसे सौंपे गए उत्तरदायित्वों की विस्तृत श्रंखला के बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.सी.जेड.एम.ए. ने अपनी बैठकों में तटीय विनियमन क्षेत्र से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.सी.जेड.एम.ए. द्वारा आयोजित बैठकें सी.आर.जेड. क्षेत्रों के पुनर्वर्गीकरण या सी.जेड.एम.पी. से संबंधित मामलों से संबंधित बहुत विशिष्ट कार्यसूची के साथ मांग पर आधारित होती हैं। इसके अलावा एन.सी.जेड.एम.ए. द्वारा आयोजित बैठकों के कार्यवृत की जांच से पता चला कि एन.सी.जेड.एम.ए. ने अप्रैल 2015 के बाद सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत उल्लंघन से संबंधित किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की। अभीलेखों में इसका कोई कारण नहीं पाया गया। अत: एन.सी.जेड.एम.ए., सी.आर.जेड. उल्लंघनों पर कार्रवाई की निगरानी और चर्चा में प्रभावी रूप से शामिल नहीं था, जो इसे सौंपी गई जिम्मेदारियों में से एक था।

ख) विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों में कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता की अनुपस्थिति

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा परियोजनाओं की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई.ए.सी.) परियोजना के प्रभाव पर विचार करने के बाद परियोजना प्रस्तावों पर एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को सिफारिशें देती है। ई.ए.सी. की सिफारिश के आधार पर, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. या तो प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है या उन शर्तों के साथ मंजूरी देता है जो तटीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव को कम करेगी। ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 की आवश्यकताओं के अनुसार, ई.ए.सी. में संबंधित क्षेत्र या अनुशासन में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव वाले सदस्य शामिल होते हैं। ई.ए.सी. में 10 से 15 सदस्य शामिल होते है, जिनमें वन्यजीव और वानिकी के विशेषज्ञ, वनस्पति और जीव प्रबंधन में जीवन विज्ञान विशेषज्ञ, पर्यावरण की गुणवत्ता आदि शामिल होते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक ई.ए.सी. सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए समर्पित है। लेखापरीक्षा के दौरान, ऐसे मामले पाए गए जहां ई.ए.सी. ने मंजूरी दी, हालांकि परियोजना विचार-विमर्श के दौरान कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ मौजूद नहीं थे। साथ ही, ऐसे मामले भी पाए गए जहां ई.ए.सी. के सदस्य विचार-विमर्श के दौरान कुल संख्या के आधे से भी कम थे क्योंकि ई.ए.सी. सदस्यों के लिए कोई निश्चित कोरम नहीं था।

ग) एस.सी.जेड.एम.ए. की संरचना एवं कार्यप्रणाली

एस.सी.जेड.एम.ए. के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद एस.सी.जेड.एम.ए. का पुनर्गठन नहीं किया गया था। कर्नाटक में, मार्च 2020 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद 11 महीने तक एस.सी.जेड.एम.ए. का पुनर्गठन नहीं किया गया था। इसी तरह, केरल और आंध्र प्रदेश में क्रमशः 5 और 8 महीने की देरी के बाद एस.सी.जेड.एम.ए. का पुनर्गठन किया गया था। एस.सी.जेड.एम.ए. के विलंबित पुनर्गठन के उदाहरण गोवा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में भी पाए गए थे।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के 2005 के आदेशों के अनुसार, एस.सी.जेड.एम.ए. में एक एन.जी.ओ., चार विशेषज्ञ सदस्य और विभिन्न हितधारक संगठनों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मत्स्य पालन, पर्यावरण, शहरी विकास आदि के 5-6 पदेन सदस्य होने चाहिए। प्राधिकरण का अध्यक्ष संबंधित राज्य के पर्यावरण विभाग का सचिव होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि कई एस.सी.जेड.एम.ए. ने कोरम आवश्यकताओं को पूरा किए बिना बैठकें की थीं। कर्नाटक में, 2015-20 के दौरान 21 में से 15 बैठकें बिना कोरम के हुई थीं। इस प्रकार, एन.सी.जेड.एम.ए. ने अनिवार्य कोरम आवश्यकताओं को पूरा किए बिना परियोजनाओं की सिफारिश की। एस.सी.जेड.एम.ए. की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक सी.आर.जेड. अधिसूचना के उल्लंघन के मामलों की जांच करना, उल्लंघन के खिलाफ शिकायत दर्ज करना और इन उल्लंघनों की समीक्षा करना था। इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढ़ग से निर्वहन करने में एस.सी.जेड.एम.ए. की विफलता पर अध्याय 4 (पैरा 4.2) में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि

एस.सी.जेड.एम.ए. में संबंधित हितधारक निकायों के प्रतिनिधित्व का अभाव था। महाराष्ट्र एस.सी.जेड.एम.ए. में पर्यटन विभाग की भागीदारी नहीं थी, हालांकि यह एक महत्वपूर्ण हितधारक संगठन है जो तटीय क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के स्थायी प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। गोवा एस.सी.जेड.एम.ए. में मत्स्य निदेशालय का कोई सदस्य नहीं था। गोवा और पश्चिम बंगाल एस.सी.जेड.एम.ए. में संबंधित एस.पी.सी.बी. की भागीदारी का अभाव था। साथ ही, यह भी पाया गया कि महत्वपूर्ण हितधारक संस्थानों ने एस.सी.जेड.एम.ए. की बैठकों में भाग नहीं लिया था। शहरी विकास विभाग, मत्स्य पालन और राजस्व विभाग जैसे प्रमुख विभागों के सदस्यों ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा आयोजित अधिकांश बैठकों में भाग नहीं लिया था।

घ) एस.सी.जेड.एम.ए. में जनशक्ति

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकांश तटीय राज्यों में एस.सी.जेड.एम.ए. के पास अपना अधिदेश पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में, एस.सी.जेड.एम.ए. के कार्य राज्य पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किए जाते थे। यह पाया गया कि गोवा में एस.सी.जेड.एम.ए. और डी.एल.सी. के लिए स्वीकृत 73 पदों की तुलना में 58 पद रिक्त थे। ओडिशा में, एस.सी.जेड.एम.ए. बिना किसी सचिवीय जनशक्ति के एक कनिष्ठ वैज्ञानिक और तकनीकी सहायक के साथ काम कर रहा था।

ड.) डी.एल.सी. की संरचना

सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 की धारा 6 (सी) के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सी.आर.जेड. अधिसूचना को लागू करने में एस.सी.जेड.एम.ए. की सहायता के लिए डी.एल.सी. की स्थापना की जानी थी, जिसमें स्थानीय पारंपरिक तटीय समुदायों और मछुआरों के कम से कम तीन प्रतिनिधियों का शामिल होना अनिवार्य था। तमिलनाडु के डी.एल.सी. में स्थानीय पारंपरिक समुदायों की भागीदारी का अभाव था। जांच के दौरान, ऐसे मामले पाए गए जहां एस.सी.जेड.एम.ए. डी.एल.सी. का गठन करने में विफल रहे थे। यह भी पाया गया था कि अवधि समाप्त होने के बाद डी.एल.सी. का पुनर्गठन नहीं किया गया था। आंध्र प्रदेश में, मार्च 2021 तक सभी नौ तटीय जिलों में डी.एल.सी. की स्थापना नहीं की गई थी। गोवा में, सी.आर.जेड. अधिसूचना की घोषणा के छह साल के विलंब के बाद 2017 में डी.एल.सी. का गठन किया गया था। ओडिशा के सात तटीय जिलों के डी.एल.सी. का कार्यकाल समाप्त होने से दो साल की देरी के बाद पुनर्गठन किया गया था। कर्नाटक में, डी.एल.सी. की अवधि मई 2018 में समाप्त हो गई थी, हालांकि मार्च 2021 तक दो तटीय जिलों में डी.एल.सी. का पुनर्गठन किया जाना बाकी है।

इस प्रकार, इन निकायों की संरचना और जनशक्ति की कमी ने तटीय सुरक्षा के लिए विशेष निकायों जिसकी परिकल्पना सी.आर.जेड. अधिसूचनाओं में की गई है, उनके विकास को बाधित किया था।

इस प्रकार, एन.सी.जेड.एम.ए., एस.सी.जेड.एम.ए. और डी.एल.सी. के गठन और कार्यान्वयन में कमियां तटीय क्षेत्रों के सतत विकास को सुनिश्चित करने में चुनौतियों का समाधान करने में उनकी प्रभावशीलता को कम कर देंगी।

2.2 तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने में अभिकरणों की भूमिका

तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 जारी होने की तारीख से चौबीस महीने की अवधि के भीतर तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सी.जेड.एम.पी.) तैयार करनी थी। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार सी.जेड.एम.ए. को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के समक्ष सी.जेड.एम.पी. पर हितधारकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों को शामिल करने के बाद छह महीने की अवधि के भीतर सी.जेड.एम.पी. को अपनी सिफारिशों के साथ मसौदा प्रस्तुत करना था। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को सभी तरह से पूर्ण सी.जेड.एम.पी. की प्राप्ति की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर सी.जेड.एम.पी. पर विचार और अनुमोदन करना था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(i) उच्च ज्वार रेखा के सीमांकन और सी.जेड.एम.पी. की तैयारी में विलंब

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने अगस्त 2015 में उच्च ज्वार रेखा[12] (एच.टी.एल.) के सीमांकन के लिए नैशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (एन.सी.एस.सी.एम.) की पहचान की और इसे अक्टूबर 2016 में पूरा किया गया था। तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के जारी होने की तारीख से चौबीस महीने की अवधि के भीतर सी.जेड.एम.पी. तैयार करना था। राज्य/केंद्रीय शासित सरकार सी.जेड.एम.ए. को सी.जेड.एम.पी. का मसौदा हितधारकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों को शामिल करने के बाद अपनी सिफारिशों के साथ छह महीने की अवधि के भीतर एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को जमा करना था। सी.जेड.एम.पी. के विभिन्न घटकों (खतरा लाइन और एच.टी.एल.) के सीमांकन में देरी के परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा सी.जेड.एम.पी. को अंतिम रूप देने में देरी हुई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

[12] एच.टी.एल. का अर्थ उस भूमि पर रेखा है जिस तक वसंत ज्वार के दौरान उच्चतम जल रेखा पहुंचती है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस स्तर को इंगित करता है जिस तक तटीय जल पहुंचता है।

तालिका 2.1: तटीय राज्यों में सी.जेड.एम.पी. को अंतिम रूप देने में विलंब

क्र.सं.	राज्य	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदन
1	आंध्र प्रदेश	फरवरी 2019
2	गोवा	अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ
3	गुजरात	फरवरी 2020
4	कर्नाटक	अगस्त 2018
5	केरल	फरवरी 2019
6	महाराष्ट्र	फरवरी 2019
7	ओडिशा	अगस्त 2018
8	तमिलनाडु	अक्तूबर 2018
9	पश्चिम बंगाल	अक्तूबर 2018

सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के अनुसार अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. की अनुपस्थिति में, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने 1991 में तैयार किए गए सी.जेड.एम.पी. की वैधता का समय-समय पर विस्तार किया, जिसके परिणामस्वरूप 1991 सी.जेड.एम.पी. के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं को सी.आर.जेड. मंजूरी प्रदान की गई, जो कि वास्तविक सच्चाई को नहीं दर्शाता था।

(ii) मानचित्रों के लिए सटीकता स्तरों के आकलन का अभाव

एच.टी.एल., एल.टी.एल.[13] के सीमांकन और सी.जेड.एम.पी. की तैयारी पर एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. मैनुअल एच.टी.एल., एल.टी.एल. के साथ-साथ सी.जेड.एम.पी. के लिए विशिष्ट सटीकता स्तर[14] निर्धारित करता है। सी.जेड.एम.पी. की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए संदर्भ रेखा की सटीकता महत्वपूर्ण है। यह पाया गया कि आठ तटीय राज्य[15] एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा सी.जेड.एम.पी. के अनुमोदन के एक वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी संदर्भ लाइनों की सटीकता का आकलन करने में विफल रहे। इसके अलावा, सटीकता सीमा की उपलब्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि सी.आर.जेड. अधिसूचना 2019 के अनुसार सी.जेड.एम.पी. को

---

13 निम्न ज्वार रेखा जो भूमि पर वह रेखा है जहाँ तक वसंत ज्वार के दौरान सबसे कम जल रेखा पहुँचती है।

14 वर्गीकरण सटीकता के लिए 90 प्रतिशत विश्वास अंतराल पर 90 प्रतिशत वर्गीकरण सटीकता। एच.टी.एल., एल.टी.एल. और सी.जेड.एम.पी. सीमांकन के लिए क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर और 5 मीटर की स्थितिगत सटीकता।

15 कर्नाटक ने संदर्भ पंक्तियों के लिए सटीकता के स्तर का आकलन किया।

सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के आधार पर पहले से तैयार सी.जेड.एम.पी. को अद्यतन करके तैयार किया जाएगा।

(iii) भूकर मानचित्रों के डिजिटलीकरण का अभाव

भू-उपयोग योजना के लिए स्थानीय निकायों द्वारा भूकर मानचित्रों की आवश्यकता थी। सी.आर.जेड. अधिसूचना, 2011 ने सी.जेड.एम.पी. के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए स्थानीय निकायों और अन्य अभिकरणों के उपयोग हेतु भूकर[16] (गांव) स्तरीय मानचित्र को तैयार करने की परिकल्पना की थी। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे और ग्राम भूकरों के डिजिटलीकरण और एकीकरण को निर्धारित किया था। हमने पाया कि गोवा को छोड़कर किसी भी तटीय राज्य के संबंध में भूकर सूचना को डिजिटल करके इसे जी.आई.एस. में नहीं लाया गया है।

(iv) पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कार्य योजना तैयार करने में विफलता

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने 2014 में तटीय राज्यों को एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया जो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ई.एस.ए.) के संरक्षण और सुरक्षा, स्थानीय समुदायों के जीवन और संपत्ति और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और स्थायी तरीके से विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप प्रदान करे। कार्य योजनाओं को पर्याप्त बजटीय प्रावधान और इस तरह के कार्यान्वयन में शामिल अभिकरणों का विवरण प्रदान करना था। हमने पाया कि सभी तटीय राज्य अब तक इन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करने में विफल रहे हैं।

सी.जेड.एम.पी. को समय पर तैयार करने में विफलता और ई.एस.ए. के संरक्षण के लिए योजनाओं की कमी तटीय पारिस्थितिकी के लिए बड़ा जोखिम पैदा करेगी।

2.3 सार्वजनिक पहुंच का अभाव

एन.सी.जेड.एम.ए. के प्राथमिक कार्यों में से एक है कि, या तो स्व-प्रेरणा, या किसी व्यक्ति या निकाय, या संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्राधिकरण ई.पी. अधिनियम[17] के प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की समीक्षा करना है। इसे उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्देश जारी करने का भी अधिकार है। इसके अलावा, मैनुअल के आदेश में एन.सी.जेड.एम.ए. को कार्यसूची मदों और बैठक के कार्यवृत्त को वेबसाइट पर पोस्ट करने का आदेश दिया गया है।

---

[16] भूकर मानचित्रों में सर्वेक्षण की सीमाएँ और व्यक्तिगत भूखंडों की सर्वेक्षण संख्याएँ, बुनियादी ढाँचे जैसे सड़कें, धार्मिक और इसी तरह की संस्थाएँ, नदियाँ / नहरें / तालाब और सर्वेक्षण पत्थर के स्थान शामिल हैं।

[17] और उसके अधीन बनाए गए नियम, या कोई अन्य कानून जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हो

इस संबंध में, हमने पाया कि एन.सी.जेड.एम.ए. ने अपनी वेबसाइट का रखरखाव नहीं किया था। हमने पाया कि एन.सी.जेड.एम.ए. से संबंधित मामलों को परियोजना प्रस्तुतीकरण और सी.आर.जेड. मंजूरी के लिए अनुमोदन से संबंधित वेबसाइट[18] पर एक छोटी सी विंडो में होस्ट किया जा रहा है। कार्यसूची या कार्यवृत्त तक पहुँचने के लिए वेबसाइट पर दिए गए लिंक कोई जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा हमने पाया कि एन.सी.जेड.एम.ए. के मैनुअल आदेश में, यह आवश्यक है कि प्राधिकरण अपनी बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त के बारे में जानकारी सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में रखे, जिसमें नामित वेबसाइट[19] भी शामिल है। आदेश में उल्लिखित वेबसाइट, हालांकि, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. की सामान्य वेबसाइट की ओर ले जाती है, जहां एन.सी.जेड.एम.ए. से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है।

एन.सी.जेड.एम.ए. से संबंधित सूचना जैसे कार्यसूची नोट्स, बैठकों के कार्यवृत्त का प्रसार करने के लिए किसी भी सक्रिय और कार्यात्मक वेबसाइट की अनुपस्थिति केवल प्राधिकरण को दी गई तदर्थ स्थिति को इंगित करती है। वेबसाइट पर सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में शिकायत दर्ज करने या तटीय वातावरण में किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने का कोई विकल्प नहीं था। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. के पास भी सूचना के सार्वजनिक प्रसार के लिए कोई वेबसाइट नहीं है। शेष राज्यों में, भले ही वेबसाइट बनाई गई है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी जैसे उल्लंघन, कार्रवाई, अदालती मामले, कार्यसूची के कार्यवृत्त और बैठक के कार्यवृत्त नियमित रूप से पोस्ट नहीं किए जाते हैं।

ऐसी सुविधा के अभाव में, एन.सी.जेड.एम.ए./एस.सी.जेड.एम.ए. जनता से कोई शिकायत प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकता है, इस प्रकार ई.पी. अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्देश जारी करने की उसकी क्षमता में बाधा आती है, जो इसकी अनिवार्य गतिविधियों में से एक है।

2.4 निष्कर्ष

- एन.सी.जेड.एम.ए. के साथ-साथ एस.सी.जेड.एम.ए. तदर्थ स्थिति और बजट के साथ-साथ जनशक्ति की कमी के कारण**,** अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे। सी.आर.जेड. अधिसूचनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एन.सी.जेड.एम.ए. और एस.सी.जेड.एम.ए. की स्थापना के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद एन.सी.जेड.एम.ए. के साथ-साथ एस.सी.जेड.एम.ए. निधियों और पदाधिकारियों के लिए एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और संबंधित तटीय राज्य पर्यावरण विभागों पर निर्भर थे।

- आंध्र प्रदेश में मार्च 2021 तक डी.एल.सी. की स्थापना नहीं की गई थी और अन्य तटीय राज्यों में डी.एल.सी. के पुनर्गठन में देरी पायी गई थी।

---

18 http://environmentclearance.nic.in/NCZMA.aspx

19 www.envfor.nic.in

- हालांकि, तटीय क्षेत्रों के सतत विकास की प्रक्रिया में तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं की तैयारी प्राथमिक कदम थी, राज्य निर्धारित समय में सी.जेड.एम.पी. के साथ आने में विफल रहे।
- हालांकि तटीय पर्यावरण की रक्षा करने में संस्थानों की एक प्रमुख भूमिका थी, उनकी भूमिका केवल विचार-विमर्श या सी.आर.जेड. क्षेत्रों के पुनर्वर्गीकरण पर निर्णय लेने और विकास गतिविधियों के अनुमोदन/अनुमोदन की सिफारिश तक सीमित रह गई थी।
- एन.सी.जेड.एम.ए. और एस.सी.जेड.एम.ए. ने अपने कामकाज से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए समर्पित वेबसाइटों का रखरखाव नहीं किया था।

अध्याय 3: सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत परियोजना का अनुमोदन

तटीय क्षेत्र के विकास कार्य के लिए सी आरजेड द्वारा जारी अधिसूचना को लागू करने की मांग की जाती है। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने तटीय क्षेत्रों की समस्या को ध्यान रखते हुए क्षेत्रिय वर्गिकरण किया है। इन क्षेत्रों में होने वाले गतिविधियों को सी.आर.जेड. द्वारा निर्देशित अधिसूचना के तहत सीमित किया जाना था और सी.आर.जेड. क्षेत्रों में उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए एन.सी.जेड.एम.ए./एस.सी.जेड.एम.ए., की सिफारिश के आधार पर एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी./एस.ई.आई.ए.ए. से पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए थी। पिछले दो दशकों में, विकास गतिविधियों को ई.आई.ए. अधिसूचना **2006** और सी.आर.जेड. अधिसूचना **1991/2011/2019** **(**जो भी लागू हो) के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति दी गई, संबंधित एस.सी.जेड.एम.ए. के सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृति दी गई।

तालिका 3.1: सी.जेड.आर. क्षेत्रों में परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए कई प्राधिकरणों को अनिवार्य किया गया

परियोजना के प्रकार	स्वीकृति के लिए अधिकृत प्राधिकरण
ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत आने वाली परियोजना	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. या एस.ई.आई.ए.ए.
इन परियोजना के लिए जो ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 में शामिल न होकर सी.आर.जेड. अधिसूचना के पैरा 4(ii) के अन्तर्गत है।	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.
20,000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनाओं के लिए निर्मित क्षेत्र	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.
20,000 वर्गमीटर से कम की भवन परियोजना के लिए	राज्य या नगर योजना प्राधिकरण

परियोजना प्रस्तावक[20] पी.पी. द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) प्रतिवेदन के आधार पर एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी./एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती है। ई.आई.ए. प्रतिवेदन में पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) रखा गया जोकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए जाने वाले उपायों के प्रस्ताव रखती है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। ई.आई.ए. प्रक्रिया, परियोजना प्रस्तावों के लागत लाभ विश्लेषण करने में निर्णय निर्माता की सहायता करती है तथा तटीय आंतरिक (क्षेत्र) के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। ई.आई.ए. के मुख्य कार्य **(अनुलग्नक-1)** में एक फ्लोचार्ट के माध्यम से प्रदर्शित की गई है।

[20] वे संस्था जो परियोजना लगाने के लिए अनुमोदन करता है।

लेखापरीक्षा परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया के कुछ परियोजना नमूना का परीक्षण किया जोकि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी./एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा अनुमोदित किया गया था। लेखापरीक्षा अवलोकन नीचे दिए गए अनुच्छेद में दिए गए है।

3.1 ई.आई.ए. प्रतिवेदन में कमी के बावजूद परियोजना की स्वीकृति

लेखापरीक्षा ने ई.आई.ए. के प्रतिवेदन में कई कमियाँ देखी, इसके बावजूद इन ई.आई.ए. प्रतिवेदनों पर आधारित परियोजनाओं को अनुमोदित किया। यह तटीय पारितंत्रों के संरक्षण के संबंध में निर्णय लेने की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

(i) गैर-मान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा ई.आई.ए. को बनाया गया

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने अपने निर्देशों (मार्च 2010) में निर्धारित किया कि जुलाई 2010 के बाद किसी परियोजना के लिए प्राप्त ई.आई.ए. को पर्यावरण स्वीकृति के लिए तभी माना जाएगा जब ई.आई.ए. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड (एन.ए.बी.ई.टी.)/भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यू.सी.आई.) द्वारा संचालित किया गया हो। इसके अलावा, सलाहकार केवल उन्हीं क्षेत्रों में ई.आई.ए. कर सकते हैं जिनके लिए उन्हें मान्यता दी गई हो।

लेखापरीक्षा ने 21 परियोजनाओं का मंजूरीनामा देखे **(अनुलग्नक-2)** जिसमें ई.आई.ए. सलाहकार गैर-मान्यता प्राप्त था एवं यह परियोजना के लिए विशिष्ट क्षेत्र की मान्यता प्राप्त नही थी। कुछ मामलों का नीचे दिखाया गया है:

तालिका 3.2: गैर-मान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा ई.आई.ए. को बनाया गया

परियोजना	परियोजना स्वीकृति	ई.ए.आई. के लिए सलाहकार
महानगर गैस लिमिटेड, महाराष्ट्र के द्वारा नेचुरल गैस पाइपलाईन का बिछाना	2018 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के द्वारा स्वीकृति	इस परियोजना में उरण से नवी मुंबई नगर निगम तक पाइपलाइन बिछाकर प्राकृतिक गैस का परिवहन और वितरण करना शामिल था। सलाहकार जेवी एनालिटिकल सर्विसेज पुणे को पाइपलाइन क्षेत्र के लिए मान्यता प्राप्त नही थी।
मेसर्ज मोतीमहल होटल प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक के द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिला मैगलोर में होटल बिल्डिंग का निर्माण कार्य	2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के द्वारा स्वीकृति दी गई	पर्यावरण प्रबंधन योजना और आपदा प्रबंधन योजना जो ई.ए.आई. का एक हिस्सा था परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही प्रस्तावित की गई थी और इस परियोजना के लिए एक मान्यता प्राप्त सलाहकार नियुक्त नही किया गया।

(ii) पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए पुराने आधारभूत डेटा का उपयोग:

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने अपने निर्देशों (अगस्त 2017) में निर्देशित किया कि पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के समय आधारभूत डेटा[21] 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ऑडिट (लेखापरीक्षा) ने 12 परियोजना अनुमोदन देखे **(अनुलग्नक-3)** जिसमें ई.आई.ए. ने पुराने बेसलाइन डेटा का इस्तेमाल किया, जहाँ एकत्र किया गया डेटा 2 से 11 साल पुराना था। कुछ मामलों को नीचे दिखाया गया है:

क. मुंबई में प्रिंसेस फ्लाईओवर से वर्ली तक 35 किमी तटीय सड़क के निर्माण के लिए प्रस्तावित परियोजना को 2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने जून 2011 में तटीय सड़क के निर्माण में विभिन्न विकल्पों, की जाँच के लिए एवं पर्यावरण पर इसके प्रभाव के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति (जेटीसी) का गठन किया था। जेटीसी प्रतिवेदन जोकि ई.आई.ए. अध्ययन (2016) का एक घटक है जिसके अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए किए गए व्यापक यातायात अध्ययन के आधार पर इसे सुगम यातायात के लिए सही पाया गया। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने बिना बेसलाइन अध्ययन के अपडेट किए और इस अवधि के दौरान आसपास के प्रमुख ढ़ाँचागत विकास परियोजनाओं को बिना ध्यान रखें ही 2017 में स्वीकृति दे दी।

ख. गुजरात के भरूच जिले के दाहेज में प्रस्तावित परियोजना "पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र के विकास (पी.सी.पी.आई.आर.)" का उद्देश्य इस क्षेत्र में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित करना है। 2013 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित शर्तों के संदर्भ में अनुसार परियोजना प्रस्तावक को सतही जल गुणवत्ता विश्लेषण करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ई.आई.ए. प्रतिवेदन में परियोजना से संबंधित जल गुणवत्ता विश्लेषण डेटा 2010-11 का ही था जो बेसलाइन डेटा में 7 साल से अधिक पुराना था। इस परियोजना को भी 2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई थी।

ग. प्रस्तावित परियोजना मेसर्ज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट ऑथरिटी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक (एम.टी.एच.एल.) के निर्माण के लिए एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने 2013 में स्वीकृति दे दी। जिसमें ई.आई.ए. में मैंग्रोव, फ्लेमिंगो के प्रवास और मडफ्लैटस पर होने वाले परियोजना के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया, अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) ने आदेश दिया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को परियोजना पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने 2015 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के यहाँ आवेदन किया था और दिसबंर 2015 में ई.आई.ए. प्रतिवेदन के आधार पर परियोजना को स्वीकृति भी दे दी गई जिसमें 2011 वाले बेसलाइन डेटा से संबंधित केवल हवा, पानी, शोर, मिट्टी की गुणवत्ता का ही उपयोग किया गया था।

[21] जिसे आई.यू.सी.एन. द्वारा लुक्तप्राय प्रजातियों के रुप में वर्गीकृत किया गया।

जबकि, क्षेत्र में आनेवाली प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी 2008[22] से संबंधित थी। इस प्रकार आधारभूत डेटा 4 से 7 साल पुराना था।

(iii) ई.आई.ए. में पर्यावरण प्रभाव को पूर्णरूपेण विश्लेषित नहीं किया गया

ई.आई.ए. का उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की पूरी श्रृंखला का मूल्यांकन करना है जो परियोजना क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व के मूल्यांकन के साथ शुरू होता है। यानि परियोजना क्षेत्र में महत्वपूर्ण जैव विविधता की पहचानः पारिस्थितिक मूल्यांकन के बाद विस्तृत प्रभाव पूर्वानुमान विश्लेषण किया जाता है लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने परियोजना का अनुमोदित किया भले ही ई.आई.ए. ने परियोजना क्षेत्र में पारिस्थितिक पहलुओं को व्यापक रूप से ध्यान नही रखा। हमने यह पाया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदित 43 नमूना परियोजनाओं में से 14 परियोजना स्वीकृति (अनुलग्नक-4) के संबंध में, पर्यावरण प्रभाव अध्ययन क्षेत्र में से प्रमुख जैव विविधता की पहचान करने में विफल रहा और साथ ही अद्वितीय जैव विविधता जोखिमों को भी कम करने में असफल रहा। कुछ मामलों का नीचे प्रदर्शित किया गया।

तालिका 3.3: ऐसे मामले जहां पर्यावरण प्रभाव अध्ययन क्षेत्रों में से प्रमुख जैव विविधता की पहचान करने में विफल रहे

परियोजना	स्वीकृत	जैवविविधता का मूल्यांकन न होना/सुधार के उपाय न करना
महाराष्ट्र में मेसर्स रेडी पोर्ट लिमिटेड द्वारा रेडी पोर्ट, सिंधुदुर्ग में सुविधाओं का विस्तार	2018 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई।	परियोजना क्षेत्र में फाईटोप्लैंटंस की 56 प्रजातियां, मीठे पानी की मछलियां और मैंग्रोव की 27 प्रजातियों का घर था। ई.आई.ए. अध्ययन इन पर सुधार गतिविधियों के प्रभाव का आकलन नहीं किया।
महानगर गैस लिमिटेड, महाराष्ट्र द्वारा मुंबई में प्राकृतिक गैस पाइपलाईन का बिछाना	2018 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति	ई.आई.ए. अध्ययन में, मैंग्रोव की उपस्थिति की पहचान करने में विफल रही और उन पारितंत्रों पर परियोजना के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया।
गोवा में मोरमुगोआ पोर्ट को ट्रस्ट द्वारा एप्रोच चैनल को गहरा करना	2016 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति मिलना	तलकर्षण क्षेत्र से 4 किमी दूर ग्रांड द्वीप में न तो प्रभाव न ही लुप्तप्राय प्रजाति जैसे विंडोपेन, ओइस्टर[23], कोरल और संबंधित जीवित प्रजाति के लिए कोई सुधार योजना।

[22] सलीम अली सेंटर फार ऑर्नीथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (एस.ए.सी.ओ.एन.) द्वारा किया आकलन

[23] जिसे आई.यू.सी.एन. द्वारा लुक्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया।

		इन बायोटा को परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहचाना गया और ई.आई.ए. प्रतिवेदन का एक हिस्सा बनाया गया।

(iv) आपदा प्रबंधन को ई.ए.आई. में पूर्णरुपेन शामिल नहीं किया गया

ई.आई.ए. अध्ययनों में बड़े पैमाने पर तकनीकी और प्राकृतिक खतरों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं की तक्षण सुरुआत का आकलन शामिल है ताकि पर्यावरण क्षति को रोका जा सके और कम किया जा सके। आपदा प्रबंधन योजना प्रमुख पुर्वापेक्षाओं में से एक है जिसे परियोजना प्रस्तावक को अनुमोदन अधिकारियों को प्रस्तुत करना होता है। हमने एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा 16 परियोजनाओं की स्वीकृति **(अनुलग्नक 5)** देखी जो या तो आपदा प्रबंधन योजना से रहित थी या विशेष रुप से आपदाओं को शामिल नहीं की थी। कुछ मामलों को नीचे हाईलाईट किया गया है:

तालिका 3.4 डी.एम.पी. की अनुपस्थिति में या जब वे विशिष्ट आपदाओं के संबंधित नहीं करते है, फिर भी स्वीकृति दी गई।

परियोजना	स्वीकृति	आपदा प्रबंधन योजना में कमी
तामिलनाडू के चेन्नई में रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा खाद्य तेल ट्रांजिट टर्मिनल का पूर्णविकास	2018 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृत प्राप्त होना	परियोजना क्षेत्र बाढ़ और चक्रवात से ग्रस्त था। ई.ए.आई. में उन मुद्दों के समाधान के लिए आपदा प्रबंधन योजना शामिल नहीं थी।
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पश्चिम बंगाल द्वारा मिनी बल्क कैरियर हैंडलिंग सुविधा की स्थापना	2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति स्वीकृति	परियोजना स्थल को गंभीर तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र[24] के रुप में वर्गीकृत किया गया था। पश्चिम बंगाल एस.सी.जेड.एम.ए. की सिफारिशों के अनुसार परियोजना क्षेत्र चक्रवाती तूफानों से ग्रस्त था। परन्तु ई.आई.ए. प्रतिवेदन में इसे संबोधित करने के लिए आपदा प्रबंधन योजना नहीं थी।
कर्नाटक में न्यू मैगालोर बंदरगाह पश्चिमी डॉक आर्म में चार बर्थ का विकास	2016 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति स्वीकृति	परियोजना स्थल को बी.आई.एस. 2000, भारत के भूकंपीय मानचित्र के अनुसार जोन III में वर्गीकृत किया गया था और भूकंप, तूफान, चक्रवात और सुनामी के

24 भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) 2000, भारत का भूकंपीय मानचित्र के अनुसार

परियोजना	स्वीकृति	आपदा प्रबंधन योजना में कमी
		लिए मध्यम जोखिम वर्ग में था। आपदा प्रबंधन योजना में शमन उपायों की परिकल्पना नहीं की गई थी।

इस प्रकार, ई.आई.ए. प्रतिवेदन तैयार करने में कई कमियाँ पाई गई जैसे पुराने बेसलाईन डेटा का उपयोग, गैरमान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा बनाई गई ईआईए प्रतिवेदन आपदाओं का ध्यान न रख पाने और ई.आई.ए. में पारिस्थितिक प्रभावों की पूरी शृंखला को संबोधित करने में विफलता ने, तटीय पारितंत्र की संरक्षण की प्रक्रिया को कमजोर कर दी।

3.2 पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) में कमियाँ

ई.एम.पी. के अंतर्गत निर्माण, संचालन और विकास गतिविधि के पूरे जीवन चक्र के दौरान परियोजना की प्रत्येक गतिविधि के तहत सभी शमन उपायों के साथ-साथ लागत और परियोजना के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने का लक्ष्य शामिल है। ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अनुसार, ई.एम.पी. में यह सुनिश्चित करने के सभी प्रशासनिक पहलुओं का विवरण शामिल होना चाहिए जिनसे शमन उपायों को लागू किया जाता है और उनकी प्रभावशीलता की निगरानी की जाती है।

(i) शमन गतिविधियाँ ई.एम.पी. में शामिल नहीं थी

हमने 13 परियोजना स्वीकृतियों **(अनुलग्नक 6)** में पाया कि जहाँ मैग्रोव संरक्षण/परियोजना जैव विविधता संरक्षण योजना वर्षा जल संचयन योजना जैसी न्यूनीकरण गतिविधियाँ ई.एम.पी. का हिस्सा नही बनी क्योंकि इसे परियोजना प्रस्तावक (पी.पी.) पर छोड़ दिया गया था साथ ही हमने देखा कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने यह सत्यापित नहीं किया कि क्या यह परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्देशानुसार किया गया था या नही। कुछ मामलों को नीचे रेखांकित किया गया है।

क) तमिलनाडु के कामराजार बंदरगाह में प्रस्तावित परियोजना में कोयले के प्रहस्तन के लिए मौजुदा लौह अयस्क टर्मिनल का निर्माण संशोधन को 2018 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. नें स्वीकृति देते समय, परियोजना प्रस्तावक (पी.पी.) को आग की रोकथाम के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके आलावा पी.पी. को समुद्री और इंटरटाईडल बायोटोप्स के बायोटा की जीवों की संरचना की सूची बनाना था और एक विस्तृत समुद्री जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन योजना तैयार करना था। हालाकि, यह देखा गया कि ये गतिविधियाँ ई.एम.पी. का हिस्सा नहीं थी और परियोजना द्वारा कार्यान्वयन की लागत की गणना नहीं की गई थी।

ख) **मुंबई में सी.जेड.आर. क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजना हाई स्पीड रेलवे परियोजना** को 2019 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना की सिफारिश करते हुए**,** ईएसी ने एक विशिष्ट शर्त लगाई कि राज्य में संबंधित एजेंसी के साथ

परामर्श ठाणे क्रीक फ्लेमिगो अभयारण्य के लिए एक मजबूत संरक्षण और प्रबंधन योजना तत्काल कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना तातकालिक कार्यान्वयन के लिए बनाई जाए। तदापि, यह देखा गया कि ई.एम.पी. में इस गतिविधि के लिए किए जाने वाले व्यय के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं थी।

(ii) हमने पाया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा 9 परियोजना स्वीकृति **(अनुलग्नक 7)** में परियोजना प्रस्तावक में न तो ई.एम.पी. के लिए कोई परिमाणित विधि निर्धारित की थी और न ही ई.एम.पी. बजट में लागत विवरण का ब्यौरा दिया गया था, आगे दो मामलों में हमने पाया कि परियोजना प्रस्तावक में उन गतिविधियों की लागत शामिल नहीं थी जिन्हें शमन उपायों के एक भाग के रुप में किया जाना था।

कुछ उदाहरण नीचे हाईलाईट किए गए हैः

क) **महाराष्ट्र के मलाड में सी -.जेड.आर.l क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट** स्थापित करने वाली प्रस्तावित परियोजना को 2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। लगभग 36 हेक्टेयर मैग्रोव कवर को विक्षुब्ध करने की आवश्यकता थी और परियोजना के तहत 180 हेक्टेयर के प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता थी। सी.आर.जेड. स्वीकृति के लिए परियोजना प्रस्तावक को मैग्रोव संरक्षण योजना विकसित करने के लिए महाराष्ट्र के मैग्रोव फाउंडेशन या मैग्रोव के पुनर्वास के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान के परामर्श की आवश्यकता थी। हमने पाया कि यद्पि ई.एम.पी. में मैग्रोव की कटाई/ और पुनर्रोपण निर्धारित किया था, परन्तु उसके लिए लागत निर्धारित नहीं की गई थी।

ख) एक अन्य प्रस्तावित परियोजना **महाराष्ट्र के मुंबई तटीय सड़क का निर्माण** जिसे 2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना में लगभग 90 हेक्टेयर का सुधार शामिल था। शमन उपायों में तटीय सड़क के चारों ओर अवरोधों की स्थापना, ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन और क्षेत्र में विशेषता वाले संस्थान से क्षेत्र के लिए समुद्री जैव विविधता संरक्षण योजना तैयार करना शामिल था। हालाँकि, ई.एम.पी. में केवल परियोजना स्थल के आसपास वायु, जल, मिट्टी और ध्वनी प्रदुषण के प्रबंधन से संबंधित गतिविधियाँ शामिल थी।

ई.एम.पी. का परियोजना के पारिस्थितिक प्रभावों पूरी श्रृंखला को संबोधित करने में असमर्थता उस की प्रक्रिया को कमजोर करेगी जो यह सुनिश्चित करती है कि ये परियोजनाएँ तटीय क्षेत्र के लिए हानिकारक नहीं है।

3.3 परियोजना स्वीकृति के लिए संचयी प्रभाव अध्ययन का अभाव

परियोजना क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरुप संवर्धित प्रभावों का अध्ययन करने के लिए संचयी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन महत्वपूर्ण है। किसी क्षेत्र में परियोजनाओं के संयुक्त प्रभावों से होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के

शमन, निगरानी और प्रबंधन की सिफारिश की जा सकती है। ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अनुसार पी.पी. को उन कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करनी थी जो हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा कर सकते है य़ा जो इलाके में अन्य मौजूदा या नियोजित गतिविधियों के साथ परियोजना के संचयी प्रभाव की संभावना रखते है। हमने देखा कि 11 परियोजना स्वीकृतियों **(अनुलग्नक 8)** में संचयी प्रभाव के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसे उदाहरण नोट किए गए जहाँ परियोजना प्रस्तावक ने कोई वास्तविक संचयी प्रभाव का अध्ययन नहीं किया। नीचे कुछ मामलों पर प्रकाश डाला गया है।

क. **मधुसिलिका प्रइवेट लिमिटेड (एमएसपीएल) द्वारा एक अपशिष्ट की पाइपलाईन बिछाने की प्रस्तावित परियोजना भावनगर गुजरात** में 2015 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई थी। परियोजना में समुद्री बहाव के लिए 10 एमएलडी अपशिष्ट निपटान की परिकल्पना की गई थी, जहाँ पहले से ही चित्रा इंडस्ट्रीज एशोसियशन और भावनगर नगर निगम से 20 एमएलडी अपशिष्टों का निपटान हो रहा था। सी.पी.सी.बी. ने भावनगर को अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक समूहों में से एक के रुप में सूचीबद्ध किया था। इसके बावजूद, संचयी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए बिना परियोजना को स्वीकृति दी गई थी।

ख. दो परियोजनाओं में **अदानी पोर्ट और एसईजेड लिमिटेड द्वारा अंतरराष्ट्रीय चमड़ा परिसर और मैसर्स ह्यासिंथ्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश के द्वारा समर्पित पाइपलाईन के माध्यम** से उपचारित अपशिष्ट का समुद्री निपटान के लिए 2014 में ई.ए.सी. ने प्रस्तावित परियोजना के आसपास अन्य समुद्री बहाव की उपस्थिति पर विचार करते हुए समुद्री निपटान के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक संचयी अध्ययन की सिफारिश की। ई.आई.ए. अध्ययनों में कोई संचयी ई.आई.ए. शामिल नहीं था जिन्हें 2015 में अनुमोदित किया गया था। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले 2019 में एक अन्य दवा परियोजना, दीवी की परियोगशाला द्वारा थोक दवा कि इकाई की स्थापना में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी थी हालांकि ई.आई.ए. ने परियोजना स्थल के आसपास कई बहिर्वाह की पहचान की थी पी.पी. द्वारा कोई भी संचयी अध्ययन नहीं किया गया था। मूल्यांकन को दौरान ई.ए.सी. इसका हल करने में असफल रही।

क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं की नजर में, परियोजनाओं के संचयी प्रभावों को दूर करने में विफलता से तटीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए जोखिम बढ़ जाएगा।

3.4 परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का सत्यापन न करना

हमने परियोजना अनुमोदन के तीन मामले देखे जहाँ एम.सी.एवं सी .एफ.ई.ओ. निजी सलाहकारों द्वारा दी गई सलाह की सत्यता को सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र प्रयास करने में विफल रहा। एमओईएफ एवं सीसी परियोजना की गतिविधियों के कारण संभावित पारिस्थितिकी जोखिमों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर ही निर्भर था। यह ध्यान देना चाहिए कि कुछ परियोजना स्वीकृति के बाद भी एनजीटी द्वारा यह जानने पर रद्द कर

दी गई थी कि पी.पी. ने स्वीकृति के लिए अनुरोध करते समय जानबूझ कर महत्वपूर्ण जानकारी को दबा दिया था।

क. **मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट ऑथरिटी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक (एम.टी.एच.एल.) प्रस्तावित परियोजना** को 2013 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकेत मिलता है कि मैंग्रोव का क्षेत्र और परियोजना के तहत प्रभावित मडफ्लैट 0.18 हेक्टेयर था। महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रवधान प्रधिकरण (एम.सी.जेड.एम.ए.) की सिफारिश के अनुसार प्रभावित क्षेत्र 0.99 हेक्टेयर (सेवरी में 0.06 हेक्टेयर और चिरले में 0.93 हेक्टेयर था। उस परियोजना में 38.58 हेक्टेयर मैंग्रोव क्षेत्रों के साथ-साथ 8.8416[25] हेक्टेयर वन भूमि का परिवर्तन शामिल था। एन.जी.टी. द्वारा यह भी देखा गया था कि पी.पी. (परियोजना प्रस्तावक) द्वारा मडफ्लैट और फ्लैमिंगों से मुक्त तटीय पारितंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन नहीं किया गया था। इस प्रकार एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा दी गई स्वीकृति को अक्तूबर 2015 में उस आधार पर हद्द कर दिया गया था कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया गया था। परियोजना पर नए सिरे से विचार किया गया और दिसंबर 2015 में स्वीकृति दी गई।

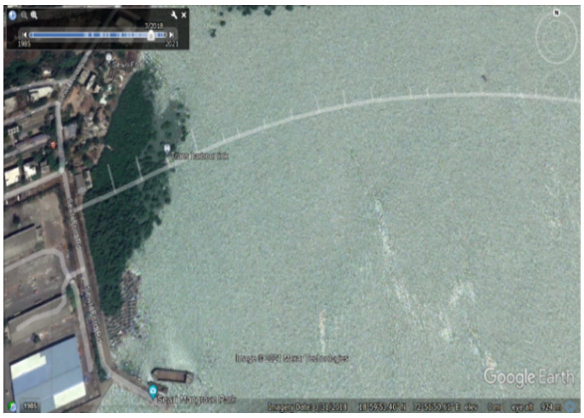

चित्र 2: 2018 में सेवारी क्षेत्र में मैंग्रोव

चित्र 3: 2021 में सेवारी क्षेत्र में मैंग्रोव

ख. एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा 2017 में **गुजरात के मीठापुर में कच्छ की खाड़ी में उपचारित अपशिष्ट अपवहन पाइपलाईन बिछाने के लिए प्रस्तावित परियोजना मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड** को स्वीकृति दी गई। ई.ऐ.सी. के अनुसार पोशित्रा खाड़ी जोकि अपशिष्ट निर्वहन बिंदु से सटे क्षेत्र के रुप में जाना जाता था जो गंभीर रुप से लुप्तप्राय डुगौंग प्रजातियों[26] का अंतिम शेष चारागाह बचा था। पोशित्रा गंभीर रुप से लुप्तप्राय मोलोस्स[27] के लिए एक स्थानीक स्थल भी था। ई.आई.ए. अध्ययनपरियोजना स्थ ,ल के आसपास समुद्री जीवों के बारे में मूक रहा और ई.आई.ए .प्रतिवेदन में केवल उतना कहा गया था कि समुद्री सरीसृप और

[25] 2013 में श्री दिलीप बी.नेवतिया द्वारा एनजीटी में दायर अपील के अनुसार

[26] पश्चिमी भारतीय आबादी कच्छ की खाड़ी के इस हिस्से तक ही सीमित थी।

[27] जैसे सकुराओलिस गुजरातिका और एंटेयोलिडएला पोशित्रा

खाड़ी के लिए आम स्तनधारी निर्माण कार्य गतिविधियों के कारण प्रभावित नहीं होगें क्योंकि वे ऐसे स्थलो से दूर रहते है। यह भी देखा गया था कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने परियोजना प्रस्तावक के दावे को स्वीकार कर लिया और महत्वपूर्ण तथ्यों को स्तयापित करने के लिए पर्यवरणीय प्रभाव विश्लेषण की सिफारिश नहीं की।

ग. **गुजरात के दहेज में अदानी पेट्रोनेट पोर्ट के विस्तार** की प्रस्तावित परियोजना में 23 हेक्टेयर इंटरटाइडल मडफ्लैट्स का सुधार शामिल है। वे प्रचुर मात्रा में अंक शारुकी जीवों के साथ उच्च जैविक उत्पादन वाले क्षेत्र है जो प्रवासी पक्षियों के लिए भोजन प्रदान करते है। उसके अलावा वे कई मछली प्रजातियों के लिए प्रजनन क्षेत्र के रुप में कार्य करते है। हालंकि उस परियोजना के ई.आई.ए. अध्ययन में कहा गया कि परियोजना क्षेत्र में मडफ्लैट जैविक रुप से निषक्रिय थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने परियोजना प्रस्तावक की राय को मान लिया और स्वतंत्र रुप से उस मुद्दे की जाँच नहीं की और 2016 में स्वीकृति दे दी।

इस प्रकार, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. की और से तटीय पारितंत्र के संरक्षण के लिए महत्वपुर्ण जानकारी को सत्यापित नहीं करने से उसका संरक्षण प्रभावित होगा।

3.5 जन सुनवाई की प्रक्रिया में कमियाँ

जन सुनवाई परियोजना से सीधे प्रभावित लोगों को पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। सार्वजनिक परामर्श नई जानकारी प्रदान कर सकता है, समझ में सुधार कर सकता है और ई.आई.ए. प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में मदद कर सकता है। ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 को आकर्षित करने वाली परियोजनाओं के लिए जनसुनवाई आयोजित की जाती है। हमने परियोजना अनुमोदन के पाँच मामले देखे **(अनुलग्नक-9)** जहाँ परियोजना प्रस्तावक सार्वजनिक परामर्श के संबंध में विभिन्न प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे।

कुछ मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन इस प्रकार है**:**

क. 2019 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदित नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोलेशन लिमिटेड द्वारा हाई-स्पीस रेलवे कॉरिडोर की प्रस्तावित परियोजना गुजरात**,** दादरा और नगर हबेली और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरी। इस परियोजना के लिए उन राज्यों में 12 स्थानो पर जन सुनवाई अयोजित की गई थी। यह भी देखा गया कि सभी 12 स्थानों में जन सुनवाई के लिए सूचना की अवधि 03 से 15 दिनों[28] के बीच थी, जिसकी सूचना केवल एक स्थानीय समाचार[29] पत्र में प्रकाशित करवाई गई थी। जन सुनवाई में ठाणें पक्षी अमयारण्य के ग्रेटर फ्लेमिंगो पर कंपन के प्रभाव के संबंध में उठाए गए मुद्दों के जवाब में परियोजना

[28] 30 दिनों की न्यूनतम नोटिस अवधि प्रदान करने के लिए

[29] एक राष्ट्रीय पेपर और 1 स्थानीय भाषा का पेपर

प्रस्तावक ने कहा कि निर्माण गतिविधियाँ के कारण होने वाले कंपन का फलेमिगों पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि जब ई.ए.सी. द्वारा समान चिंता व्यक्त की गई तो परियोजना प्रस्तावक ने जबाव दिया कि कंपन के प्रभाव को तभी समझा जाएगा जब साइट का काम शुरु होगा। जन सुनवाई में दी गई जानकारी और ई.ए.सी. बैठक के दौरान दी गई जनकारी के बीच के बेमेल को लेखापरीक्षा द्वारा नोट किया गया था।

ख. 2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा हल्दिया डॉक काम्पलेक्स में मिनी बल्क कैरियर हैंडलिंग सुविधा की स्थापना के लिए प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृति दे दी। यह देखा गया कि एस.पी.सी.बी. और बंदरगाह प्राधिकरणों के अलावा 46 व्यक्ति ने जन सुनवाई में भाग लिया था। हालाँकि, ई.आ.ई.ए. प्रतिवेदन में सुनवाई के दौरान उठाए गए स्थानीय समुदायों की कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं थी।

जन सुनवाई की प्रक्रिया में कमियाँ, जो स्थानीय समुदाय के प्रभाव पर मूल्यवान इनपुट प्रदान करती है, समानता और सतत विकास के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगी।

3.6 पारिस्थितिक रुप से संवेदनशील क्षेत्रों पर उचित ध्यान दिए बिना परियोजनाओं को स्वीकृति देना

परियोजना स्वीकृति की जाँच के दौरान, हमने दो उदाहरण देखे जहाँ परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास पारस्थितक रुप से संवेदनशील क्षेत्र की उपस्थिति पर ध्यान दिये बिना स्वीकृति दी गई थी। उनमें से कुछ मामलों का उदाहरण नीचे दिया गया है।

तालिका 3.5: परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास जहाँ पारिस्थितिक रुप से संवेदनशील क्षेत्र की उपस्थिति पर ध्यान नही दिया गया।

परियोजना	स्वीकृत	संवेदनशील क्षेत्र नहीं माना गया
टी.आर.आई.एफ. कोच्यि परियोजनओं द्वारा कोचीन आवासीय विकास परियोजना	2016 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति	यह पया गया कि हालांकि मंगलावनम पक्षी अभयारण्य परियोजना से 400 मीटर की दूरी भीतर स्थित था, जहाँ एन.बी.डब्ल्यू.एल. से स्वीकृति की आवश्यकता थी क्योंकि यह पारिस्थितिक क्षेत्र के 10 किमी. के अन्दर था। हालांकि यह नही ली गयी।
भारत पेट्रोलियम क़ॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र द्वारा मुंबई मनमाड पाइपलाईन परियोजना	2015 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति	यह पाया गया कि 3.17 हेक्टेयर मैंग्रोव को फिर से लगाया जाना था, लेकिन कोई पुनर्रोपण नहीं किया गया।

इस तरह कि स्वीकृति उन नाजुक और संवेदनशील क्षेत्रों के पारितंत्र संतुलन को प्रभावित करेगी।

3.7 राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृति और सिफारिशों का अनियमित अनुदान।

3.7.1 एस.सी.जेड.एम.ए. ने परियोजनाओं को स्वीकृति देने के अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया

क. एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने (दिसंबर 2012) में निर्धारित किया कि यदि पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता वाली परियोजना कोई वन्यजीव अभयारण्य य़ा राष्ट्रीय उद्यान[30] के आसपास पर्यावरण संवेदन क्षेत्र के भीतर स्थित रहे तो पी.पी. (परियोजना प्रस्तावक) का राष्ट्रीय वन्यजीन बोर्ड की पूर्ण स्वीकृति लगेगी। हमने पाया कि **तमिलनाडु में कूंडुकल फिशिंग हार्बर की स्थापना** कुरुशादाई द्वीप से 1 कि.मी. के भीतर स्थित थी, जो मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी के कोर क्षेत्र का एक हिस्सा था। जिसमें एन.बी.डब्ल्यू.एल. की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही गतिविधियाँ की जा सकती है। हालांकि तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. ने एन.बी.डब्ल्यू.एल. से बिना पूर्व स्वीकृति के ही 2018 में परियोजना के लिए सी.आर.जेड. स्वीकृति दे दी।

ख. 2015 में कर्नाटक के एस.सी.जेड.एम.ए. ने अगनाशिनी नदी के मुहाने के बाएँ किनारे के साथ 7.76 कि.मी. लंबे तटबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से एक परियोजना को सी.आर.जेड. स्वीकृति दे दी। हालांकि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र पारिस्थितिक रुप से संवेदनशील क्षेत्र (सी.आर.जेड.-I) में आता था, यह पाया गया कि एस.सी.जेड.एम.ए. के द्वारा ई.आई.ए. या पर्यावरण जलीय जीवन और मैंग्कोव पर प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किए बिना ही स्वीकृति दे दी गई थी। एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा स्वीकृति देना अनियमित था क्योंकि एस.सी.जेड.एम.ए. केवल स्वीकृति के लिए सिफारिश कर सकते थे क्योंकि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी./एस.ई.आई.ए.ए. अनुमोदन निकाय है।

3.7.2 अनिवार्य दस्तावेज जमा किए बिना परियोजना की स्वीकृति

हमने 46 परियोजना के अनुमोदन को जाँच किया और उसमें पाया गया कि जहाँ प्रस्तावक अनिवार्य दस्तावेज जैसे ई.आई.ए. प्रतिवेदन, आपदा प्रबंधन प्रतिवेदन प्रतिवेदन, जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन, सी.आर.जेड. मानचित्र, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र, मलजल व अपशिष्टों के निर्वहन, आदि कार्य के लिए ये सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे। जैसा कि (अनुलग्नक 10) में दिया गया है। कुछ मामलों का उदाहरण नीचे दिया गया हैः-

क. **चेन्नई के तिरूवोत्तियूर में तमिलनाडु सरकार के मत्स्य पालन विभाग, द्वारा प्रस्तावित परियोजना टूना फिशिंग हार्बर का निर्माण** को 2017 में तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. ने स्वीकृत दे दी। इस परियोजना का उद्देश्य चेन्नई में मछली पकड़ने एवं प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं

[30] इसकी सीमाओं से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर या ऐसे क्षेत्र के परिसीमन के अभाव में,

तैयार करना है। परियोजना प्रस्तावक की ई.आई.ए. प्रतिवेदन से पता चला कि इस परियोजना में विलवणीकरण संयंत्र का निर्माण करना, समुद्र के पानी का इनटेक, उपचारित बहिस्रावों का निर्वहन, समुद्र में आर.ओ. रिजेक्ट शामिल था। एस.सी.जेड.एम.ए. ने अपनी स्वीकृति में पोत धोने से सीवेज और व्यापार अपशिष्ट के उपचार के लिए पर्याप्त क्षमता के ई.टी.पी. का प्रावधान निर्धारित किया था, साथ ही यूनिट को बंदरगाह में मछली पैकिंग सुविधा से अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करने की सलाह दी गई थी। इसने एस.पी.सी.बी. से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना आवश्यक था। हालांकि हमने देखा मौजूदा मामले में इसे नहीं लिया गया था।

ख. **गुजरात के भावनगर जिले के कलातलाव एवं नर्मदा गाँव में स्थित प्रस्तावित परियोजना अतिरिक्त नमक निर्माण (2395.15 एकड़)** को 2017 में एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा स्वीकृति दी गई। हमने देखा कि अनिवार्य दस्तावेजों की अनुपस्थिति में ही स्वीकृति दी गई थी जिनमें कुछ इस प्रकार है समुद्री ई.आई.ए. प्रतिवेदन और स्थलीय घटक, जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन, पर्यावरण प्रबंधन योजना अधिकृत एजेंसी द्वारा चिन्हित एच.टी.एल./एल.टी.एल. के साथ सी.आर.जेड. मानचित्र जो अत्यधिक अनियमित था।

अपने अधिकार से अधिक और अनिवार्य दस्तावेजों के बिना परियोजना अनुमोदन प्रदान करने से अनुमोदन तंत्र में रखी गई जाँच कमजोर हो जाएगी और इस प्रकार, तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण में बाधा उत्पन्न होगी।

3.8 विशिष्ट परियोजनाओं की अनुमति के लिए सी.आर.जेड. अधिसूचना में संशोधनः-

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने महाराष्ट्र राज्य में दो विशिष्ट विकास परियोजना की अनुमति देने के लिए सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 में संशोधन किया, उन परियोजनाओं पर नीचे चर्चा की गई है।

क. **मुंबई में ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एम.सी.जी.एम.) द्वारा एक तटीय सड़क के निर्माण के लिए परियोजना** को 2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई थी। परियोजना को सी.आर.जेड.- I क्षेत्र में भूमि के सुधार की आवश्यकता थी जो सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 प्रावधानों के अनुसार अनुमेय नहीं थी इसलिए महाराष्ट्र के एस.सी.जेड.एम.ए. के प्राप्त एक सिफारिश के आधार पर एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने सी.आर.जेड. क्षेत्र में सुधार के माध्यम से सड़क के निर्माण की अनुमति देते हुए 2015 में सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 में संशोधन किया।

ख. **नरीमन पाईंट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा एवं स्मारक** के साथ-साथ कला संग्रहालय एम्फीथियेटर, प्रदर्शनी गैलरीस समुद्री एक्वेरियम तटीय/समुद्री संसाधन व्याख्या केन्द्र कैफेटेरिया, शौचालय, चिकित्सा, सुविधाएँ, स्टॉल और कार्यालय के निर्माण की परियोजना की योजना थी। महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने 2014 में सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के तहत एक विशेष व्यवस्था के रूप में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को

परियोजना की सिफारिश की। मामलो के आधार पर सी.आर.जेड क्षेत्र- IV (जिसमें निम्न ज्वार रेखा से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक जल क्षेत्र शामिल है) के अंतर्गत आता है। लेकिन लेखापरीक्षा जाँच में परियोजना की ई.आई.ए. प्रक्रिया में कमियों का खुलासा हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि ई.आई.ए. गैर-मान्यता प्राप्त सलाहकार द्वारा तैयार किया गया था। और ई.आई.ए. में परियोजना स्थल के व्यापक पारिस्थितिक मूल्यांकन का अभाव था। इसके अलावा, हालाँकि परियोजना में ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अनुसार मूल्यांकन होना था, इसे जनसुनवाई से छूट दी गई और 2015 में पर्यावरण स्वीकृति दी।

विशिष्ट परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए सी.आर.जेड .अधिसूचना में संशोधन न केवल एक बुरी मिसाल कायम करता है बल्कि तटीय पारितंत्र के संरक्षण के प्रयासों को विफल करता है।

3.9 ई.आई.ए. अधिसूचना में प्रमुख बुनियादी रूपरेखा में आनेवाली परियोजना श्रेणियों को शामिल न किया जाना

सी.आर.जेड. अधिसूचना के प्रावधानों के लिए उन परियोजनाओं की आवश्यकता है जो ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 और सी.आर.जेड. अधिसूचना दोनो का पालन करती है लेकिन ई.आई.ए. अधिसूचना के तहत अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। हालांकि ई.आई.ए. अधिसूचना 2006, सभी प्रकार के विकास परियोजनाओं को व्यापक रूप से शामिल नहीं करती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रकृति और संरचना के पैमाने से परियोजनाओं ने सी.आर.जेड. स्वीकृति के अलावा व्यापक ई.आई.ए. मूल्यांकन को शामिल किया है हालांकि इन परियोजनाओं को ई.आई.ए. की बहुस्तरीय प्रक्रिया से गुजरे बिना ही अनुमोदित किया गया था। परियोजना अनुमोदन तंत्र में इस अंतर के परिणामस्वरूप संदर्भ की शर्तों और सार्वजनिक परामर्श के बिना परियोजना के स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजनाओं पर नीचे चर्चा की गई हैः-

क. मुंबई की तटीय सड़क: जो सड़क का निर्माण नगरपालिका करती है वो ई.आई.ए. अधिसूचना को पालन करने वाली परियोजना की किसी भी श्रेणी में नही आता है। प्रस्तावित परियोजना मुंबई तटीय सड़क को 2017 में सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार, वो परियोजना जिसमें अन्यथा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रसंग था, जन सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण चरण को दरकिनार कर दिया क्योंकि सी.आर.जेड. अधिसूचना अनुमोदन प्रक्रिया में सार्वजनिक परामर्श प्रदान नहीं करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिसूचना के नियक 4(ई) में परिकल्पना की गई है कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. एक विशिष्ट या सामान्य आदेश के तहत उन परियोजना को निर्दिष्ट कर सकता है जिनके लिए परियोजना प्रभावित लोगों की पूर्व सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता होती है।

ख. मुंबई ट्रांस-हार्बर सी लिंक (एम.टी.एच.एल.): प्रस्तावित परियोजना से सेवरी और चिरले के बीच मुंबई हार्बर पर 22 किमी लंबे सड़क पुल का निर्माण शामिल है। पुल सी.आर.जेड.-I क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसमे मडफ्लैट्स (सेवरी और शिवाजी नगर में) मैग्रोव एवं एक फ्लैमिंगो प्रजनन स्थल शामिल थे। परियोजना को ई.आई.ए. अधिसूचना 1994 और सी.आर.जेड.

अधिसूचना 1991 के तहत 2005 में पर्यावरण स्वीकृति दी गई थी। चूँकि परियोजना का काम निर्धारित समयावधि में शुरू नही हो पाया था इसलिए ई.सी. की समय सीमा समाप्त हो गई थी। 2015 में परियोजना को सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति दी गई थी। परियोजना ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के प्रावधानों का पालन नहीं करती थी क्योंकि स्टैंडअलोन पुल ई.आई.ए. अधिसूचना की किसी भी श्रेणी में नही आते थे। इसके परिणाम स्वरूप टी.ओ.आर. और सार्वजनिक परामर्श के बिना परियोजना को स्वीकृति दी गई, हालांकि इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण पुर्नवास और स्थानीय निवासियों का पुर्नवास शामिल था। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें ये है कि स्टैंडअलोन पुलों को अब ड्राफ्ट ई.आई.ए. अधिसूचना 2020 में जगह मिल गई, हालांकि निर्मित क्षेत्र >= 1,50,000 वर्गमीटर या 15 हेक्टेयर वाले पुलों को इस परियोजना को बी2 श्रेणी में रखा जाएगा अब इसकी स्वीकृति के लिए केवल दो प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी अर्थात पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करना और एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा इसका मूल्यांकन करना अतः परियोजना को अभी भी व्यापक तरीके से नहीं माना जाएगा क्योंकि सार्वजनिक परामर्श और ई.आई.ए. प्रतिवेदन तैयार करने जैसी मुख्य प्रक्रिया को छोड़ दिया जाएगा।

3.10 निष्कर्ष

- एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. मंत्रालय के परियोजना अनुमोदन तंत्र में कमियां थी। ई.आई.ए. अध्ययनों में समग्र पारिस्थितिकी मूल्यांकन का अभाव था जिससे प्रमुख पारिस्थितिकी जोखिमों को पहचान करने और संभावित पारिस्थितिकी प्रभावों को कम करने में वह असफल रहे। परियोजना प्रस्तावकों को स्वीकृति दी गई हालांकि परियोजनाएं संवेदनशील वनस्पतियों और जीवों पर प्रभाव को संबोधित करने में विफल रही।
- संचयी प्रभाव मूल्याकंन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप परियोजना क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रभावों एवं संयुक्त प्रभावों का अध्ययन किए बिना परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
- एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. यह सुनिश्चित करने में विफल रही कि परियोजना प्रस्तावकों ने ई.एम.पी. के लिए बजट निर्धारित किया था।
- मंत्रालय नें प्रस्तावक/ई.आई.ए. अध्ययनों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का स्वतंत्र सत्यापन किए बिना परियोजना प्रस्तावक पर विश्वास किया।
- ऐसे मामले भी थे जहां एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने व्यक्तिगत परियोजनाओं के अनुमोदन की सुविधा के लिए सी.आर.जेड. अधिसूचना में संशोधन किया था। पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई तकनीकी अध्ययन किए बिना किए गए संशोधन ने पूरे समुद्र तट को प्रभावित किया।

- इस प्रकार परियोजना की स्थापना के लिए स्वीकृति देने की प्रक्रिया पूरी तरह से सुनिश्चित नही कर पाई थी जिससे प्रस्तावित परियोजनाओ का तटीय पारिस्थितिकी पर हानिकारक प्रभाव न पड़े।

अध्याय 4: सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुमोदन के बाद अनुवीक्षण तथा प्रवर्तन

किसी विकास योजना की स्थिरता के लिए अनुवीक्षण एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यह किसी पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अभिन्न घटक है। अनुमोदन पश्चात परियोजना का अनुवीक्षण, लागू किए गए न्यूनीकरण उपायों के परिणाम को जानने और समस्याओं के सामने आने की स्थिति में उन्हें कम करने में मदद करता है।

4.1 अनुमोदन पश्चात अनुवीक्षण की प्रभावशीलता

हमने स्थल सत्यापन के माध्यम से अनुमोदित परियोजनाओं में अनुमोदन के बाद अनुवीक्षण की प्रभावशीलता के तंत्र की जांच की तथा एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा निर्धारित शर्तों और एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. दी गई अनुमोदनों की जांच की। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के क्षेत्रीय कार्यालयों को स्वीकृति पत्र में अनुबंधित शर्तों के अनुपालन के अनुवीक्षण का उत्तरदायित्व निरुपित है। परियोजना प्रस्तावकों को क्षेत्रीय कार्यालयों को अर्ध-वर्षीय अनुपालन प्रतिवेदन तथा वार्षिक पर्यावरण विवरण जमा करनी होती है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्थापना/संचालन की सहमति के समय पर दी गई शर्तों के अनुपालन का अनुवीक्षण करना होता हे।इस संबंध में हमारे अवलोकन अग्रवर्णित अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

4.1.1 अनुमोदनों में अनुबंधित शर्तों का गैर अनुपालन

हमने यह देखा कि 18 परियोजनाओं **(अनुलग्नक 11)** में परियोजना प्रस्तावक, अनुमोदनों में अनुबंधित शर्तों के अनुपालन तथा अनुमोदन के लिए एस.सी.जेड़.एम.ए. द्वारा अनुशंसित शर्तो का पालन करने में असफल रहे। कुछ मामलों का नीचे व्यख्यान किया गया है।

क. ट्रोपिकाना लिक्विड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण टर्मिनल, कर्नाटक बंदरगाह के निर्माण की प्रस्तावित परियोजना को 2015 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा मंजूरी दी गई थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अनुमोदन प्रदान करते समय माँगी गई तेल रिसाव आकस्मिक योजना तैयार तथा तेल रिसाव को रोकने के लिए समर्पित नावों की तैनाती नहीं की गई थी। पाइपलाइन में रिसाव की पहचान करने और तुरंत पंपिंग को बंद करने के लिए आवश्यक कंप्यूटरीकृत एस.सी.ए.डी.ए. (सुपरवाईजरी कंट्रोल एवं डेटा ऑटोमेशन) प्रणाली भी परियोजना स्थल पर उपलब्ध नहीं थी। परियोजना प्रस्तावक ने अनुमोदन प्राप्त करते समय एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अलग पर्यावरण प्रबंधन सेल की स्थापना भी नहीं की थी।

ख. चेन्नई रिवर्स रेस्टोरेशन ट्रस्ट, तमिलनाडु द्वारा प्रस्तावित परियोजना इंट्रीग्रेटेड कूवम रिवर रेस्टोरेशन परियोजना को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा वर्ष 2017 में मंजूरी दी गई थी। तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा कूवम नदी की 5,08,177 क्यू.मी. गाद निकालने की इजाजत दी गई थी। साथ ही एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. द्वारा यह शर्त भी रखी गई थी

कि निकर्षण के माध्यम से उत्पन्न गाद को सी.आर.जेड. क्षेत्र के बाहर डाला जाएगा। मेडबंदी और परिदृश्य परिवर्तन भी निषिद्ध थे। हमने यह पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने 8,94,757 क्यू.मी. का गाद निकाला गया तथा इस प्रकार उत्पन्न गाद का 40 प्रतिशत ही डंपयार्ड में भेजा गया। बची हुई गाद को नदी के किनारे जमा दिया गया जिसके चलते मेड निर्मित हो गए जिससे परिदृश्य प्रभावित हुआ।

ग. टी.आर.आई.एफ. कोच्चि परियोजना प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित कोचिन आवासीय परियोजना को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा वर्ष 2016 में मंजूरी दी गई। पर्यावरण स्वीकृति के अनुसार उच्च ज्वार लाईन के 0-200 मी. के क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया जाना था। हमने यह पाया कि संपूर्ण परियोजना एच.टी.एल. के 200 मी. के अंदर पूरी की गई थी। सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के अनुसार भूजल की निकासी की अनुमति केवल पीने की आवश्यकताओं, बागवानी और मत्स्य पालन के लिए सामान्य कुंओं से हाथ द्वारा निकालने की थी, जहां पानी का कोई और स्त्रोत उपलब्ध ना हो। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए जल नलकूप के माध्यम से निकाला गया था।

घ. एम.एम.आर.डी.ए. महाराष्ट्र द्वारा एक प्रस्तावित परियोजना मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक को 2016 में मंजूरी दी गई थी जिसका उद्देश्य 47.410 हेक्टेयर वन भूमि को डायवर्ट करना था। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई कि महाराष्ट्र सरकार को एविफौना के लिए वैकल्पिक आवास बनाना होगा जिनके घोसलों वाले पेड़, परियोजना निर्माण के लिए हटा दिये गए थे। परियोजना के लिए हटाए किए जा रहे वन क्षेत्र और वन क्षेत्र से सटे मानव बस्तियों में पर्यावरण अनुकूल सामग्री से कृत्रिम घोंसलों का उपयोग किया जाना था। हमने देखा कि परियोजना के लिए 669 पेड़ हटाए गए थे, लेकिन प्रभावित एविफौना के लिए वैक्लिपक आवास तैयार नहीं किया गया था।

इस प्रकार, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी और इसके क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करने में असफल रहे कि परियोजना प्रस्तावक मंजूरीयों में वर्णित शर्तों का पालन करते हैं। इन प्रमुख शर्तों के गैर-अनुपालन से परियोजना के आसपास के पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और साथ ही एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से अक्षम अनुवीक्षण को दर्शाता है।

4.1.2 अनिवार्य प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न करना

जिन परियोजनाओं को ई.आई.ए./सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत मंजूरी दी गई है, उनके लिए मंजूरी पश्चात अनुवीक्षण तंत्र पर्यावरण मंजूरी के निर्धारित नियमों और शर्तों के संबंध में अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है। इन्हें एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाता है जिससे विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा अनुवीक्षण के लिए आधार तैयार किया जा सके।

(i) अर्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने देखा कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृत 13 मामलों **(अनुलग्नक 12)** में परियोजना प्रस्तावक इन रिपोर्टों को समय-समय पर प्रस्तुत करने में असफल रहे। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी., मंजूरी प्रदान करते समय एक शर्त यह रखता है कि अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में मंजूरी को रद्द करने का अधिकार उसके पास है। हालांकि, लेखापरीक्षा को ऐसा कोई मामला नहीं मिला जहां एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक पर कोई कार्रवाई शुरू की हो।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने आश्वासन दिया (फरवरी 2022) कि मंत्रालय, परियोजना प्रस्तावकों द्वारा छमाही निगरानी प्रतिवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत कराने की योजना बना रहा है।

(ii) वार्षिक पर्यावरण विवरण को प्रस्तुत न करना

अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, प्रस्तावक को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक पर्यावरण विवरण प्रस्तुत करना होता है। यह देखा गया कि यह विवरण हवा और पानी की गुणवत्ता के सामान्य मुद्दों से संबंधित था और इसमें परियोजना के लिए विशिष्ट विवरण शामिल नहीं थे। यह भी देखा गया कि 2015-20 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई 43 नमूना परियोजनाओं में से 17 परियोजनाओं **(अनुलग्नक 13)** के लिए अनिवार्य वार्षिक पर्यावरण विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(iii) परियोजना शुरू होने से पहले सी.टी.ओ./सी.टी.ई. प्राप्त नहीं किया गया

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के अनुसार, सभी उद्योगों और स्थानीय निकायों को किसी भी घरेलू सीवेज या व्यापार अपशिष्ट को पानी, नाले, कुएं, सीवर या भूमि पर छोड़ने के लिए स्थापना की सहमति (सी.टी.ई.) तथा किसी भी नई इकाई की स्थापना के लिए या निर्माण गतिविधियों को करने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त करना होता है तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पहले इकाइयों को संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) की भी आवश्यकता होती है।

हमने पाया कि सीआरजेड क्षेत्रों **(अनुलग्नक 14)** में 13 परियोजनाएं, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई सीटीई या सीटीओ प्राप्त किए बिना शुरू हो गई थीं। इसके अलावा, किसी भी परियोजना प्रस्तावक को इस अधिनियम की धारा 25 का उल्लंघन करने पर दंडित नहीं किया गया था, जिसके अंतर्गत कम से कम एक वर्ष और छह महीने के कारावास, जो छह साल तक हो सकता है और जुर्माना हो सकता है।

इस प्रकार, परियोजना समर्थकों द्वारा परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में आवश्यक जानकारी ना दिए जाने के कारण मंजूरी के बाद अनुवीक्षण की प्रणाली प्रभावित हुई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने उदाहरण देखे कि जहां परियोजना प्रस्तावकों द्वारा मंजूरी शर्तों का पालन नहीं किया गया था, जो एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रभावी ढंग

से अनुवीक्षण करने में विफलता को दर्शाता है। ये कमियां नियामक एजेंसियों की अनुमोदित परियोजनाओं के परिणामस्वरूप तटीय पर्यावरण पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव पर ध्यान देने और रोकने की क्षमता को कम कर देंगी।

4.2 सी.आर.जेड. प्रावधानों का प्रवर्तन

सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 एस.सी.जेड.एम.ए. को अनुमति योग्य परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश करने और उनके आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने, यदि उल्लंघन कोई हो तो और संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने के लिए अधिकृत करती है। लेखापरीक्षा ने एस.सी.जेड.एम.ए. और डी.एल.सी. द्वारा सी.आर.जेड. प्रावधानों के प्रवर्तन की समीक्षा की और ऐसे उदाहरण देखे जहां एस.सी.जेड.एम.ए., सी.आर.जेड. उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे। साथ ही, डी.एल.सी. उल्लंघनों की पहचान करने और एस.सी.जेड.एम.ए. को इसकी रिपोर्ट करने में विफल रहे। लेखापरीक्षा ने राज्यों में सी.आर.जेड. उल्लंघनों[31] की छँटनी की और उनकी स्थिति की समीक्षा की और इस संबंध में टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है।

4.2.1 सी.आर.जेड. 1 क्षेत्रों में अनियमित विकास गतिविधियां

(i) ओलिव रिडले कछुओं के नेस्टिंग स्थलों पर निर्माण

लेखापरीक्षा ने ओडिशा के पुरी जिले के बांगर में स्थित सी.आर.जेड. 1ए क्षेत्र में एक जेल परिसर के अनियमित निर्माण को देखा। यह निर्माण बालुखंड-कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य के अंदर हुआ था, जिसमें समुद्र तटों पर ओलिव रिडले कछुए के नेस्टिंग स्थल भी हैं। नीचे दिए गए चित्र क्षेत्र के लिए स्वीकृत सी.जेड.एम.पी. और लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त उपग्रह छवियों को दिसंबर 2020 में दर्शाते हैं।

[31] पैरा में रिपोर्ट किए गए उल्लंघन के मामले दो प्रकार के हैं। पहला प्रतिवेदित उल्लंघन, जिसमें एस.सी.जेड.एम.ए. को शिकायत की गई थी और लेखापरीक्षा ने एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया था, जिसका उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है जहाँ भी जरुरत थी। ,दूसरे प्रकार के अप्रतिवेदित उल्लंघन हैं जहां ऑडिट ने जी.आई.एस. उपकरणों का उपयोग करके अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. के साथ अनियमित निर्माण की उपग्रह छवियों की तुलना की है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वे निषिद्ध क्षेत्रों में हैं या नहीं।

चित्र 4: बालूखंड अभयारण्य और कछुआ अभ्यारण्य के आसपास के तट के लिए सी.जेड.एम.पी., हरे रंग की छाया में सी.आर.जेड. 1ए क्षेत्र को दर्शाता है और अनियमित निर्माण को लाल रंग में चिह्नित किया गया है

इसके अलावा, नीचे लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त किए गए उपग्रह चित्र इंगित करते हैं कि 2011 में क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं हुआ था।

चित्र 5: जेल परिसर के निर्माण से पहले के क्षेत्र की उपग्रह चित्र (अक्टूबर 2011) लाल चिन्हित क्षेत्र के भीतर खाली जमीन दिखा रही है।

चित्र 6: लाल चिह्नित क्षेत्र के भीतर बांगर में जेल परिसर की उपग्रह चित्र (दिसंबर 2020)

ii) तमिलनाडु के पट्टीपुलम में सी.आर.जेड. 1 क्षेत्र में रेसट्रैक का अनियमित निर्माण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.आर.जेड. 1 क्षेत्र में पट्टीपुलम, चेन्नई में एक रेसट्रैक का निर्माण किया गया था। नीचे दिए गए आंकड़े क्षेत्र के लिए अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. और क्षेत्र के लिए ऑडिट द्वारा मार्च 2021 में प्राप्त उपग्रह छवियों को दर्शाते हैं। अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. के अनुसार वह क्षेत्र जहां रेसट्रैक का निर्माण किया गया है (लाल से चिन्हित) कुछ सी.आर.जेड़ 1ए क्षेत्र तथा कुछ नो डेवलपमेन्ट जोन में आता है। लेखापरीक्षा द्वारा मार्च 2021 मे लिए गए उपग्रह चित्र प्रतिबंधित क्षेत्र में रेसट्रैक के अनियमित निर्माण की उपस्थिति को इंगित करते हैं।

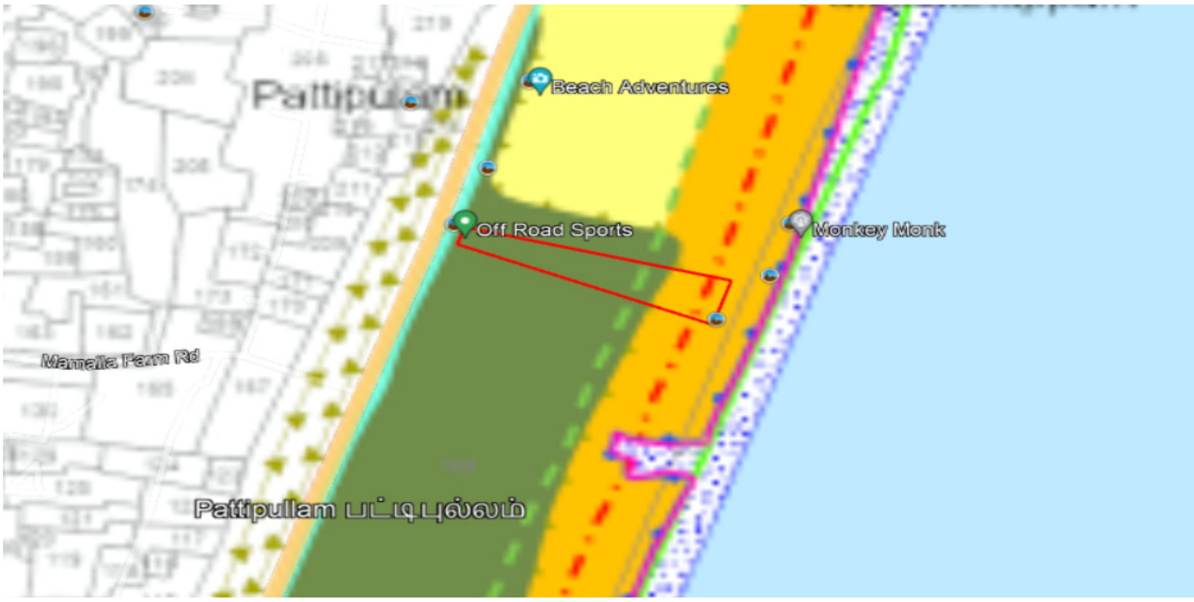

चित्र 7: पट्टीपुलम क्षेत्र का स्वीकृत सी.जेड.एम.पी. हरे रंग में सी.आर.जेड. 1ए जोन और पीले रंग में एन.डी.जेड. को दर्शाता है।

चित्र 8: सी.आर.जेड. 1A और एन.डी.जेड. क्षेत्र में निर्मित रेसट्रैक की उपग्रह चित्र (मार्च 2021)

4.2.2 नो डेवलपमेंट जोन में अनियमित गतिविधियां

क) नो डेवलपमेंट जोन में तटीय रिजॉर्ट का अनियमित निर्माण

तमिलनाडु एस.सी.जेड़.एम.ए. को कांचीपुरम जिले के कुवाथुर क्षेत्र में नो डेवलपमेंट जोन में एक रिसॉर्ट (गोल्डन बे रिसॉर्ट्स) के निर्माण कार्य के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के अनुसार अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. नो डेवलपमेंट जोन को समुद्र के संदर्भ में एच.टी.एल. से 200 मीटर[32] की दूरी पर और ज्वार से प्रभावित जल निकायों के संदर्भ में 100 मीटर की दूरी पर या क्रीक की चौड़ाई जो भी कम हो, के रूप में परिभाषित करता है। लेखापरीक्षा ने तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. की अनुवर्ती कार्रवाई का आकलन किया और पाया कि डी.एल.सी., कांचीपुरम जिले ने रिसॉर्ट का दौरा किया और तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. को सूचित किया कि रिजॉर्ट 2013 से बिना वैध प्रमाण पत्र के संचालन में है। यह भी बताया गया था कि रिसॉर्ट समुद्र में अनुपचारित सीवेज का निर्वहन कर रहा था। तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. ने 2017 में रिसॉर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह पाया गया कि मार्च 2021 तक तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा आगे कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने इस क्षेत्र के उपग्रह चित्र प्राप्त किए और इसकी तुलना अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. से की, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

[32] सी.आर.जेड. अधिसूचना 2019 के अनुसार, एच.टी.एल .या क्रीक की चौड़ाई जो भी 50 मीटर से कम हो, , ज्वार से प्रभावित जल निकायों के साथ संशोधित किया गया है।

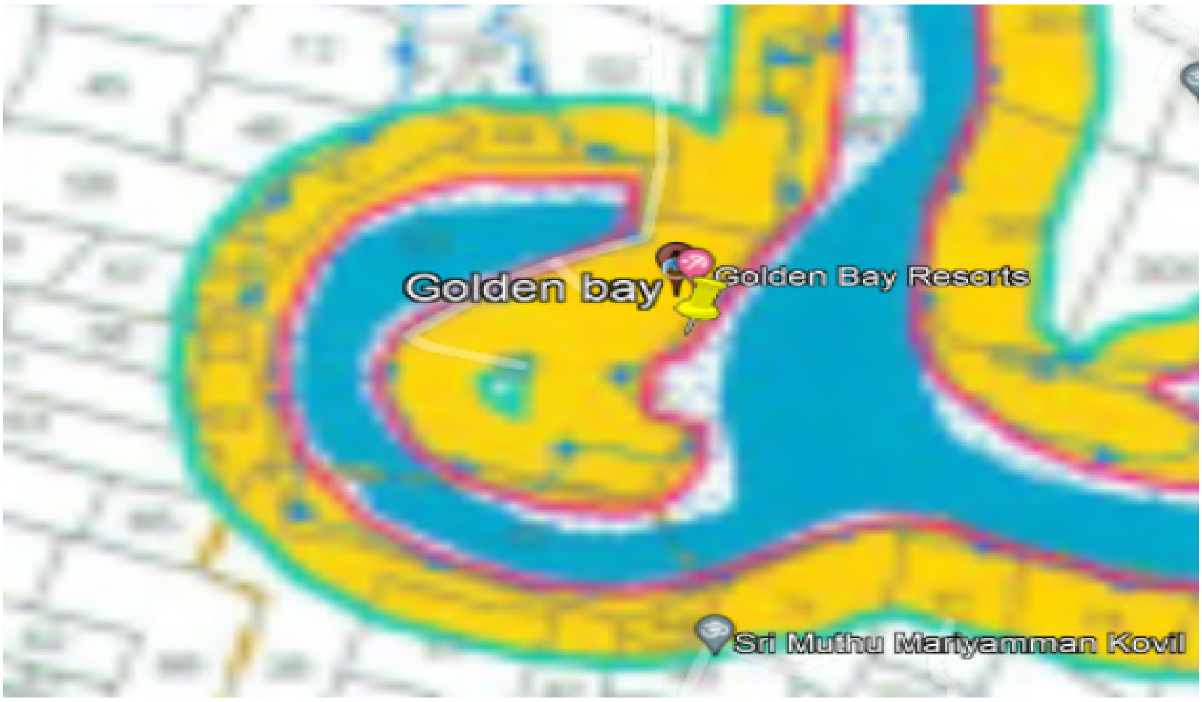

चित्र 9: क्षेत्र के लिए अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. जिसमें नो डेवलपमेन्ट जोन को पीले रंग से इंगित किया गया है।

चित्र 10: नो डेवलपमेन्ट जोन में रिसॉर्ट की उपग्रह चित्र (अक्टूबर 2021)

मार्च 2021 में राज्य के लेखापरीक्षा दल और संबंधित अधिकारियों द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) के दौरान, रिसॉर्ट के साथ ही एक नाव जेट्टी की भी उपस्थिति की पुष्टि की गई थी।

(ख) नो डेवलपमेंट जोन में जेट्टी विस्तार का अनियमित निर्माण कार्य

गुजरात एस.सी.जेड.एम.ए. को जून 2018 में देवभूमि, द्वारका में एक अनियमित निर्माण कार्य की शिकायत मिली और उनके द्वारा गुजरात एस.पी.सी.बी. को स्थल निरीक्षण का निर्देश दिया। गुजरात एस.पी.सी.बी. ने 30 मीटर लंबे जेट्टी के अवैध निर्माण कार्य की पुष्टि की और उल्लंघन करने वालों को निर्माण कार्य से हटाने का निर्देश दिया। लेखापरीक्षा ने क्षेत्र के उपग्रह चित्र प्राप्त किए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चित्र 11: बिना जेट्टी विस्तार (पीले से इंगित) के क्षेत्र की उपग्रह चित्र (नवंबर 2015)

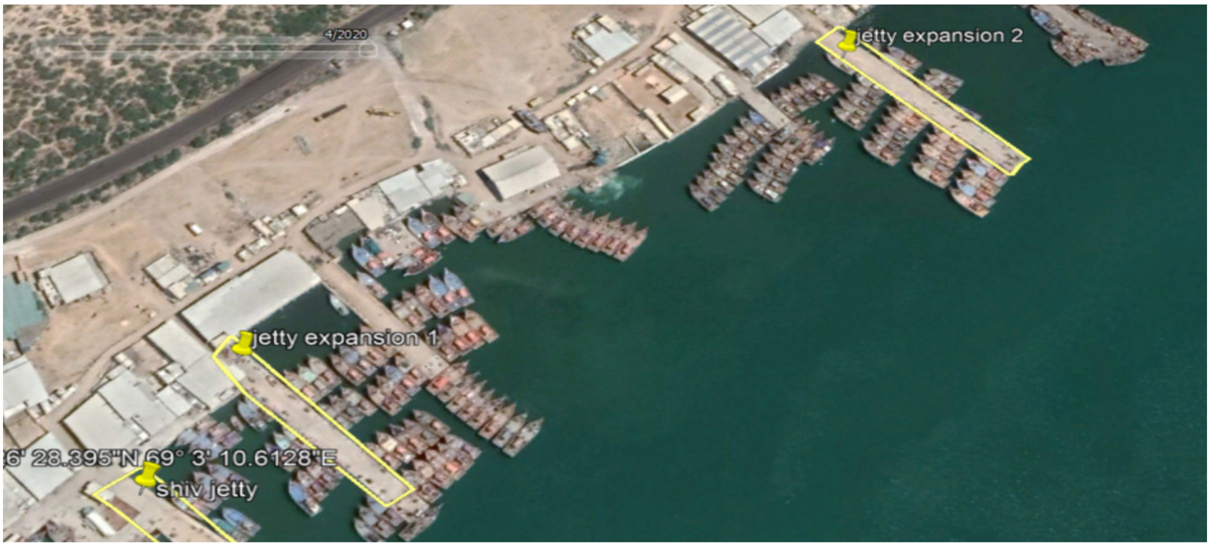

चित्र 12: जेट्टी विस्तार का उपग्रह चित्र (सितंबर 2021)

ऊपर दिखाए चित्रों से यह पाया गया है कि भले ही गुजरात एस.पी.सी.बी. ने उल्लंघनकर्ताओं को 2018 में निर्माण कार्य को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्मित संरचना अभी तक (2021) बनी हुई है, यह संबंधित प्राधिकारियों की ओर से अप्रभावी कार्रवाई का दर्शाता है।

ग) वेम्बनाड झील क्षेत्र में अतिक्रमण और सी.आर.जेड. उल्लंघन

वेम्बनाड झील[33] केरल की सबसे बड़ी झील है और इसे अहम रुप से संवेदनशील तटीय क्षेत्र के रूप में नामित किया जाता है। क्षेत्र के लिए स्वीकृत सी.जेड.एम.पी., झील पारितंत्र में स्थित द्वीपों को नो डेवलपमेंट जोन के रूप में पहचानता है। झील क्षेत्र और उसके आसपास अनियमित सुधार और निर्माण कार्य के कारण वेम्बनाड पारितंत्र इन विकास कार्यो से के दबाव में है।

जून 2018 में केरल एस.सी.जेड.एम.ए. को एलेप्पी जिले के पनावली पंचायत में स्थित नेदियाथुरुथ द्वीप में एक रिसॉर्ट के निर्माण कार्य के बारे में शिकायत मिली। क्षेत्र के लिए स्वीकृत सी.जेड.एम.पी. के अनुसार, द्वीप को नो डेवलपमेंट जोन के रूप में नामित किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में झील क्षेत्र में रिसॉर्ट को अतिक्रमण घोषित करते हुए रिसॉर्ट को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। हमने यह पाया कि रिसॉर्ट को अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया है। परियोजना क्षेत्र के उपग्रह चित्रों का परिक्षण करते हुए, लेखापरीक्षा ने एलेप्पी जिले की पानावली पंचायत में स्थित अंजुथुरुथु द्वीप पर एक और रिसोर्ट 'ग्रांड आयूर द्वीप' की पहचान की। ये द्वीप सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत झील क्षेत्र के नो डेवलपमेंट जोन का हिस्सा हैं। नीचे दिए गए आंकड़े द्वीप क्षेत्र के लिए अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. (पीले रंग में इंगित एन.डी.जेड.) और क्षेत्र के लिए लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त उपग्रह छवियों को इंगित करते हैं जो नो डेवलपमेंट जोन में अनियमित निर्माण कार्य को दर्शाता है।

चित्र 13: क्षेत्र के लिए अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. बाईं तरफ तथा क्षेत्र की 2021 की उपग्रह चित्र दाईं तरफ

---

[33] 2033 वर्ग किमी. के क्षेत्रफल और 96.5 किमी. की अधिकतम लंबाई के साथ यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट है

घ) अक्कुलम झील क्षेत्र में अनियमित विकास गतिविधियाँ

त्रिवेंद्रम की अक्कुलम झील तिरुवनंतपुरम में एक आर्द्रभूमि पारितंत्र है, जिसे झील क्षेत्र में सुधार और निर्माण गतिविधियों[34] से लगातार खतरा रहा है। लेखापरीक्षा ने पाया कि केरल एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा अक्कुलम झील क्षेत्र में अवैध निर्माण और सुधार कार्यों के बारे में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर, तिरुवनंतपुरम के नगर निगम को एक कार्रवाई प्रतिवेदन (ए.टी.आर.) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिस पर उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। डी.एल.सी. ने सितंबर 2020 में इस स्थल का सत्यापन किया और क्षेत्र में अनियमित निर्माण पाया। क्षेत्र की उपग्रह चित्रण का परीक्षण करते समय, लेखापरीक्षा ने एच.टी.एल. पर एक आवासीय भवन का अनियमित निर्माण कार्य पाया। हमने देखा कि आवासीय परिसर एच.टी.एल. के आसपास बनाया गया है और लगभग 1.48 हेक्टेयर का क्षेत्र अंतज्वारिय क्षेत्र (एच.टी.एल. से समुद्र के किनारे) में पड़ता है। उसी के लिए चित्र नीचे दर्शाए गए हैं:

चित्र 14: 2021 का स्थल चित्र जो 1.48 हेक्टेयर के अंतज्वारिय क्षेत्र में निर्माण कार्य को दर्शाता है (एच.टी.एल. पर्पल रंग से इंगित)।

ड़) नो डेवलपमेंट जोन में मॉल का निर्माण

मेसर्स लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल का निर्माण तिरुवनंतपुरम में अक्कुलम के पास एन.एच. बाईपास रोड पर किया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए जे.पी.वी. से पता चलता कि एन.डी.जेड. क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समीप की टीएस नहर के साथ सीमा रेखा से सटे भूमि

---

[34] एम.ओ.ई.एफ. एवं सी. सी. ने 2017 में अक्कुलम झील पर एक अध्ययन किया और पाया कि बैकवाटर के कई हिस्सों में सुधार एवं निर्माण के परिणामस्वरूप आर्द्रभूमि क्षेत्र संकुचित हो गया है। केरल राज्य सुदूर संवेदन एवं पर्यावरण केन्द्र (के.एस.आर.ई.सी.) ने झील क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक कार्यालयों के निर्माण की सूचना दी। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप 1967 से 2020 तक 28.49 हेक्टेयर आर्द्रभूमि क्षेत्र संकुचित हो गया है।

के हिस्से पर हाई मास्ट लाईट लगाने के लिए कंक्रीट बीम और बेसिन का निर्माण किया गया है। टी.एस. नहर से सटे सी.आर.जेड. क्षेत्र में तीन मीटर की औसत ऊंचाई की एक पत्थर की दीवार जिसके ऊपर तार की एक जाली की बाड़ के साथ का निर्माण किया गया था, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों में दर्शाया गया है।

चित्र 15: नो डेवलपमेन्ट में निर्माण कार्य को दर्शाते चित्र

च) उडिपी जिले, कर्नाटक में नो डेवलपमेंट जोन में अवैध सड़क निर्माण

कर्नाटक एस.सी.जेड.एम.ए. को शांभवी नदी के द्वीपों में सड़क के अवैध निर्माण कार्य की शिकायत मिली थी। स्थल निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि सी.आर.जेड. की मंजूरी प्राप्त किए बिना एक सड़क और दो पुलों का निर्माण कार्य किया गया था। इसके अलावा, यह बताया गया कि सड़क के निर्माण के लिए मैंग्रोव वृक्षारोपण को नष्ट कर दिया गया था। हालांकि राज्य निर्माण विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कर्नाटक एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। जे.पी.वी. के दौरान लेखापरीक्षा दल द्वारा सड़क की उपस्थिति का सत्यापन किया गया था। लेखापरीक्षा ने साइट के उपग्रह चित्र प्राप्त किए जो नीचे दर्शाए गए है, जो स्पष्ट रूप से सड़क दिखाते हैं:

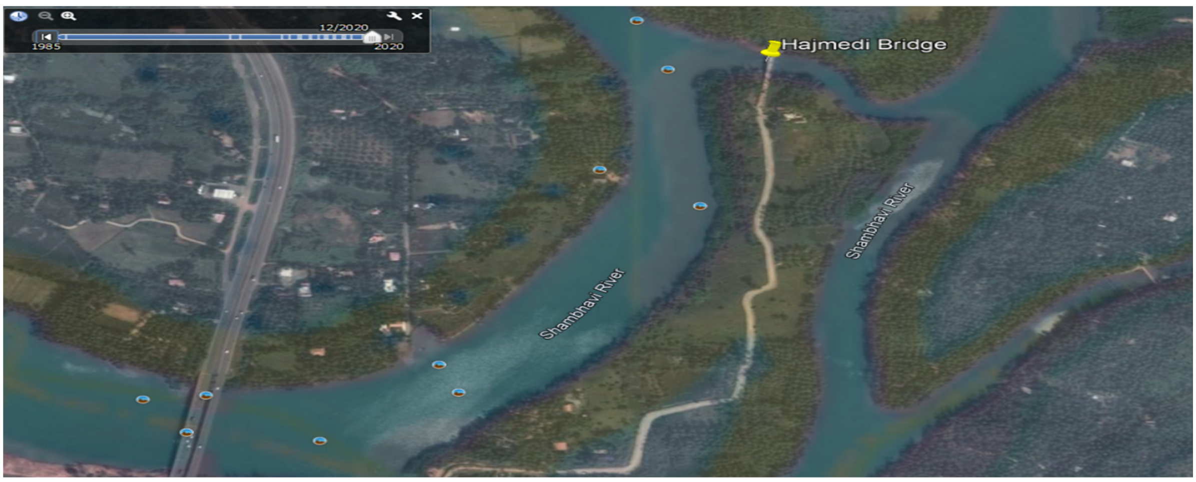

चित्र 16: द्वीप (नो डेवलपमेन्ट जोन) के बीच में निर्मित सड़क का उपग्रह चित्र

छ) मैसर्स टी.आर.आई.एफ., कोच्चि द्वारा वेम्बनाड झील के आर्द्रभूमि क्षेत्र में एक वाणिज्यिक परियोजना की अनियमित स्वीकृति

टी.आर.आई.एफ. द्वारा आवासीय परिसर की प्रस्तावित परियोजना को सितंबर 2011 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के ई.ए.सी. द्वारा मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया था। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने भूमि के प्रकार के बारे में केरल एस.सी.जेड.एम.ए. से जानकारी मांगी थी और मंजूरी को रोक दिया गया था। केरल एस.सी.जेड.एम.ए. की रिपोर्ट ने परियोजना क्षेत्र को सी.आर.जेड. क्षेत्र घोषित किया जिसके चलते परियोजना क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधि के लिए पुनर्ग्रहित नहीं किया जा सकता, जो कि आर्द्रभूमि का एक भाग है। केरल एस.सी.जेड.एम.ए. ने 2012 में जब एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने भूमि की प्रकृति के विषय पर मांग की थी, तब भी यही जवाब दिया गया था। 2016 में, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई। लेखापरीक्षा जांच के दौरान, यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक ने मंजूरी मिलने से पहले ही 2013 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। यह देखा गया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने परियोजना क्षेत्र को सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के प्रावधानों तथा वेटलैंड अधिसूचना 2010 के प्रावधानों के उल्लंघन के बावजूद भी अधिसूचित आर्द्रभूमि क्षेत्र में मंजूरी दी।

ज) गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में तटीय जलीय कृषि इकाइयों द्वारा अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ए.पी.पी.सी.बी. को 2018 मेसर्स गायत्री हैचरी- I और मेसर्स सूर्य वंशी श्रिम्प हैचरी[35] से अपशिष्ट जल के निर्वहन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुईं, जिससे तटीय जल दूषित हो रहा है। ए.पी.पी.सी.बी. ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए फर्मों को 3 दिनों के भीतर परिसर के बाहर अनुपचारित अपशिष्ट जल के निर्वहन को रोकने का निर्देश दिया। लेखापरीक्षा ने अगस्त 2021 में गायत्री हैचरी में ए.पी.पी.सी.बी. के साथ एक संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) आयोजित किया और पाया कि हैचरी तभ भी अनुपचारित अपशिष्टों को सीधे समुद्र में ही बहा रही थी (सी.आर.जेड. IV)।

हमने यह भी देखा कि ए.पी.पी.सी.बी. ने इन हैचरी को सहमति/नवीनीकरण पत्र प्राप्त ना करने की वजह से कारण बताओ नोटिस (मार्च 2018) और कार्य बंद करने के आदेश (मई 2018) जारी किए। फर्मों ने कानून की अज्ञानता का दावा करते हुए संचालन के लिए सहमति (सी.एफ.ओ.) के लिए आवेदन किया (मई/जून 2018) और ए.पी.पी.सी.बी. ने इस शर्त के साथ कि वे किसी भी परिस्थिति में उद्योग परिसर के बाहर अनुपचारित अपशिष्ट का निर्वहन नहीं करेंगे इनके बंद करने के आदेश (मई/जून 2018) को निरस्त कर दिया। लेखापरीक्षा ने इस

[35] मेसर्स गायत्री हैचरी- I, पांडुरंगपुरम गांव, बपटला मंडल की अद्वी पंचायत, गुंटुर जिला

क्षेत्र के उपग्रह चित्र प्राप्त किए जो कई हैचरी की मौजूदगी की पुष्टि करते है जो समुद्र में अपना अपशिष्ट छोड़ रहे थे।

चित्र 17: पूर्वी गोदावरी जिले में कोठापेटा ग्रामीण समुद्र तट पर गायत्री हैचरी के आसपास के क्षेत्र का चित्र, जो कई अन्य हैचरी द्वारा समुद्र में सीधे अपशिष्ट प्रवाहित करते हुए दर्शाता है।

इसके अलावा पूर्वी गोदावरी जिले में कोन्नापापेटा समुद्र तटों के उपग्रह चित्रों की जांच की और यह पाया कि कोन्नापापेटा समुद्र तट पर हैचरी और झींगा खेतों के समूह हैं जो अपशिष्टों को सीधे समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं नीचे दी गई उपग्रह छवि मार्च 2021 की है:

चित्र 18: पूर्वी गोदावरी जिले के कोन्नापापेटा समुद्र तट पर कई हैचरी की उपस्थिति और हैचरी द्वारा समुद्र में अपशिष्ट का खुला निर्वहन

(i) कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु के सी.आर.जेड. क्षेत्रों में बर्फ संयंत्रों और मछली पैकिंग इकाइयों का अनियमित संचालन

सी.आर.जेड. क्षेत्रों में बर्फ संयंत्रों की स्थापना और संचालन के लिए सी.आर.जेड. मंजूरी की आवश्यकता होती है। हमने सी.आर.जेड. मंजूरी प्राप्त किए बिना कन्याकुमारी जिले में चल रहे बर्फ संयंत्रों के मामले पाए। संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) के दौरान, यह देखा गया कि एक आइस प्लांट परिसर के भीतर मछली पैकिंग इकाई भी चल रही थी। इन गतिविधियों को डी.एल.सी., कन्याकुमारी द्वारा अनियमित रूप से मंजूरी दी गई थी। तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. ने अगस्त 2020 में डी.एल.सी., कन्याकुमारी को इस उल्लंघन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। यह नोट किया गया कि डी.एल.सी. ने मार्च 2021 तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी।

चित्र 19: संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) के दौरान अनाधिकृत आइस प्लांट और मछली पैकिंग इकाई की फोटो

बर्फ संयंत्र के अनियमित संचालन का एक और उदाहरण कन्याकुमारी जिले में देखा गया, जहां संयंत्र अपशिष्ट जल को सीधे समुद्र में प्रवाहित कर रहा था। यह भी पाया गया कि आइस प्लांट सी.आर.जेड. अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भूजल खींच रहा था। यद्यपि तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. ने डी.एल.सी. को दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, परन्तु डी.एल.सी. ने अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करी है।

चित्र 20: संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) के दौरान बर्फ संयंत्र द्वारा अपशिष्ट जल को सीधे समुंद्र में प्रवाहित करने की फोटो

4.2.3 बंदरगाह क्षेत्रों में प्रतिबंधित उत्पादों का भंडारण

सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के अनुसार, सीआरजेड क्षेत्र में भंडारण के लिए 15 निर्दिष्ट पेट्रोलियम और रासायनिक उत्पादों की अनुमति थी। परियोजनओं को दी गई मंजूरी की शर्तों के अनुपालन की जांच करते समय, हमने देखा कि दो मामलों में, प्रतिबंधित वस्तुओं को सी.आर.जेड. क्षेत्र में संग्रहित करने दिया गया:

ए. अदानी पेट्रोनेट पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (ए.पी.पी.पी.एल.) द्वारा अदानी पेट्रोनेट (दहेज) बंदरगाह के विस्तार को अक्टूबर 2016 में मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना में सूखे बहुउद्देश्यीय कार्गो भंडारण और अतिरिक्त कोयला भंडार के विकास के लिए 23 हेक्टेयर बैक-अप क्षेत्र के सुधार के साथ कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार शामिल था। इंटरटाइडल जोन (सी.आर.जेड. I) में उपरोक्त ड्राई बल्क कार्गो के लिए एक भंडारण क्षेत्र का विकास और सी.आर.जेड.- III क्षेत्र में कोयले के भंडार का विकास इस परियोजना में सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 को उल्लंघित कर रहा था क्योंकि उन्हें अधिसूचना के अनुमेय उत्पादों की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

बी. ट्रॉपिकाना लिक्विड स्टोरेज (पी.) लिमिटेड द्वारा कारवार, कर्नाटक में पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण टर्मिनल के निर्माण को मार्च 2008 में सी.आर.जेड. मंजूरी दी गई थी। हमने पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने बिटुमेन को स्टोर करने के लिए टर्मिनल का उपयोग किया, जो कि उन पेट्रोलियम उत्पादों की सूची मे नही थी जिनको सी.आर.जेड. अधिसूचना 1991 और 2011 के अनुसार बंदरगाह क्षेत्रों में भंडारण के लिए अनुमति दी गई थी। हालांकि बिटुमेन भंडारण करने के लिए इस सुविधा का उपयोग किया जा रहा था, इस बात की जानकारी पी.पी. द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट में दी गई थी। लेकिन उक्त उल्लंघन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि सी.आर.जेड. क्षेत्र में बिटुमेन के भंडारण की अब नई सी.आर.जेड. अधिसूचना 2019 के तहत अनुमति दी गई है, पर तथ्य यह है कि सी.आर.जेड. मंजूरी लेने के लिए तैयार कि गई ई.आई.ए. प्रतिवेदन ने सिर्फ टैंकों में तरल पेट्रोलियम के भंडारण और हस्तांतरण के प्रभावों का मूल्यांकन किया था।

इस प्रकार, एस.सी.जेड.एम.ए. और डी.एल.सी. ने तटीय क्षेत्र में उल्लंघनों की सक्रिय निगरानी नहीं की और प्रतिबंधित सी.आर.जेड. क्षेत्रों में अनियमित निर्माण किए।

एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. ने कहा (फरवरी 2022) कि उल्लंघन से संबंधित जानकारी मंत्रालय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह आश्वासन दिया कि अनुशंसाओं को मंत्रालय के उच्चतम स्तर पर   जाएगा।

4.3 निष्कर्ष

- परियोजनाओं की मंजूरी के बाद उनका अनुवीक्षण अप्रभावी था क्योंकि परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा अनिवार्य रिपोर्ट जैसे अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट और वार्षिक पर्यावरण विवरण प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे। परियोजना के प्रस्तावकों ने मंजूरी में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया।
- एस.सी.जेड.एम.ए. ने सी.आर.जेड. उल्लंघनों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई नहीं की और उन मामलों में जहां उन्होंने कार्रवाई की, अनुवर्ती कार्रवाई अप्रभावी थी। जी.आई.एस. उपकरण की मदद से, हमने सी.आर.जेड. 1ए ज़ोन और नो डेवलपमेंट ज़ोन में अनियमित निर्माण जैसे अप्रतिवेदित उल्लंघन की पहचान की।
- एन.सी.जेड.एम.ए. ने उल्लंघन का अनुवीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित एस.सी.जेड.एम.ए. की गतिविधियों की निगरानी नहीं की। निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाइयों की कमी के परिणामस्वरूप विकास परियोजनाओं द्वारा तटीय पारितंत्रों के विनाश के खिलाफ निषप्रभावी अवरोध हो पाएगा।

अध्याय 5: तटीय पारितंत्रों का संरक्षण

लेखापरीक्षा ने प्रत्येक नौ तटीय राज्यों में से दो तटीय जिलों का मानवजनित गतिविधियों के प्रभावों के कारण संवेदनशील और नाजुक समुद्री पारितंत्र के आकलन करने के लिए नमूना लिया था।

इस संबंध में टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है।

5.1 जैव विविधता के लिए खतरा

(i) मन्नार जैवमंडल रिजर्व, तमिलनाडु की खाड़ी में मूंगा के लिए खतरा

मूंगा चट्टानों को समुद्र के उष्ण कटिबंधीय वनों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे विश्व स्तर पर सभी समुद्री प्रजातियों के लगभग एक-चौथाई को भोजन, सुरक्षा, आश्रय और प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। उन्हें सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के तहत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मन्नार की खाड़ी में मूंगा चट्टानों, समुद्री घास और मैंग्रोव के प्रमुख तटीय आवास हैं। ये आवास पृथ्वी पर कुछ सबसे विविध और मूल्यवान पारितंत्रों में से एक है। 1989 में भारत सरकार द्वारा मन्नार की खाड़ी के 10,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को मन्नार समुद्री जैवमंडल रिजर्व की खाड़ी के रूप में घोषित किया गया। मन्नार जैवमंडल रिजर्व ट्रस्ट (जी.ओ.एम.बी.आर.टी.) की खाड़ी का गठन 2002 में मन्नार जैवमंडल रिजर्व की खाड़ी के समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग पर यू.एन.डी.पी.-जी.ई.एफ. (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - वैश्विक पर्यावरण सुविधा) द्वारा वित्त पोषित परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किया गया था। 2012 में परियोजना के पूरा होने के बाद, तमिलनाडु सरकार ने 2013 में ट्रस्ट के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया था। जिसमे निम्नलिखित कमियां पाई गई थी:

(क) जैवमंडल रिजर्व में समुद्री पर्यावरण के लिए आधारभूत डाटा का अभाव

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018 तक मन्नार जैवमंडल रिजर्व की खाड़ी में मूंगा चट्टानों की स्थिति के अनुवीक्षण के लिए कोई आधारभूत डाटा अनुरक्षित नहीं किया गया। केवल 2019 के लिए (मन्नार की खाडी में) रामेश्वरम और कन्याकुमारी के बीच तटीय आवासों और संबद्ध जैव विविधता के आधारभूत सर्वेक्षण का संचालन एक अनुसंधान संस्थान[36] द्वारा किया गया था, जो जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के तहत एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा केंद्रीय रूप से प्रायोजित था।

[36] तमिलनाडु के थूथुकुडी में नामित सुगंथी देवादासन समुद्री अनुसंधान संस्थान

(ख) जैवमंडल रिजर्व में विदेशी आक्रामक एल्गी प्रजातियां

कप्पाफाइकस अल्वारेज़ी जो कि एक एल्गल प्रजाति है, उसके दमघोंटू प्रभावों को 1990 में मन्नार की खाड़ी में जीवित मूंगों पर व्यावसायिक खेती[37] के लिए शुरू किया गया था परंतु इसकी सूचना 2007-08 में दी गई थी।

1998-2014 के दौरान मन्नार की खाड़ी में द्वीपों के सभी चार समूहों में मृत मूंगा के प्रतिशत में अत्याधिक वृद्धि पायी गई। थलायरी द्वीप (द्वीपों का कीलाकराई समूह, रामनाथपुरम) में मूंगा चट्टानों के संयुक्त भौतिक सत्यापन मे वन्यजीव श्रेणी, कीलाकराई के अधिकारियों ने इस स्थिति की पुष्टि की थी।

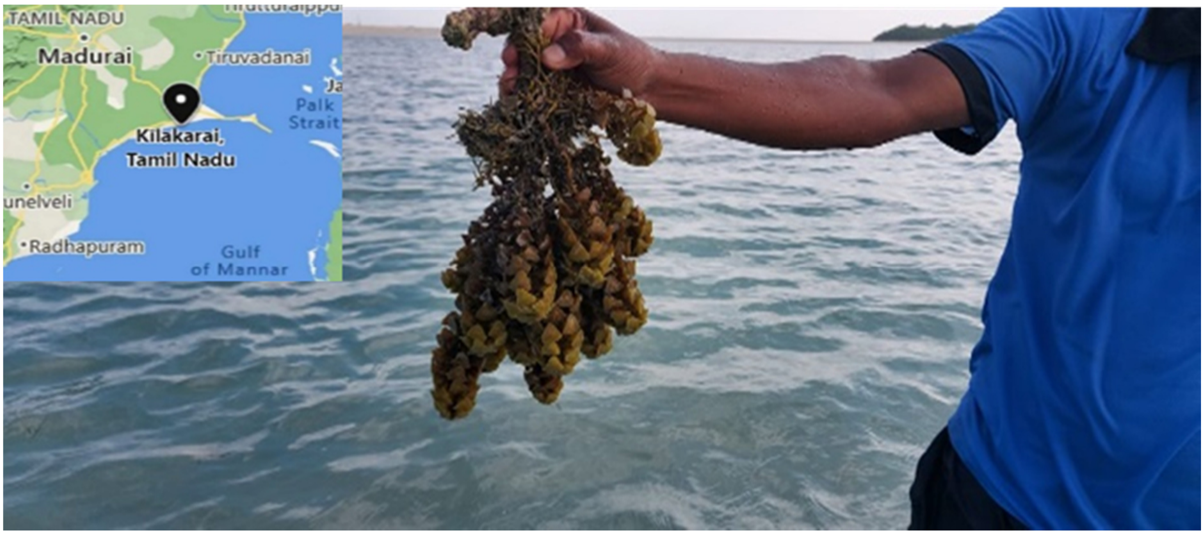

चित्र 21: शैवाल से ढका हुआ मृत मूंगा

लेखापरीक्षा ने पाया कि मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी में 100 वर्ग किमी मूंगा क्षेत्र में से, विभाग ने 2015-16 से 2019 के दौरान इन समुद्री शैवाल को केवल 2 वर्ग किमी (कुल चट्टान क्षेत्र का 2%) की सीमा तक हटाया जैसा कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. की मूंगा योजना के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रबंधन कार्य योजनाओं में लक्षित है। इसके अलावा, जीवित मूंगा आवरण की अत्याधिक कमी और गिरावट के बावजूद, आक्रामक प्रजातियों की वृद्धि को कम करने के लिए कोई भी व्यवहारिक कार्यनीति वन विभाग, तमिलनाडु द्वारा तैयार या कार्यान्वित नहीं की गई।

(ii) मूंगा चट्टानों के लिए अनुवीक्षण प्रणाली का अभाव, गोवा

विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.) भारत सर्वेक्षण के अनुसार, 2018 में ग्रांड द्वीप पर मूंगा चट्टानों जो गोवा के कुछ मूंगा स्थलों में से एक है, चट्टानों की सुरक्षा और संरक्षण के

---

[37] तटीय समुदाय के लिए एक वैकल्पिक आजीविका आय सृजन

लिए दीर्घकालिक आवधिक अनुवीक्षण प्रणाली की आवश्यकता थी। कोरल सी.आर.जेड.-आई.ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि हमने पाया कि:

- वन विभाग ने मूंगा क्षेत्रों का कोई मानचित्रण या पहचान नहीं की जिसके परिणामस्वरूप, उनके संरक्षण के लिए कोई भी प्रबंधन योजना तैयार नहीं की गई।
- वन विभाग या गोवा सी.जेड.एम.ए. द्वारा इस क्षेत्र में मूंगों के संरक्षण के उद्देश्य हेतु पर्यटन विभाग या जलजनित वाहन संचालकों को जो जल-क्रिड़ा गतिविधियां करवाते है, को कोई दिशानिर्देश नहीं दिए गए।
- डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.-इंडिया ने अपने सर्वेक्षण में इन मूंगों में दुर्लभ समुद्री प्रजातियां पाई। हालांकि, इन मूंगों के आसपास होने वाली मत्स्य गतिविधियों के लिए किसी राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा ऐसी प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्य से गोवा में मत्स्य गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले मत्स्य विभाग को कोई दिशानिर्देश नहीं दिए गए।

(iii) गोवा में ओलिव रिडले समुद्री कछुए

ओलिव रिडले कछुओं को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है, जो कछुओं के उत्पादों के व्यापार को प्रतिबंधित करता है। ओलिव रिडले समुद्री कछुए की एकमात्र प्रजाति है जिसे गोवा के समुद्र तटों पर नेस्टिंग स्थल बनाने के लिए जाना जाता है।

चित्र 22: ओलिव रिडले कछुएं[39]

सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत चार नेस्टिंग स्थल[38] नामित हैं। सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के तहत, कछुआ नेस्टिंग स्थलों के लिए प्रबंधन योजना तैयार किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन स्थलों के लिए प्रबंधन योजनाएँ तैयार नहीं की गई। इसके अलावा, अधिसूचना के प्रावधानों के तहत, इन कछुओं के घोंसले स्थलों में किसी भी विकास गतिविधियों की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। हालाँकि, हमने पाया कि अगोंडा, मोर्जिम और मैंड्रेम समुद्र तटों के नेस्टिंग स्थलों पर झोंपड़ियां बनाने की अनुमति दी जा रही थी, जैसा कि नीचे दी गई चित्रों में दर्शाया गया है-

[38] उतर गोवा मे मंद्रेम एवं मोर्जिम तट और दक्षिण गोवा में गालगिबाग एवं आगोण्डा तट

[39] स्त्रोतः के. शिवकुमार, भारत के वन्यजीव संस्थान, देहरादुन

चित्र 23: अगोण्डा तट पर लकड़ी का घर

चित्र 24: मोर्जिम तट पर अंतर्ज्वारिय क्षेत्र में समुद्र तट पैड (कछुओं के नेस्टिंग स्थल)

(iv) गोवा में तटीय रेत के टीले

एक तटीय रेत का टीला मुख्य रूप से एओलियन क्रिया द्वारा गठित रेत का एक पर्वत, पहाड़ी या चोटी है जो ज्वार से प्रभावित समुद्र तट के पीछे स्थित है। वे तूफान की वृद्धि और उच्च लहरों से प्राकृतिक तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, तटीय बाढ़ और संरचनात्मक क्षति को रोकते हैं, साथ ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिक आवास प्रदान करते हैं। तटीय विनियमन क्षेत्र, 2011 ने रेत के टीलों को सी.आर.जेड. I (ए) क्षेत्रों के रूप में घोषित किया और सौंदर्यीकरण एंव फेरबदल के लिए रेत के टीलों को सजाने या बदलने की प्रक्रिया को सी.आर.जेड. में प्रतिबंधित किया गया है।

गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (गोवा एस.सी.जेड.एम.ए.) के अनुरोध पर गोवा तट के साथ तटीय रेत के टीलों का मानचित्रण करने के लिए राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एन.सी.एस.सी.एम.) चेन्नई ने एक 'सैंड ड्यून प्रतिवेदन' तैयार की थी। प्रतिवेदन में पूरे गोवा[40] में सीमांकित रेत के टीलों की सामूहिक लंबाई का आकलन किया गया था। इसमें यह भी दर्शाया गया कि बैतूल से कांसौलिम, सिंक्वेरियम से बागा और अरामबोल मोरजिम के मध्य मुख्य रुप से तटीय खंड में होटल/रिसॉर्ट/अतिथिगृहों का निर्माण, समुद्र तटों तक रेत की गाड़ी के लिए पहुंच मार्ग बनाने, और परिदृश्य कार्य गोवा के रेत के टीलों के विनाश के प्रमुख कारण थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि गोवा एस.सी.जेड.एम.ए. ने रेत के टीलों की मौजूदगी के बावजूद इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और होटल एवं आवासीय घरों के निर्माण की अनुमति दी थी। इनमें से कुछ उदाहरणों पर नीचे उल्लेख किया गया है:

[40] 22.62 किमी. (99 पैच); उत्तरी गोवा में 6.90 किमी. (24 पैच) तटीय खंड और दक्षिण गोवा में 15.72 किमी. तटीय खंड (75 पैच) के साथ

क. गोवा एस.जी.जेड.एम.ए., ने मार्च 2015 **चाक्षु प्रॉपर्जीज प्राइवेट लिमिटेड को मोर्जिम गांव, पेरनेम तालुका, गोवा** में एक होटल के निर्माण के लिए सिफारिश दी थी। पी.पी. ने दो मंजिलों (भूतल और पहली मंजिल) वाले होटल के बजाय विला के निर्माण के लिए एक संशोधित योजना के साथ दिसंबर 2015 में गोवा एस.सी.जेड.एम.ए. से फिर से संपर्क किया। इस तथ्य के बावजूद कि प्रस्तावित स्थल एक प्राचीन समुद्र तट क्षेत्र हैं जिसमें रेत के टीले (ऊंचाई में 3 से 4 मीटर) वनस्पति से ढके हैं, गोवा एस.सी.जेड.एम.ए. ने संशोधित प्रस्ताव की सिफारिश कर दी।

ख. स्थल निरीक्षण दल की टिप्पणियों के बावजूद, 2015 में गोवा एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा **बैना समुद्र तट के पास 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 17 बी वरूणपुरी से सदा जंक्शन (मोरमुगाओ)** तक के निर्माण के लिए एक प्रस्तावित परियोजना की अनुंशसा की गई जिसमें कहा गया कि बैना समुद्र तट के वनस्पति से ढ़के रेत के टीले हैं और यह कटाव के वार्षिक चक्रों के लिए ठीक नहीं था जो इसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बनाता है। प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि कई स्तंभों की नींव के लिए बड़े गड्ढ़े को खोदना एक संवेदनशील समुद्र तट की पारिस्थितिक स्थिरता को विक्षुब्ध कर रहा था।

एक संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी) के दौरान, यह पाया गया कि रेत के टीले को काट दिया गया और नए समुद्र तट पर झोंपड़ियों के लिए चपटी जगह बनाई गई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चित्र 25: नए समुद्र तट झोंपड़ियों के लिए रेत के टीलों को नष्ट कर दिया

(ग). रेत के टीले की प्रतिवेदन में तटीय हिस्सों के साथ मोरजिम, अश्वेम और कोलवा समुद्र तट के रेत के टीलों के कटाव के बारे में भी सच को उजागर किया गया था। दक्षिण गोवा जिलाधीश ने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2018 में निर्देश जारी किए जिसके अनुसार समुद्र तटों पर सभी प्रकार के मोटर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वाहन की आवाजाही को रोकने के लिए कोई अनुवीक्षण नहीं किया गया क्योंकि यूटोर्डा और मोरजिम समुद्र तट (जिसे कछुआ नेस्टिंग स्थल भी कहा जाता है) में वाहनों को चलाते/पार्क करते पाया गया।

चित्र 26: मोटर गाड़ी तट पर चलाते हुए

(v) मैंग्रोव

मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय में पाए जाने वाले नमक सहिष्णु पौधे के समुदाय हैं उप-उष्णकटिबंधीय अंतर-ज्वारीय क्षेत्र और अद्‌वितीय पारितंत्र हैं जो कई जलीय प्रजातियों के लिए प्रजनन और भरण करते हैं। मैंग्रोव वन भी सुनामी लहरों के प्रति एक सुरक्षात्मक घेरे के रूप में कार्य करने में सक्षम साबित हुए हैं और इन्हें प्रभावी संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्हें सी.आर.जेड. अधिसूचनाओं के तहत सी.आर.जेड.-I के तहत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ई.एस.ए.) के रूप में नामित किया गया है।

(क) गोवा में मैंग्रोव संरक्षण प्रयासों में कमियां

मैंग्रोव वाले लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र[41] की सुरक्षा हेतु गोवा सरकार ने 2011 में 14 मैंग्रोव प्रजातियों को सुरक्षित प्रजातियों के रूप में घोषित किया तथा उन्हें काटना एवं गिराना प्रतिबंधित था। हालांकि, हमने राज्य में मैंग्रोव को काटने के कई मामले तथा मैंग्रोव के संरक्षण में अन्य मुद्दों को पाया, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- गोवा एस.सी.जेड.एम.ए. ने 2015 में **मेसर्स गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्‌वारा मंडोवी नदी (अटल सेतु) पर पुल के निर्माण** के लिए 247 मैंग्रोव पेड़ों को काटने के प्रस्ताव को अनुमति दी। अनुमति की शर्तों में से एक यह निर्धारित करती है कि परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के पूरा होने पर समान संख्या में मैंग्रोव का वृक्षारोपण करना था। हालांकि, प्रस्तावक द्‌वारा पुनर्रोपण नहीं किया गया।

[41] जुआरी, मांडोवी, तेरेकोल, चापोरा, साल, तालपोना, गालगीबाग और कंबारजुआ नहर के मुहाने के साथ

- गोवा एस.सी.जेड.एम.ए. ने 2017 में **मैसर्स लोक निर्माण विभाग, पणजी, गोवा द्वारा एनएच-17 पर जुआरी नदी पर पुल के निर्माण** के लिए 69 मैंग्रोव पेड़ों को काटने के प्रस्ताव को अनुमति दी थी। अनुमति में एक शर्त की परिकल्पना की गई थी कि परियोजना प्रस्तावक को मैंग्रोव सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास मैंग्रोव के रोपण के लिए एक राशि जमा करनी होगी। तथापि, यह पाया गया कि मैंग्रोव पुनर्रोपण नहीं किया गया था।

(ख) कच्छ, गुजरात में मैंग्रोव विनाश को प्रत्यावर्तन करने में गुजरात एस.सी.जेड.एम.ए. की विफलता

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट (डी.पी.टी.)[42] भारत का एक प्रमुख बंदरगाह, जो केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, नमक के उत्पादन के लिए नमक उत्पादकों को क्षेत्र (सी.आर.जेड.-I) पट्टे पर देता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के अनुसार नमक निर्माण एक अनुमत गतिविधि थी, क्षेत्र में नमक कार्य करने के लिए सी.आर.जेड. की मंजूरी पट्टेदारों द्वारा नहीं मांगी गई थी। 2018 में गुजरात एस.सी.जेड.एम.ए. को कच्छ के भचाऊ तालुका के नानी चिराई और मोती चिराई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मैंग्रोव के विनाश के संबंध में एक शिकायत मिली थी। इसके अलावा, कच्छ कैमल ब्रीडर्स एसोसिएशन (के.सी.बी.ए.), भुज ने डी.एल.सी. को शिकायत करने के अलावा, 2018 में मैंग्रोव विनाश के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) के समक्ष अपील दायर की थी। एन.जी.टी. के निर्देश पर, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (गुजरात एस.पी.सी.बी.) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने स्थल का निरीक्षण किया और एक प्रतिवेदन तैयार किया जिसमें खाड़ियों को बांधने और अवरुद्ध करने के पर्याप्त काम का पता चला, जिससे मैंग्रोव के लिए ज्वारीय पानी का प्रवाह प्रतिबंधित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उनका विनाश हुआ। एनजीटी के आदेश पर, गुजरात एस.सी.जेड.एम.ए. ने रिमोट सेंसिंग (जुलाई 2020) द्वारा मूल्यांकन किया, जिसमें पता चला कि जंगी क्षेत्र में बांधों[43] का निर्माण किया गया था और लगभग 32 हेक्टेयर[44] मैंग्रोव नष्ट हो गए थे। सी.आर.जेड.-I क्षेत्रों में इन मैंग्रोव का विनाश न केवल मैंग्रोव जैसे पारितंत्र के लिए महंगा साबित हुआ, बल्कि इससे "खराई" ऊंटों की अनूठी नस्ल के विलुप्त होने का भी खतरा था जो अपने भोजन के लिए क्षेत्र में मैंग्रोव पर निर्भर थे। मैंग्रोव क्षेत्रों में कमी जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त उपग्रह तस्वीरों में पाया गया है, नीचे दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए गैर-अनुपालन निम्नानुसार हैं:

---

[42] पूर्व कांडला पोर्ट ट्रस्ट

[43] 5,271 मीटर की कुल लंबाई के साथ

[44] 2016 में पट्टे के आवंटन से पहले कुल मैंग्रोव क्षेत्र 159.26 हेक्टेयर था जो वर्ष 2020 में बांधों के निर्माण के कारण घटकर 127.34 हेक्टेयर हो गया था।

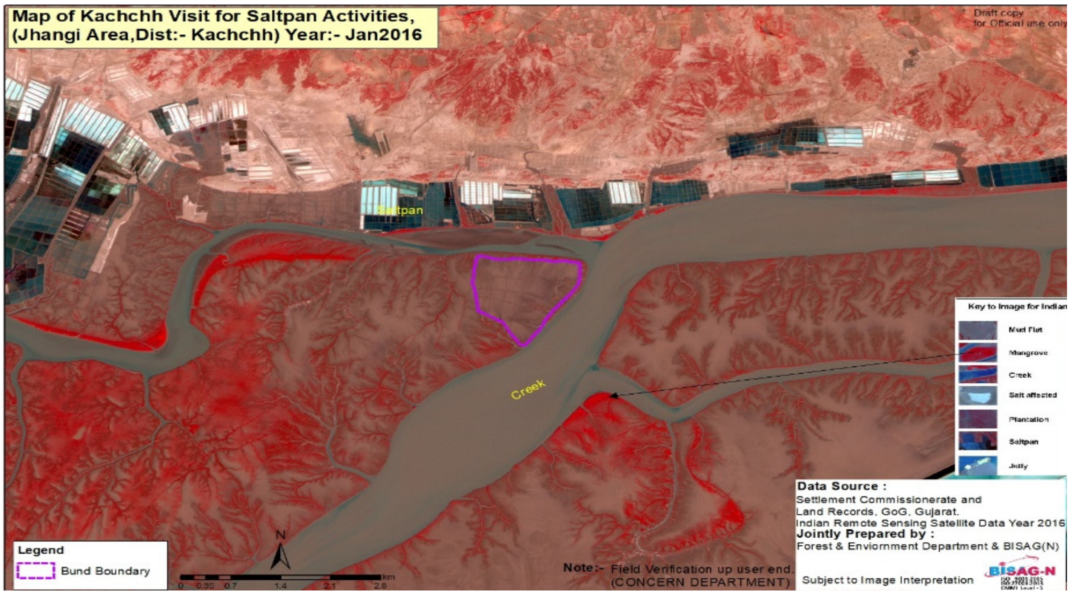

चित्र 27: मैंग्रोव क्षेत्र (लाल चाय मे संकेतित) 2016 मे पट्टे के आवंटन से पूर्व

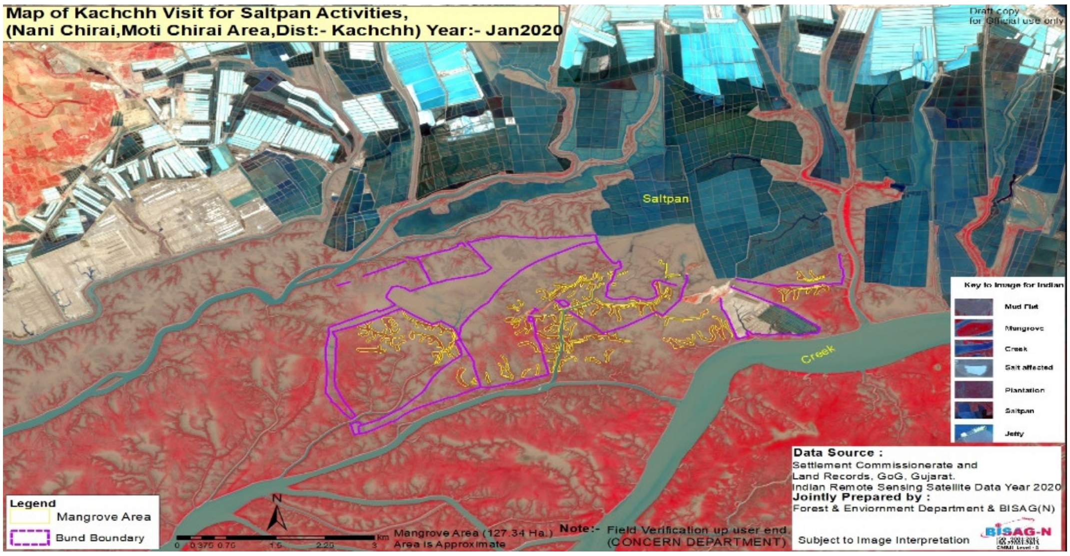

चित्र 28 मैंग्रोव क्षेत्र (लाल चाय मे संकेतित) सन 2020 मे 127.34 हेक्टेयरस की कमी

लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए गैर- अनुपालन निम्नलिखित हैं:

- एन.जी.टी. के आदेश (सितंबर 2019) के अनुसार, खाड़ियों में सभी अवरोधों को हटाया जाना था और खाड़ियों के मुहाना में पानी का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया जाना था। फरवरी 2021 तक न तो खाड़ियों की रुकावट के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की गई और न ही मैंग्रोव की पुनर्स्थार्पना शुरू की गई।
- एन.जी.टी. के आदेश के अनुसार, मैंग्रोव को हुए नुकसान का आकलन गुजरात एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा किया जाएगा, वही इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से आदेश जारी होने के एक महीने के भीतर वसूल किया जाएगा। हालांकि गुजरात एससीजेडएमए यह पता नहीं लगा सका कि क्या मेडबंधों का निर्माण और मैंग्रोव का विनाश पट्टा

धारकों द्वारा या अन्य शरारती तत्वों द्वारा किया गया था। इसलिए, फरवरी 2021 तक मेड़ के निर्माण और मैंग्रोव के विनाश के लिए कोई क्षतिपूर्ति नही की जा सकी।

- एन.जी.टी. ने अपने आदेश में वन विभाग, गुजरात सरकार को आदेश जारी होने से 6 महीने की अवधि के भीतर क्षतिग्रस्त मैंग्रोव को पुनस्थार्पना करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। यह पाया गया कि यद्यपि गुजरात एस.सी.जेड.एम.ए. ने डीपीटी को कुल मैंग्रोव विनाश के तीन गुना की दर से प्रतिपूरक वनरोपण करने का निर्देश दिया था, मैंग्रोव की बहाली के लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(vi) गोवा में खजान भूमि के प्रबंधन में कमियां

पर्यावरण के प्रति संवेदनशील निचले क्षेत्र जो ज्वारीय क्रिया से प्रभावित होते हैं जिन्हें खज़ान भूमि के रूप में जाना जाता है, जिसका मुख्य रूप से खेती, मछली पालन और नमक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चूंकि उन्हें ई.एस.ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए उनमें सभी प्रकार की विकास गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था। हमने पाया कि गोवा राज्य ने खजान भूमि का सीमांकन नही किया था और सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत इस भूमि क्षेत्रों की प्रबंधन योजना भी तैयार नहीं की थी। खजान भूमि के बारे में उपलब्ध विवरण इतना ही है जितना कि गोवा के शहर नियोजन प्राधिकरणों के पास है।

आगे यह पाया गया कि राज्य द्वारा खजान भूमि का सीमांकन न करने के कारण, गोवा एस.सी.जेड.एम.ए. ने उन परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया जो इन संरक्षित क्षेत्रों में अनुमेय नहीं थीं। उदाहरण के लिए, बम्बोलिम पठार से वर्नो पठार तक बाईपास के निर्माण और 69 मैंग्रोव काटने और अस्थायी भू-भरण जैसी परियोजनाओं के लिए मंजूरी क्रमशः दिसंबर 2015 और अक्टूबर 2017 में गोवा एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा बिना यह सुनिश्चित किए कि परियोजनाएं खजान भूमि का उपयोग शामिल करके प्रदान की गई थी। हालांकि, गोवा एस.सी.जेड.एम.ए. ने अपने उत्तर में कहा कि बाईपास के निर्माण के लिए प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुमति अस्थायी प्रकृति की थी, तथ्य यह है कि परियोजना के तहत नमक बनाने में निर्मित 12 कॉलम स्थायी प्रकृति के थे और खजान भूमि में प्रतिबंधित थे।

5.2 अनुपचारित नगरपालिका अपशिष्ट के कारण होने वाला प्रदूषण

सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 ने तटीय जल में अनुपचारित क्षय और अपशिष्टों के निपटान और सी.आर.जेड. क्षेत्रों में निर्माण मलबे, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट जैसे शहरों के अपशिष्ट की डंपिंग की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया था। यह प्रदान करता है कि संबंधित प्राधिकरण चरणबद्ध तरीके से योजनाओं को लागू करेंगे: (i) अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर अनुपचारित क्षय और अपशिष्टों के बहाव की मौजूदा प्रथा; (ii) अधिसूचना के प्रारंभ होने से एक वर्ष के भीतर ठोस अपशिष्ट को फेंकना करने की मौजूदा प्रथा।

नमूना जांच किए गए जिलों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों ने दर्शाया कि सीवेज उपचार संयंत्र या तो पूरी तरह से अनुपस्थित थे या बिना किसी अनुवीक्षण के कार्य कर रहे थे, जिसके कारण हानिकारक अपशिष्टों का तटीय जल में बहाव होता है जैसा कि नीचे वर्णित है:

(i) कर्नाटक के तटीय जिलों में नगरपालिका सीवेज का समुद्र में बहाव

कर्नाटक के तट पर स्थित 12 शहरी स्थानीय निकायों[45] में से केवल मैंगलोर शहर निगम के पास चार एस.टी.पी. के साथ अपने क्षेत्र के 100 प्रतिशत को कवर करने के लिए एक मलजल नेटवर्क था।

चित्र 29 मैंगलोर शहर के पश्चिमी क्षेत्र के वेट वेल्स से अरब सागर में अनुपचारित मलजल का प्रवाह

उडुपी, कारवार और भटकल की नगर पालिका परिषद में आंशिक मलजल नेटवर्क था जो क्रमशः 25 प्रतिशत, 14 प्रतिशत और 25 प्रतिशत क्षेत्र को पूरा करता था। बाकी घरों में या तो अलग-अलग मलकुंड थे या मलजल के उपचार के लिए सोक पिट थे। कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (कर्नाटक एस.पी.सी.बी.) द्वारा दिसंबर 2019 में तैयार किए गए तटीय क्षेत्र में मलजल उत्पादन, उपचार और निपटान की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में तटीय क्षेत्रों में मलजल उपचार में 26.85 एम.एल.डी. का अंतर था, जिसमें से 7.6 एम.एल.डी. अनुपचारित मलजल को समुद्र में डाला जा रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि मैंगलोर शहर के पश्चिमी क्षेत्र के गीले कुओं से अरब सागर में अनुपचारित मलजल का प्रवाह हो रहा था। हमने यह भी पाया कि कारवार, मुरूदेश्वर के तटीय शहरों से अनुपचारित कचरा समुद्र में जा रहा था।

[45] कर्नाटक के समुद्र तट के किनारे स्थित 12 शहरी स्थानीय निकाय (मैंगलोर नगर निगम, सी.एम.सी. उल्लाल, टी.एम.सी. मुल्की, सी.एम.सी. उडुपी, टी.एम.सी. कुआप, टी.एम.सी. कुंडापुरा, टी.पी. सालिग्राम, टी.एम.सी. भटकल, टी.पी. होन्नावर, टी.एम.सी. कुमता, टी.एम.सी. अंकोला, सी.एम.सी. कारवार)

चित्र 30: शहरी मलजल सीधे मुरुदेश्वर समुद्र तट से तटीय जल में प्रवेश करते हुए।

शहरी अशोधित मलजल को तटीय जल में डाले जाने का मामला उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ के राज्य पर्यावरण विभाग द्वारा 2017-19 के दौरान कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ध्यान में लाया गया था, हालांकि कर्नाटक एस.पी.सी.बी. द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ii) गोवा में, मलजल उप चार संयत्रं के अपशिष्ट की अपर्याप्त निगरानी

गोवा में कुल सात[46] एस.टी.पी. काम कर रहे थे और बांदोरा व कोलवा में दो अन्य एस.टी.पी. दिसंबर 2020 तक निर्माणाधीन थे। हमने पाया कि सात एस.टी.पी. में से तीन एस.टी.पी. जिनके नाम बैना (20 एम.एल.डी.), मडगांव (20 एम.एल.डी.) और दरभट (1 एम.एल.डी.) गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (गोवा एस.पी.सी.बी.) से 'संचालन की सहमति' प्राप्त किए बिना 2017 से काम कर रहे थे, हमने पाया कि ये तीन एस.टी.पी. सीधे समुद्र में अपशिष्ट डाल रहे थे। गोवा एस.पी.सी.बी. द्वारा अक्टूबर 2020 माह में तैयार किए गए तटीय आंकड़ों के अनुसार, गोवा के 10 समुद्र तटों[47] में से आठ के तटीय जल में मौजूद मल कोलीफॉर्म 110 से 140 (सबसे संभावित संख्या/100 मिली) तक है जो निर्धारित सीमा से अधिक थे (यानी 100 एमपीएन/100 मिली)।

गोवा एस.पी.सी.बी. ने मडगांव एस.टी.पी. के संचालन के लिए सहमति का नवीनीकरण जारी करते समय (अगस्त 2018) निर्दिष्ट किया था कि उपचारित अपशिष्ट को किसी भी नदी / नाले में नहीं डाला जाना चाहिए और शेष को बागवानी गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने के लिए अधिकतम पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए।

---

[46] पणजी-टोंका (15 एम.एल.डी.), पणजी टोंका (12.5 एम.एल.डी.), मडगांव (20 एम.एल.डी.), जी.एम.सी. बम्बोलिम (1.35 एम.एल.डी.), वास्को-बैना (20 एम.एल.डी.), पोंडा-डरभाट (1 एम.एल.डी.), संकेलिम (0.80 एम.एल.डी.)

[47] मीरामार, कलंगुट, मोरजिम, मोबोर, बैना, गलगीबाग, कोलवा और वागाटोर समुद्र तटों से लिए गए नमूने

हालांकि, यह एस.टी.पी. परिसर में बागवानी और नॉन-पोटेबल उपयोग के लिए कुछ अपशिष्ट का उपयोग करने के बाद साल नदी में उपचारित अपशिष्ट का बहाव कर रहा था। हालांकि, गोवा एस.पी.सी.बी. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(iii) महाराष्ट्र में नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा समुद्र में अनुपचारित मलजल का बहाव

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुरोध पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एन.आई.ओ.), मुंबई ने एक अध्ययन (2018) किया, जिसमें पता चला कि घरेलू अपशिष्ट जल का इस तरह के अपशिष्ट को प्राप्त करने वाली खाड़ियों और मुहल्लों की पारिस्थितिकी को खराब करने में प्रमुख योगदान था। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि तटवर्ती क्षेत्रों को अनियोजित मलजल के निर्वहन से मुक्त किया जाना चाहिए।

हमने पाया कि महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में नौ[48] नगर निगमों (एम.सी.) ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान नदियों, समुद्रों और खाड़ियों में अनुपचारित मलजल डाल दिया गया था। तटीय क्षेत्र के पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के अंतर्गत आने वाली 22 नगर परिषदों ने 2015-2020 में 71.80 एम.एल.डी. मलजल उत्पन्न किया, जिसका बिल्कुल भी उपचार नहीं किया गया और सीधे जल निकायों में डाल दिया गया था।

अकेले मुंबई क्षेत्र में 8 एस.टी.पी. परिचालनात्मक थे। लेखापरीक्षा ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एम.पी.सी.बी.) द्वारा मुंबई क्षेत्र में एस.टी.पी. के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि उपचारित मलजल भी एम.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है। हमने आगे पाया कि यद्यपि एम.पी.सी.बी. ने इन स्थानीय निकायों को निर्देश[49] जारी किए थे, जिसमें उन्हें पर्याप्त एस.टी.पी. प्रदान करने, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा निर्धारित सहमति मानकों को प्राप्त करने और मलजल के उपचार के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों को लागू करने का निर्देश दिया गया था, आगे एम.पी.सी.बी. द्वारा इन निकायों के प्रति कोई कार्रवाई या जांच नहीं की गई थी। कुछ मामलों में, यह पाया गया कि एम.पी.सी.बी. द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई थी जिसका भुगतान अशोधित/आंशिक रूप से उपचारित मलजल के बहाव के लिए त्रुटिपूर्ण स्थानीय निकायों द्वारा किया जाना था। तथापि, एम.पी.सी.बी. द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया कि इसका भुगतान कसूरवार से वसूला जाए।

---

[48] ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, भिवंडी निजामपुर, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भायंदर, वसई विरार और पनवेल

[49] जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण), अधिनियम 1974 के तहत

5.3 वेरावल, गुजरात में मछली प्रोसेसिंग उद्योग से अपशिष्ट

भारत में मछली, क्रस्टेशियंस के प्रोसेसिंग और संरक्षण से सालाना 70 मिलियन एम^3 अपशिष्ट/अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। तटीय राज्यों में, अधिकतम मछली प्रसंस्करण अपशिष्ट उत्पादन गुजरात (30.51%) और उसके बाद महाराष्ट्र (23%) में पाया गया।

हमने वेरावल फिशिंग हार्बर से उत्पन्न मलजल को सीधे समुद्र में बहाया जा रहा था। हालांकि वेरावल बंदरगाह को 3,500-4,000 नावों के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसमे लगभग 8,000 नावों का संचालन हो रहा था, जिससे उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट में भी वृद्धि होगी। बंदरगाह पर प्रवाह उपचार सुविधा की कमी थी जिसके कारण अनुपचारित अपशिष्ट और बंदरगाह पर उत्पन्न मलजल को सीधे बंदरगाह से पानी में डाला जा रहा था। इसके अलावा, गुजरात एस.पी.सी.बी. द्वारा जारी निर्देशों में बंदरगाह के नियमित निकर्षण, बंदरगाह क्षेत्र से कम्पोस्ट इकाइयों के लिए मछली अपशिष्ट के संग्रह के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। हालांकि, हमने पाया कि वेरावल हार्बर ने गुजरात एस.पी.सी.बी. द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके अलावा, गुजरात एस.पी.सी.बी. ने बंदरगाह के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए, वेरावल फिशिंग हार्बर समग्र सहमति और प्राधिकरण (सी.सी.ए.) के बिना वेरावल सागर में अनुपचारित अपशिष्ट का बहाव जारी रखे हुए है।

5.4 कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश में मत्स्य पालन अपशिष्ट को बहाया जाना

आंध्र प्रदेश के संपूर्ण कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी और कृष्णा को सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के अनुसार सी.वी.सी.ए.[50] साइट के रूप में पहचाना गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरिंगा अभयारण्य को 1978[51] में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य (सी.डब्ल्यू.एल.एस.) के रूप में घोषित किया और इसमें मैंग्रोव दलदल, कीचड़, रेतीले मैदान, समुद्र तट और रेतीले द्वीप शामिल हैं। कोरिंगा मैंग्रोव वन भारत के पूर्वी तट मे दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है।

यह पाया गया कि तललारेवु मंडल में 1483.05 हेक्टेयर भूमि मत्स्य पालन के लिए पंजीकृत है, तीन तरफ सी.डब्ल्यू.एल.एस. को घेरने वाला क्षेत्र, लगभग 861.64 हेक्टेयर, कोरिंगा अभयारण्य की परिधि के भीतर था।

---

[50] कुल मिलाकर, मैंग्रोव की 34 प्रजातियाँ, 312 एस्टुरीन मछली की प्रजातियाँ, झींगे की 14 प्रजातियाँ, क्रस्टेशियंस की 34 प्रजातियाँ, मोलस्क की 103 प्रजातियाँ, पादपप्लवक की 65 प्रजातियाँ, घोंघे और सरीसृप की अन्य प्रजातियाँ हैं। हर साल 257 एवियन प्रजातियों को आगंतुकों के रूप में पहचाना गया है।

[51] वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत

लेखापरीक्षा ने पाया कि तललारेवु मंडल में सी.डब्ल्यू.एल.एस. के आसपास स्थित ग्यारह एक्वा/झींगा इकाइयां अपने अनुपचारित अपशिष्टों को नालियों में बहा रही थीं जो अंततः कोरिंगा नदी में शामिल हो रही थी। कोरिंगा जल में अनुपचारित बहिःस्रावो बहाव के कारण, पीएच मान को छोड़कर जो तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सी.ए.ए.) के निर्धारित मानकों के भीतर था, बहिःस्राव विश्लेषण के शेष मूल्य निर्धारित मानकों से असामान्य रूप से अधिक[52] पाए गए थे।

हमने पाया कि आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ए.पी.पी.सी.बी.) ने 2017-20 के दौरान उपरोक्त 11 इकाइयों में से पांच को कारण बताओ नोटिस जारी किया क्योंकि अधिकांश इकाइयां 'संचालन की सहमति' के बिना काम कर रही थीं। तथापि, इन 5 इकाइयों के प्रति ए.पी.पी.सी.बी. द्वारा जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण), अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार दंड या कानूनी कार्यवाही नहीं की गई थी। साथ ही, ए.पी.पी.सी.बी. अन्य 6 इकाइयों के प्रति कोई भी कार्रवाई करने में विफल रहा, जो बिना उपचार के अपने अपशिष्ट का बहाव कर रही थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मत्स्य विभाग ने अपशिष्ट उपचार की विधि और इसके निपटान के तरीके का पता लगाए बिना मत्स्य पालन इकाइयों के संचालन की अनुमति दी थी। क्षेत्रीय कार्यालय, ए.पी.पी.सी.बी. ने अपशिष्ट के उपचार के लिए इकाइयों में सुविधाओं की उपस्थिति का पता लगाए बिना स्थापना (सी.एफ.ई.) और संचालन (सी.एफ.ओ.) के लिए सहमति प्रदान की। लेखापरीक्षा द्वारा ए.पी.पी.सी.बी. के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान किसी भी इकाई में ई.टी.पी. सुविधा नहीं पाई गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश एस.सी.जेड.एम.ए. से पूर्व अनुशंसा और राज्य/नगर योजना प्राधिकरणों से स्वीकृती अनिवार्य थी क्योंकि क्षेत्र सीआरजेड-I के अंतर्गत आता था, हालांकि, ये प्राप्त नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि सीआरजेड से संबंधित जोनिंग विनियमों की अनदेखी की गई थी जिसके परिणामस्वरूप कोरिंगा से उच्च ज्वार/बाढ़ रेखा से 100 मीटर क्षेत्र के भीतर जलीय कृषि इकाइयों की स्थापना हुई जो सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 का उल्लंघन था।

---

[52] बी.ओ.डी. के उच्च स्तर के परिणामस्वरूप धारा में ऑक्सीजन की अधिक तेजी से कमी होती है और जलीय जीवन के उच्च रूपों में कम ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। सी.ओ.डी. के उच्च स्तर वाले नमूने में अधिक मात्रा में ऑक्सीकरण योग्य कार्बनिक पदार्थ, घुलित ऑक्सीजन (डी.ओ.) के स्तर को कम करेगा। बहिःस्रावों में असामान्य रूप से उच्च टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (टी.एस.एस.) की उपस्थिति के परिणामस्वरूप मछली के गलफड़े बंद हो जाते हैं, या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या उनकी वृद्धि दर कम हो जाती है। वे प्रवेश करने के लिए प्रकाश को भी कम करते हैं जिससे शैवाल की भोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता कम हो जाती है, जो पानी के नीचे जीवन के लिए घातक हो सकता है जो अभयारण्य के समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

5.5 निष्कर्ष

- अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. से कई ऐसी भिन्नता पाई गई थीं जो भंगुर पारितंत्र की संवेदनशील जैव विविधता को प्रभावित करती थी। इसके अलावा, इन संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में कई प्रतिबंधित गतिविधियां बिना किसी रोक-टोक के जारी रहीं, पी.सी.बी./एस.सी.जेड.एम.ए. ने इन उल्लंघनों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
- राज्य सरकार ने मूंगा चट्टानों, कछुओं के नेस्टिंग स्थलों आदि जैसे संवेदनशील पारितंत्रों के लिए प्रबंधन योजनाएँ तैयार नहीं की, जिससे उनके संरक्षण पर प्रभाव पड़ा। सी.आर.जेड. अधिसूचना होने के बावजूद, तटीय क्षेत्र मानवजनित गतिविधि से प्रभावित होते है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर उनमें गिरावट होती है।

अध्याय 6: एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना

एकीकृत और सतत तटीय प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एम.ओई.एफ. एवं सी.सी. ने मार्च 2010 में एक एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (आई.सी.जेड.एम.पी.) की शुरूआत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता लेने के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया, जिसे मार्च 2010 में अनुमोदित[53] किया गया था। विश्व बैंक ने आई.सी.जेड.एम.पी. के लिए भारत सरकार को ₹ 1153.63 करोड़ की कुल लागत के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा जिसमें विश्व बैंक का घटक ₹ 896.37 करोड़ का था जो परियोजना लागत का 77.7 प्रतिशत था। शेष ₹ 177.66 करोड़ (15.4 प्रतिशत) को भारत सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव किया गया और ₹ 79.60 करोड़ (6.9 प्रतिशत) भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना था।

परियोजना का उद्देश्य (पी.डी.ओ.) भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए सतत तटीय प्रबंधन दृष्टिकोण की क्षमता में विकास करना था, और गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे चुनिंदा राज्यों में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन दृष्टिकोण का संचालन करना था। परियोजना के घटकों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 6.1: आई.सी.जेड.एम.पी. के घटक

राष्ट्रीय घटक	राज्य घटक (गुजरात)	राज्य घटक (ओडिशा)	राज्य घटक (पश्चिम बंगाल)
• मानचित्रण, परिसीमन और खतरे की रेखाओं का सीमांकन, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ई.एस.ए.) और भारत के मुख्य भूमि तट के साथ तटीय तलछट कोशिकाओं का परिसीमन • (एन.सी.जेड.एम.ए.) के लिए सचिवालय के रूप में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. की क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन केंद्र की स्थापना और आई.सी.जेड.एम. के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम	• गुजरात राज्य में आई.सी.जेड.एम. दृष्टिकोण का संचालन जिसमें कच्छ की खाड़ी के लिए आई.सी.जेड.एम. योजना तैयार करना और वन और पर्यावरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभागों की क्षमता निर्माण शामिल है। • कच्छ क्षेत्र की खाड़ी में प्राथमिकता वाले निवेश जैसे तटीय संसाधनों का संरक्षण और संरक्षण , प्रदूषण में कमी और तटीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा।	• ओडिशा राज्य में आई.सी.जेड.एम. दृष्टिकोण का संचालन जिसमें पारादीप-धामरा और गोपालपुर-चिल्का के तटीय हिस्सों के लिए आई.सी.जेड.एम. योजना तैयार करना शामिल है। • चिल्का विकास प्राधिकरण सहित राज्य के विभागों का क्षमता निर्माण। • गोपालपुर-चिल्का और पारादीप-धामरा के लिए उड़ीसा में प्राथमिकता निवेश, तटीय संसाधनों का संरक्षण और संरक्षण , प्रदूषण उपशमन और तटीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा ।	• पश्चिम बंगाल के लिए आई.सी.जेड.एम. योजना की तैयारी • क्षमता निर्माण • सुंदरबन में दीघा-शंकरपुर और सागर द्वीप के दो लक्षित तटीय हिस्सों में प्राथमिकता निवेश

[53] आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा

परियोजना में चार कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् प्रमुख जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एम.ओ.ई.एफ. और सी.सी. तथा परियोजना[54] को कार्यान्वित करने के लिए तीन भाग लेने वाले राज्यों में से प्रत्येक में वन और पर्यावरण विभाग (डी.ओ.एफ.ई) शामिल थे। इसके अलावा, अंतर- क्षेत्रीय समन्वय के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संचालन समितियों का गठन किया गया था ।

आई.सी.जेड.एम.पी. के चार अलग-अलग घटकों के तहत की गई गतिविधियों पर हमारा अवलोकन नीचे दिया गया है:

6.1 आई.सी.जेड.एम.पी. के (घटक 1) राष्ट्रीय घटक के तहत गतिविधियों का आकलन

6.1.1 खतरा रेखा को जमीनीं सीमांकन ना होना

आई.जेड.एम.पी. के कार्यान्वयन के लिए खतरा रेखा[55] की अवधारणा मुख्य थी। जोखिम रेखा मानचित्रण का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में विभिन्न आपदाओं से जीवन और संपत्ति के जोखिमों की पहचान करना और उन्हें कम करना है। भारतीय सर्वेक्षण द्वारा ₹ 125 करोड़ की लागत से देश के पूरे समुद्र तट के लिए मानचित्रण किया जाना था, जिसे बाद में 2018 में ₹ 139.04 करोड़ में संशोधित किया गया। मार्च 2020 तक परियोजना के तहत ₹ 112.49 करोड़ का व्यय किया गया था। खतरा रेखा के मानचित्रण का काम अगस्त 2018 में पूरा कर लिया गया था। निजी भूमि में संयुक्त खतरा रेखा को जमीन पर लोहे की नोक के खूंटे से चिह्नित किया जाना था और सरकारी भूमि पर पत्थर के खंभों को एम.ओ.ई.एफ. एंव सी.सी. के आवश्यक अनुमोदन से बनाया जाना था। तथापि, यह अभी भी एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा किया जाना शेष था। इस प्रकार, जमीन पर दिखाई देने वाली खतरे की रेखा की कमी ने स्थानीय उद्देश्यों के लिए योजना बनाने के उपकरण के रूप में इसके उपयोग को रोका था।

6.1.2 अत्यंत संवेदनशील तटीय क्षेत्रों (सी.वी.सी.ए.) के लिए एकीकृत प्रबंधन योजनाओं (आई.एम.पी.) की तैयारी न करना

विकासात्मक और अन्य खतरों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, सी.आर.जेड. अधिसूचना ने 12[56] पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को सी.वी.सी.ए. के रूप में नामित किया

---

[54] चार कार्यान्वयन अभिकरणों में से प्रत्येक ने परियोजना विकास उद्देश्यों का प्रबंधन करने के लिए पंजीकृत समितियों के रूप में विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किए, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एन.पी.एम.यू.) और राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एस.पी.एम.यू.), परियोजना गतिविधियों का समन्वय करें और कुछ प्रासंगिक परियोजना उप-घटकों को सीधे निष्पादित करें।

[55] खतरा रेखा वह रेखा है जिस पर प्रतिकूल मौसम की घटनाओं और सुनामी जैसे प्राकृतिक खतरों से तट पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

[56] सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र, गुजरात में खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी में मालवन , आचरा , कर्नाटक में कारवार और कुंडापुर , केरल में वेम्बनाड , तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी , उड़ीसा में भैतरकनिका, कोरिंगा , आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी और कृष्णा

था। तटीय संसाधनों और आवासों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय मछुआरों और तटीय समुदायों के साथ परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें सी.वी.सी.ए. के रूप में घोषित किया जाना था। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को हितधारकों[57] के परामर्श से ऐसे सी.वी.सी.ए. की पहचान, योजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया का विवरण देने वाले दिशानिर्देशों को विकसित और अधिसूचित करना था। इसके अलावा, मैंग्रोव के संरक्षण और प्रबंधन, स्थानीय समुदायों[58] की जरूरतों और समुद्र के स्तर में वृद्धि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सी.वी.सी.ए. के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना (आई.एम.पी.) तैयार की जानी थी।

हमने पाया कि यद्यपि आई.एम.पी. के लिए दिशानिर्देश राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एन.सी.एस.सी.एम.) द्वारा तैयार किए गए थे और सितंबर 2016 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, इसे अभी तक अधिसूचित और राज्यों को प्रसारित किया जाना शेष था। अत:, तटीय राज्यों द्वारा आई.एम.पी. तैयार नहीं किया जा सका था। इस प्रकार, सी.वी.सी.ए. असुरक्षित रहे और उनकी पहचान के बाद भी उनका सतत विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने बताया (फरवरी 2022) कि तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आई.एम.पी. तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए दिशा-निर्देशों को अब अधिसूचित किया जाएगा।

6.2 आई.सी.जेड.एम.पी. के घटक 2 के तहत गतिविधियों का आकलन: गुजरात राज्य में आई.सी.जेड.एम. दृष्टिकोणों का संचालन

6.2.1 आई.सी.जेड.एम. योजनाओं की तैयारी में विलंब

आई.सी.जेड.एम. कार्यक्रम के तहत , आई.सी.जेड.एम. योजनाएँ परियोजना की शुरुआत से 2 साल के भीतर अर्थात् 2012 से गुजरात राज्य के चयनित तटीय हिस्सों के लिए तैयार की जानी थीं। हालाँकि, गुजरात केवल 2018 में आई.सी.जेड.एम. योजना की तैयारी पूरी कर पाया था। इन योजनाओं की तैयारी में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप प्रारंभिक निवेश गतिविधियों का कार्यान्वयन हुआ जो आई.सी.जेड.एम. योजनाओं से सामने नहीं आया और इस तरह, ये गतिविधियाँ योजनाओं के लिए इस सीमा तक सहायक सिद्ध नही हो सकी।

---

[57]राज्य सरकार, स्थानीय तटीय समुदाय और क्षेत्र में रहने वाले मछुआरे

[58]औषधालय, स्कूल, सार्वजनिक वर्षा आश्रय, सामुदायिक शौचालय, पुल, सड़कें, घाट, जल आपूर्ति, जल निकासी, सीवरेज

6.2.2 गुजरात पारिस्थितिक शिक्षा और अनुसंधान फाउंडेशन (जी.ई.ई.आर) और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (गुजरात एस.पी.सी.बी.) जैसे विभिन्न हितधारक संस्थानों का क्षमता निर्माण

आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत क्षमता निर्माण और मूंगा प्रत्यारोपण गतिविधियों के लिए एस.पी.एम.यू. द्वारा वर्ष 2010 में जी.ई.ई.आर. के माध्यम से ₹ 15.74 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक परियोजना शुरू की गई। परियोजना का उद्देश्य कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और विभिन्न स्थानों पर समुद्री फील्ड स्टेशन स्थापित करना है। मांडवी और जामनगर में दो समुद्री फील्ड स्टेशनों के भौतिक सत्यापन के दौरान , यह पाया गया कि इन दो स्थानों पर परियोजना के तहत स्थापित 40 उपकरणों में से 33 उपकरण केवल जांच और मायांकन के लिए संचालित किए गए और कभी भी इच्छित उद्देश्य यानी कच्छ की खाड़ी के अंतर्ज्वारीय क्षेत्र की मिट्टी और पानी के भौतिक-रासायनिक मापदंडों का अध्ययन करने के लिए उपयोग नहीं किए गए थे। इसके अलावा, प्रत्येक फील्ड स्टेशन पर चार व्यक्तियों को तैनात करने की आवश्यकता के विपरीत, मांडवी में केवल एक व्यक्ति और जामनगर फील्ड स्टेशन पर दो व्यक्ति तैनात पाए गए।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने बताया कि (फरवरी 2022) कोविड-19 महामारी के के कारण उपकरणों को उपयोग में नही लाया गया। हालांकि, तथ्य यह है कि उपकरण का उपयोग 2016-19 के दौरान यानी महामारी से पहले नहीं किया गया था।

इसी तरह के मामले में, गुजरात पी.सी.बी. की क्षमता निर्माण के तहत, परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरणों की खरीद के द्वारा प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना था। गुजरात एस.पी.सी.बी. द्वारा गांधीनगर, भुज, जामनगर और राजकोट में अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की और आई.सी.जेड.एम. परियोजना के तहत 18 परिष्कृत वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों की खरीद की गई। गांधीनगर में पाई गई केंद्रीय प्रयोगशाला के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि परियोजना के तहत ₹ 4.47 करोड़ की लागत वाले चार वैज्ञानिक उपकरण खरीदे गए, लेकिन नमूना विश्लेषण के लिए गुजरात एस.पी.सी.बी. द्वारा कभी भी उपयोग नहीं किया गया और यह प्रयोगशालाओं में बेकार पड़े रहे। इन उपकरणों के व्यापक अनुरक्षण अनुबंध भी वर्ष 2019 में समाप्त हो गए थे।

6.3 आई.सी.जेड.एम.पी. के घटक 3 के तहत गतिविधियों का आकलनः ओडिशा राज्य में आई.सी.जेड.एम. दृष्टिकोण का संचालन

6.3.1 आई.सी.जेड.एम. योजनाओं की तैयारी में विलंब

आई.सी.जेड.एम. कार्यक्रम के तहत, परियोजना के शुरू होने के 2 साल के भीतर ओडिशा राज्य के चयनित तटीय हिस्सों के लिए आई.सी.जेड.एम. योजनाएं तैयार की जानी थीं। हालाँकि, आई.सी.जेड.एम. योजना केवल 2018 में तैयार की गई। इसके अलावा, ओडिशा की

आई.सी.जेड.एम. योजना को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जानी शेष थी । इस योजना को तैयार करने में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप प्रारंभिक निवेश गतिविधियों का कार्यान्वयन हुआ जो आई.सी.जेड.एम. योजना के तहत सामने नहीं आया और इस तरह, योजना के लिए इस सीमा तक सहायक सिद्ध नही हो सकी।

6.3.2 ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओ.एस.पी.सी.बी.) और चिल्का विकास प्राधिकरण (सी.डी.ए.) में अपर्याप्त क्षमता निर्माण उपाय

(i) ओडिशा के पारादीप - धामरा तटीय खंड में विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के कारण, विभिन्न तटीय जल गुणवत्ता मानकों के मामले में यह क्षेत्र सबसे खराब प्रदूषित तटीय हिस्सों में से एक के रूप में जाना जाता है। ओ.एस.पी.सी.बी. ने 2010 में तटीय पारितंत्र के प्रबंधन के लिए एक केंद्र की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पारादीप-धामरा तटीय खंड में विभिन्न प्रदूषकों के स्रोतों, स्तरों और मार्गों का विश्लेषण करना था। 2013-2015 की अवधि के दौरान ₹ 2.76 करोड़ के 19 प्रयोगशाला उपकरण खरीदे गए थे। यह केंद्र, पानी और मिट्टी के नमूने एकत्र करने और तटीय जल गुणवत्ता मानकों का आंकलन करने के लिए था। यह पाया गया कि वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान केन्द्र इस गतिविधि को प्रभावी रूप से करने में विफल रहा था। नमूनों के संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 33 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक की कमी थी। इसके अलावा, केंद्र आवश्यक जनशक्ति[59] के 55 प्रतिशत पर काम कर रहा था और इसके परिणामस्वरूप नमूनों के विश्लेषण के लिए खरीदे गए उपकरणों का संचालन नहीं हो रहा था। हालांकि केंद्र का उद्देश्य प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की पहचान करके क्षेत्र में तटीय प्रदूषण को दूर करना था, लेकिन केंद्र इसे हासिल नहीं कर पाया था।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने बताया (फरवरी 2022) कि चरणबद्ध भर्ती प्रक्रिया जारी है।

(ii) चिल्का झील पारितंत्र[60] के प्रभावी प्रबंधन के लिए, एक अध्ययन[61] से पता चला कि इस पारितंत्र का उत्तरी क्षेत्र एक आक्रामक खरपतवार, फ्राग्माइटिस प्रकोप से पीड़ित था। लगभग 150 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में कर्का, झील की जल धारण क्षमता को काफी कम कर देता है। इस मामले को हल करने के लिए, ₹ 2.14 करोड़ की लागत से आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत एक बहुउद्देशीय एम्फीबियन वीड हार्वेस्टर (ए.डब्ल्यू.एच.) खरीदा गया (दिसंबर 2018) था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यह मशीन चिल्का झील अंनुसंधान केन्द्र, जिसने हार्वेस्टर की खरीद के लिए समझौता किया था, के बजाय सी.डी.ए., अंसुपा को सौंप दी गई थी। यह भी पाया गया कि अंसुपा झील में मौजूद मशीन का परिनियोजन चिल्का की तुलना में अधिक था,

---

59 फरवरी 2021 तक 41 कर्मियों की आवश्यकता के प्रति 22 व्यक्तियों की तैनाती के कारण स्टाफ की कमी

60 एक रामसर साइट जो 0.2 मिलियन से अधिक स्थानीय समुदायों की आजीविका का समर्थन करने के अलावा प्रवासी पक्षियों और इरावदी डॉल्फ़िन की सबसे बड़ी मण्डली का समर्थन करने के लिए जानी जाती है,

61 चिल्का लैगून के मैक्रोफाइट्स की जैविक विविधता का गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन ' क्षेत्रीय संयंत्र संसाधन केंद्र, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित किया गया था ।

जहां खरपतवार का प्रकोप अधिक था। हालांकि सी.डी.ए. अंसुपा ने झील के डीवीडेड क्षेत्र के उपग्रह चित्र प्रस्तुत किया, लेकिन यह चिल्का में डीवीड किए गए क्षेत्र के बारे में डाटा प्रस्तुत नहीं कर सका। इस प्रकार, चिल्का में खरपतवार हार्वेस्टर की प्रभावशीलता का मूल्यांकन नहीं किया जा सका जिसके लिए इसे खरीदा गया था।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने बताया (फरवरी 2022) कि वीड हार्वेस्टर मशीन को वर्तमान में अंसुपा झील में तैनात किया गया है और अंसुपा में डीवीडिंग समाप्त होने के बाद चिल्का में तैनात किया जाएगा ।

चित्र 31: जल गुणवत्ता निगरानी ब्वॉय प्रणाली

इसके अलावा, सी.डी.ए. 30 दिनों के अंतराल पर झील के 30 पूर्व निर्धारित स्टेशनों से पानी और तलछट के नमूने एकत्र कर रहा था। चूंकि झील की लवण प्रवणता ढाल प्रत्येक ज्वारीय चक्र के साथ बदलती है, इसलिए 30 दिनों के अंतराल पर झील की निगरानी अपर्याप्त पाई गई थी। इसलिए, सी.डी.ए. ने विभिन्न मापदंडों[62] की निगरानी के लिए झील के चार पारिस्थितिक क्षेत्रों में 10 सामरिक स्थानों पर सौर पैनल द्वारा संचालित सेंसर-माउंटेड फ्लोटिंग डाटा बॉय तैनात करने का निर्णय लिया था। इन मापदंडों को प्रत्येक स्टेशन में वास्तविक समय के आधार पर मापा जाएगा और चिल्का में वेटलैंड अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में मॉडलिंग कंप्यूटर को प्रेषित किया जाएगा । दस जल गुणवत्ता निगरानी बॉय सिस्टम, सेंसर के साथ बारह बहु-पैरामीटर जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (डब्ल्यू.क्यू.एम.बी.एस.) और एक नियंत्रण केंद्र डाटा रिसेप्शन ₹ 2.69 करोड़ की लागत पर चिल्का लैगून में 10 विभिन्न स्थानों पर खरीदा और स्थापित किया गया था (अक्टूबर 2012)।

अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि संस्थापना के एक वर्ष और चार माह के भीतर, जून 2016 तक 10 डब्ल्यू.क्यू.एम.बी.एस. में से छः की चोरी हो गई थी और केवल चार ब्वॉय परिचालन में थे। साथ ही, 2014 से किसी भी ब्वॉय से पी.एच. डाटा प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार, 10 स्टेशनों से पूर्ण और निरंतर डाटा के अभाव में चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा ₹ 2.69 करोड़ के व्यय के बावजूद चिल्का झील के अनुवीक्षण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

[62] लवणता, तापमान, चालकता, डिसोल्व्ड ऑक्सीजन, पीएच, गहराई, मैलापन, क्लोरोफिल और नीली हरी एल्गी

6.3.3 ओडिशा में तटीय संसाधनों की सुरक्षा और उप घटक संरक्षण के तहत गतिविधियां

(i) ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं की अपर्याप्त सुरक्षा

धामरा नदी के मुहाने के पास गहिरमाथा रूकरी, ओडिशा का रुशिकुल्या नदी का मुहाना और देवी नदी का मुहाना ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के महत्वपूर्ण सामूहिक नेस्टिंग स्थल बन गए हैं, जिन्हें आई.यू.सी.एन. रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटड स्पीशीज के तहत 'संवेदनशील' प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। ओलिव रिडले कछुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मार्च 2016 में राजनगर वन प्रभाग, केंद्रपाड़ा जिले द्वारा गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य में तटीय गश्त के लिए ₹ 6.23 करोड़ में दो उच्च गति वाले समुद्री जहाजों की खरीद की गई थी। दोनों जहाजों का संचालन सितंबर से अक्टूबर 2017 के बीच किया गया था, जिसके बाद दोनों में खराबी आ गई थी। भले ही दिसंबर 2018 में एक पोत को परिचालित कर दिया गया था, लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों जहाजों के इंजन फरवरी 2020 में खराब हो गए और उसके बाद मरम्मत नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार ₹ 6.23 करोड़ का व्यय करने के बाद भी गहिरमाथा अभयारण्य में प्रभावी समुद्री गश्त का उद्देश्य प्राप्त नही हुआ।

(ii) दंगमल, केंद्रपाड़ा जिला, ओडिशा में अनुसंधान प्रयोगशाला का परिचालन न किया जाना

भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, एक अद्वितीय जैव विविधता हॉट स्पॉट है जिसमें मैंग्रोव सहित समृद्ध जैव विविधता, एस्टुरीन मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी, और अन्य वन्यजीव[63] मौजूद हैं। घायल जंगली जानवरों के बचाव और उपचार, भोजन की आदतों के आकलन के लिए मृत जंगली जानवरों के विसेरा का विश्लेषण, रोगों के लिए रोग/सूक्ष्म अध्ययन और उपचार प्रोटोकॉल के विकास, अध्ययन और विश्लेषण के लिए जंगली जानवरों के विभिन्न अंगों/अंगों के संरक्षण के लिए यहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

इन उद्देश्यों को सुगम बनाने के लिए आई.सी.जेड.एम. परियोजना के तहत नवंबर 2016 में ₹ 32.78 लाख रुपये की लागत से दंगमाल में एक शोध प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रयोगशाला प्रारंभ से ही कार्यात्मक नहीं थी। प्रयोगशाला के भौतिक सत्यापन के दौरान, हमने पाया कि प्रयोगशाला अभी भी काम नहीं कर रही थी, और यह सुविधा निराशाजनक स्थिति में थी, जैसा कि निम्नांकित तस्वीरों में दर्शाया गया है:

[63] जैसे दुर्लभ सफेद मगरमच्छ, सबसे बड़ी पानी की निगरानी करने वाली छिपकली, सांप, निवासी और प्रवासी पक्षियों की किस्में और स्तनधारी प्रजातियां (चित्तीदार हिरण, सांभर , जंगली सूअर, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, जंगली बिल्ली, ऊदबिलाव) आदि ।

चित्र 32: दंगमाल में प्रयोगशाला का कमरा नंबर 1

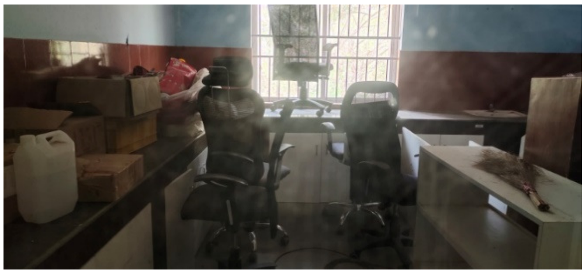

चित्र 33: दंगमाल में प्रयोगशाला का कमरा नंबर 2

(iii) मैंग्रोव के संरक्षण की दिशा में प्रयास

इन क्षेत्रों में जनसंख्या के उच्च घनत्व और कृषि और झींगे की खेती के लिए भूमि की प्रतिस्पर्धी मांग के कारण ओडिशा के तट के साथ-साथ मैंग्रोव को भी खतरा है। आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत, मैंग्रोव वन प्रभाग, राजनगर और पुरी वन्यजीव प्रभाग में 2016-2018 के दौरान तीन चरणों में 228 हेक्टेयर भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ओडिशा के महानदी डेल्टा में मैंग्रोव के संरक्षण के लिए प्रबंधन कार्य योजना के तहत परिकल्पित गतिविधियों में से एक ज्वारीय जलप्लावन और ज्वार के पानी के सुचारू प्रवाह की सुविधा के लिए खाइयों और चैनलों का निर्माण था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ज्वारीय जल का प्रवाह बाधित था क्योंकि वृक्षारोपण स्थलों के आसपास के अधिकांश फीडर चैनल रेत से भरे हुए थे। परियोजना के तहत किए गए मैंग्रोव वृक्षारोपण की उत्तरजीविता दर शून्य से 35 प्रतिशत के बीच थी।

(iv) ओडिशा के पेंथा में तटरेखा संरक्षण:

पेंथा ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में पारादीप-धामरा खंड में धामरा के दक्षिण में स्थित एक कृषि आधारित गांव है। पेंथा में तटरेखा के अपरदन को रोकने के लिए, एक प्रस्तावित आंरभिक परियोजना 'अपरदन के नियंत्रण के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में जियोसिंथेटिक ट्यूबों[64] को बिछाने' को 2012 में ओडिशा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई थी। नदी के रेत भरे जियोट्यूब को कवर करके गेबियन बक्से द्वारा एक तटबंध बनाया जाना था जो पॉलीप्रोपाइलीन रस्सियों से बंधे पत्थरों से बने होते हैं। यह कार्य मैसर्स गारवारे वॉल रोप्स प्रा. लि. को ₹ 32.96 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया था (2012) और जून 2016 तक इसे पूरा कर लिया गया था। हमने तटबंध के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कमियों की जांच की:

64 इस योजना के तहत, तट पर तरंग ऊर्जा को कम करने और जीयो-ट्यूब और तट के बीच रेत के निपटान की सुविधा के उद्देश्य से तटीय वनीकरण के बाद तट के 675 मीटर की लंबाई में समुद्र तट में जीयो-सिंथेटिक ट्यूब बिछाई जानी थी।

- जनवरी 2014 में समीक्षा समिति के दौरे के दौरान, यह पाया गया था कि फैलिन चक्रवात के दौरान बनाई गई दीवार का एक हिस्सा ज्वार की लहरों से क्षतिग्रस्त हो गया था और समुद्र के संपर्क में आने वाले अधिकांश रोप गेबियन बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप रस्सी के अंदर भरे गेबियन पत्थर बाहर आ गए और ग्रेनाइट पत्थरों को ढीला भरे जाने के कारण बिखर गए थे। यह नुकसान खराब निर्माण के कारण हुआ था, क्योंकि इस्तेमाल किए गए पत्थरों का आकार अनुबंध समझौते में निर्दिष्ट किए गए पत्थरों के आकार से छोटा था।

- आई.सी.जेड.एम.ए. द्वारा प्रदान की गई मंजूरी और परियोजना की डी.पी.आर. में परिकल्पना की गई थी कि समुद्र और जीयो-ट्यूब तटबंध[65] के बीच तटीय वनीकरण किया जाना था। परियोजना की स्थिरता के लिए पहचान की गई प्रजातियां कैसुरिना, प्रॉप्सिस, नीम, पंडाना और बाबुल थीं। हालांकि, यह पाया गया कि जीयो-ट्यूब तटबंध के सामने कोई जगह उपलब्ध नहीं होने को कारण बताते हुए उन्होंने वृक्षारोपण नहीं किया था।

- जीयो-टेक्सटाइल ट्यूब तटबंध के सामने आर्मरी पत्थर संरक्षण निर्माण कार्य किया गया था, जो उच्च ज्वार की लहरों के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। इसके लिए, राज्य निधि से ₹ 4.65 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर ली गई थी और इसे मार्च 2018 में पूरा किया गया था। यह जीयो-ट्यूब तटबंध का आर्मरी खंड मई 2019 में क्षतिग्रस्त हो गया था जब ओडिशा का तट भयंकर चक्रवाती तूफान 'फानी' की चपेट में आ गया था। अगस्त 2019 में तटबंध को और नुकसान हुआ जब कुछ शरारती तत्वों ने कुछ गेबियन रस्सियों में आग लगा दी थी। इस पर ₹ 3.28 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

6.3.4 तटीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका का प्रावधान

(i) मछली को स्वच्छता से सुखाने से संबंधित गतिविधि के तहत सृजित आधारभूत संरचना का निष्क्रिय होना:

ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा हेतु मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण ओडिशा के मछुआरे एक वर्ष में लगभग सात महीने की आजीविका सहायता खो देते हैं, आई.सी.जेड.एम.पी. का उद्देश्य चिल्का झील और गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य की परिधि में रहने वाले मछुआरों को आजीविका सहायता प्रदान करना है। 2014 में परियोजना[66] के तहत सूखी मछली उत्पादन के लिए आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित एक गतिविधि शुरू की गई थी।

---

65 ताकि तरंग ऊर्जा को तोड़ा जा सके और जियो-ट्यूब की स्थिरता और कार्यान्वयन को बढ़ाया जा सके

66 इस परियोजना में सोलर ड्रायर की खरीद, कंक्रीट प्लेटफॉर्म का निर्माण, गोदाम , स्थापना और उसका संचालन शामिल था। इस गतिविधि को मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग (एफएंडएआरडी) द्वारा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के गठन के साथ पायलट निष्पादन एजेंसी के रूप में निष्पादित किया गया था।

हमने पाया कि पुरी और गंजम जिलों में कुल 150 एसएचजी का निर्माण किया गया था, जिसमें सीड मनी के लिए प्रत्येक को ₹ 1.50 लाख प्रदान किए गए थे और 2014 में ₹ 5.23 करोड़ से 99 सोलर ड्रायर[67] स्थापित किए गए थे। गोपालपुर क्लस्टर के अंतर्गत 82 सौर ड्रायर के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अगस्त 2021) के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई थी:

क) लेखापरीक्षा ने पाया कि गोपालपुर स्थल पर इस उद्देश्य के लिए केवल गोदाम निर्मित थे, वहां कोई भी सौर ड्रायर नहीं था। जिस स्थल पर सोलर ड्रायर संस्थापित गए थे, वहां पर गोपालपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद द्वारा स्थापित कचरा प्रोसेसिंग संयंत्र ने कब्जा कर लिया गया था।

इसके अलावा, एफ. एवं ए.आर.डी. विभाग द्वारा यह बताया गया था कि चूंकि परियोजना 2016 से निष्क्रिय हो गई थी और संस्थापित उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा चोरी हो गए थे, जिला प्रशासन द्वारा 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत सूक्ष्म खाद केंद्र विकसित करने के लिए एक अन्य परियोजना की सुविधा के लिए सौर ड्रायर यार्ड को ध्वस्त कर दिया गया था।

ख) सना आर्यपल्ली में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सौर ड्रायरों की स्थापना के लिए केवल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया था। चक्रवात में शेड और सौर पैनल क्षतिग्रस्त हो गए थे और ड्रायर चोरी हो गए थे।

ग) पुरुनाबंध और नोलिया नुआगांव में, हमने पाया कि ड्रायर में जंग लग गया था और वह काम नहीं कर रहे थे।

चित्र 34 नोलिया नौगांव में क्षतिग्रस्त सौर पैनल

चित्र 35: पुरुनाबंध में जंग लगे अप्रयुक्त ड्रायर

चूंकि लेखापरीक्षा में जांचा गया कोई भी ड्रायर, समुदाय को आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से कार्यात्मक नहीं था, आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत सुविधाओं के निर्माण पर ₹ 6.72 करोड़ का व्यय निष्फल था।

(ii) इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों पर निष्फल व्यय

ओडिशा के तट के साथ जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन के माध्यम से आजीविका के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, तीन स्थलों नामतः गहिरमाथा

---

[67] सोलर ड्रायर सौर ऊर्जा का उपयोग करके मछलियों को स्वच्छ तरीके से सुखाने की एक प्रणाली है।

वन्यजीव अभयारण्य, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और चिल्का तट पर शिविर बुनियादी रूपरेखा[68] के निर्माण जैसी कुछ गतिविधियां की जानी थीं।

(क) लेखापरीक्षा ने पाया कि भले ही चिल्का तट[69] के साथ पांच शिविर अवसंरचना का निर्माण 2018 में ₹ 1.46 करोड़ के खर्च के बाद किया गया था, लेकिन उचित पानी की आपूर्ति और बिजली की कमी के कारण इसे कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका था।

(ख) ओडिशा पर्यटन विकास निगम (ओ.टी.डी.सी.) द्वारा आजीविका सुरक्षा के तहत चिल्का और टाम्पेरा में सहभागी पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास पर एक परियोजना शुरू की गई थी। अभिलेखों की जांच से पता चला कि ईको-टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी (ई.डी.एस.) के माध्यम से पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिए ₹ 2.97 करोड़ के व्यय पर ओ.टी.डी.सी. द्वारा फूड कोर्ट का निर्माण, सार्वजनिक सुविधा, पार्किंग, पर्यटक सूचना केंद्र इत्यादि जैसी विभिन्न संपत्तियां बनाई गई थीं। हालांकि, इन संपत्तियों को मई 2016 के दौरान ई.डी.एस. को सौंप दिया गया था, उन्हें सितंबर 2021 तक ई.डी.एस. द्वारा परिचालन नहीं किया जा सका, क्योंकि यह साइट पर्यटकों को आकर्षित करने में विफल रही थी।

(ग) चिल्का तट और भितरकनिका में पारिस्थितिकी पर्यटन के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, मार्च से जुलाई 2014 के बीच सात ट्रांजिट नौकाएं, चार लक्जरी नौकाएं और तीन कटमरैन नौकाएं क्रमशः चिल्का के वन्यजीव प्रभाग, राजनगर के वन प्रभाग और बरहामपुर के वन प्रभाग द्वारा ₹ 7.95 करोड़ की लागत पर खरीदी गई थीं।

अभिलेखों की संविक्षा में पाया गया कि चिल्का वन्य जीव प्रमंडल द्वारा खरीदी गई सात ट्रांजिट नौकाओं का संचालन विभाग द्वारा मात्र 11 माह[70] के लिए किया गया था। हालांकि, ईंधन की भारी खपत के कारण, ये नावें पारिस्थितिक पर्यटन की दृष्टि से उपयोगी नहीं पाई गई थीं। बरहामपुर वन मंडल द्वारा खरीदी गई तीन कटमरैन नौकाओं को खरीद की तारीख से लगभग दो वर्षों तक बेकार पड़ी रहने के बाद इन्हें फरवरी 2016 में राजानगर वन प्रभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। इन तीन नौकाओं को सितंबर 2017 तक संचालित किया गया और उसके बाद निष्क्रिय छोड़ दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजनगर के वन प्रभाग के अंतर्गत चार लग्जरी नौकाओं का भी परिचालन नहीं किया जा सका था। एक वर्ष और तीन महीने तक निष्क्रिय रहने के बाद, एक अभिकरण जो सितंबर 2017 तक नौकाओं को संचालित करने के लिए लगाई गई थी (जनवरी 2016), वह अक्टूबर 2017 में संचालन से बाहर हो गई क्योंकि विभाग से समर्थन की कमी के कारण उसे भारी नुकसान हुआ था।

---

[68] जिसमें किचन, पेयजल, सोलर लाइटिंग, फर्नीचर और फिटिंग के साथ-साथ टेंट लगाने के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण आदि की व्यवस्था है।

[69] रामभारतिया , बरहामपुरा , खिरिसाही , बालियानला , पोखरीकुड़ा

[70] दिसंबर 2014 से अक्टूबर 2015

6.4 आई.सी.जेड.एम.पी. के घटक 4 के तहत गतिविधियों का आकलन: पश्चिम बंगाल राज्य में आई.सी.जेड.एम. दृष्टिकोण का संचालन

6.4.1 आई.सी.जेड.एम. योजनाओं की तैयारी में विलंब

आई.सी.जेड.एम. कार्यक्रम के तहत, परियोजना की शुरुआत से 2 साल के भीतर पश्चिम बंगाल राज्य के चयनित तटीय हिस्सों के लिए आई.सी.जेड.एम. योजनाएं तैयार की जानी थीं। हालाँकि, आई.सी.जेड.एम. योजनाओं की तैयारी अगस्त 2020 में ही हो पाई थी। इन योजनाओं की तैयारी में अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप पायलट निवेश गतिविधियों का कार्यान्वयन हुआ जो आई.सी.जेड.एम. योजनाओं से सामने नहीं आया और इस प्रकार, ये गतिविधियाँ निम्नलिखित योजनाओं की इस हद तक पूरक नहीं हो सकी थीं।

6.4.2 पश्चिम बंगाल में आई.सी.जेड.एम.पी. के पर्यावरण और प्रदूषण प्रबंधन उप-घटक के तहत गतिविधियों के संबंध में पाया गया अंतराल

(i) दीघा में सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र (एस.टी.पी.) के खराब कामकाज के कारण प्रदूषित पानी को समुद्र में डाला जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में आई.सी.जेड.एम.पी. के पर्यावरण और प्रदुषण प्रबंधन उप-घटक के तहत, सार्वजनिक स्वास्थ्य आभियांत्रिकी निदेशालय (पी.एच.ई.डी.), पश्चिम बंगाल द्वारा दिसंबर 2012 में 'दीघा में स्वच्छता सीवरेज योजना का नवीनीकरण' नामक एक परियोजना शुरू की गई थी । इस परियोजना में ₹ 34 करोड़ की अनुमानित लागत पर 201 मिलियन लीटर प्रति माह की क्षमता वाले एक एस.टी.पी. के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इसका निर्माण सितंबर 2016 में ₹ 28.87 करोड़ की लागत पर किया गया था ।

यह पाया गया कि हालांकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.), केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सी.ओ.डी.), सस्पेंडेड सॉलिड, नाइट्रोजन, फॉस्फेट आदि से संबंधित मापदंडों को मापा गया था, नमूनों के संग्रह और परीक्षण के लिए कोई आवधिकता निर्धारित नहीं की गई थी। इसके अलावा, उपचारित पानी के पैरामीटर, अर्थात् पी.एच., कुल डिसौल्व्ड सॉलिड, तेल और ग्रीस, अनुमेय सीमा से अधिक पाए गए थे। इसके अलावा, यह पाया गया कि 2015-20 के दौरान बहिःस्राव में फेकल कोलीफॉर्म की जांच के लिए परीक्षण नहीं किए गए थे। इस प्रकार, रुपये का खर्च करने के बाद भी ₹ 28.87 करोड़ के एसटीपी के निर्माण पर, उपचारित सीवेज जल प्रदूषकों को अनुमेय सीमा से अधिक ले जाना जारी रखा गया, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा हो सकता है।

(ii) दीघा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्यान्वयन न किया जाना

दीघा और शंकरपुर क्षेत्र में आई.सी.जेड.एम.पी. के उद्देश्यों में से एक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट संग्रह, परिवहन और स्वच्छता निपटान से जुड़े मामलों से निपटने और तटीय प्रदूषण को कम

करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रबंधन योजना विकसित करना था। दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण (डी.एस.डी.ए.) इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन अभिकरण थी।

डी.एस.डी.ए. ने 2010 में इस काम को अपने हाथों में लिया था और ₹ 24.22 लाख का व्यय करके एक सलाहकार फर्म[71] के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन करवाया था। अध्ययन से पता चला है कि उत्पन्न कुल अपशिष्ट में से, सामान्य दिनों में 12.43 टी.पी.डी. और पीक सीजन के दौरान 33.64 टी.पी.डी., सामान्य दिनों में केवल 3.36 टी.पी.डी. और पीक सीजन के दौरान 7.86 टी.पी.डी. डी.एस.डी.ए द्वारा संग्रह किया जा सका था और इसे एक खुले क्षेत्र में डंप किया गया था। यह खुला डंपिंग स्थल 2002 से चालू था और इसमें एक कंपोस्टिंग सुविधा थी जो परिचालन में नही लिया जा रहा था लेखापरीक्षा ने पाया कि इस परियोजना को निधी की कमी के कारण छोड़ दिया गया था क्योंकि डीएसडीए के अधिकारियों ने बताया कि वे परियोजना के वार्षिक अनुरक्षण और संचालन प्रभार के रूप में प्रति वर्ष ₹ 2.20 करोड़ की आवश्यकता को प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हमने यह भी पाया कि बाद में राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य परियोजना शुरू नहीं की गई थी। इस प्रकार, तटीय प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था।

(iii) दीघा में मछली नीलामी केंद्र का नवीनीकरण

पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा मोहाना में एक अस्वच्छ अस्थायी मछली नीलामी केंद्र उचित जल निकासी और ठोस अपशिष्ट के निपटान के बिना दो दशक से अधिक समय से चल रहा था। आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत, मछली नीलामी केंद्र को मार्च 2015 तक पुनः नवीनीकृत किए जाने का प्रस्ताव (2010) किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार के एक उद्यम पश्चिम बंगाल मत्स्य निगम लिमिटेड (डब्ल्यू.बी.एफ.सी.एल.) को ₹ 6.75 करोड़ की लागत से मछली नीलामी केंद्र का निर्माण योजना बनाने, डिजाइन करने और निष्पादित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डब्ल्यू.बी.एफ.सी.एल. ने इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक भूमि के उचित स्थल चयन और सर्वेक्षण के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। हालांकि, यह पाया गया कि दीघा फिशरमैन एंड फिश ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा डब्लू.बी.एफ.सी.एल. को हस्तांतरित किए गए मछली नीलामी केंद्र के निर्माण के लिए निर्धारित भूमि को डब्ल्यू.बी.एफ.सी.एल. को बिना किसी सूचना के बर्फ संयंत्र के निर्माण के लिए बेनफिश (पश्चिम बंगाल फिशरमेन्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड) को पुन: आवंटित किया गया था। इसके अलावा, विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने दीघा की अपनी साइट के दौरे पर पाया कि प्रस्तावित नीलामी केंद्र के निर्माण के लिए भूमि के क्षेत्र में कमी थी और जमीन का वास्तविक क्षेत्र उस ड्राइंग से मेल नहीं खाता था जिसके आधार पर बोली दस्तावेज तैयार और विज्ञापन दिया गया था।

---

[71] मैसर्स क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड

2014 में आयोजित एस.आई.सी.ओ.एम. की ग्यारहवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस परियोजना को इस कारण से हटा दिया गया था कि इसे आवश्यक मंजूरी नहीं मिली थी। इस प्रकार, बोली प्रक्रिया शुरू करने से पहले डब्ल्यू.बी.एफ.सी.एल. द्वारा आवश्यक जमीनी सर्वेक्षण की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप विज्ञापन लागत, पूर्व-बोली बैठक, बोली खोलने की बैठक, भूमि की माप के लिए साइट के दौरे आदि पर किया गया कुल खर्च ₹ 18.00 लाख था।

6.5 निष्कर्ष

- हालांकि आई.सी.जेड.एम. परियोजना, चरण -I को सफल करार दिया गया था, केंद्र और राज्यों दोनों में इस परियोजना की लेखापरीक्षा के दौरान कई कमियां पाई गई थी। जमीन पर दिखाई देने वाली जोखिम रेखा की कमी ने स्थानीय उद्देश्यों की योजना बनाने के उपकरण के रूप में इसके उपयोग को रोका था।
- सी.वी.सी.ए. के लिए आई.एम.पी. को आई.सी.जेड.एम.पी. के चरण-I के पूरा होने के बाद भी अधिसूचित नहीं किया जा सका था और यह विशिष्ट प्रबंधन योजनाओं के अभाव में असुरक्षित रहे थे। आई.सी.जेड.एम.पी. योजनाओं की तैयारी में भी विलंब हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप योजना और वास्तविक परियोजनाओं के बीच कोई संबंध नहीं था।
- यह परियोजना, चयनित संस्थानों की क्षमता निर्माण को मजबूत नहीं कर सकी थी क्योंकि उनमें से अधिकांश अपर्याप्त जनशक्ति के साथ काम कर रहे थे। परियोजना के तहत सृजित बुनियादी रूपरेखा राज्य के अधिकारियों द्वारा इसे बनाए रखने के लिए निधी जुटाने में असमर्थता के कारण निष्क्रिय पड़ा था। तटीय संसाधनों की निगरानी और सुरक्षा उपाय अपर्याप्त पाए गए थे। महत्वपूर्ण परियोजनाओं का गैर-निष्पादन जिसमें तटीय प्रदूषण को काफी हद तक कम करने की क्षमता थी, इस परियोजना के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया था। परिणामस्वरूप, भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए स्थायी तटीय प्रबंधन की क्षमता के विकास में आई.सी.जेड.एम. परियोजना बहुत सफल नहीं रही।

अध्याय 7: सतत विकास लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर 2015 में सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और 2030 तक सभी लोगों को शांति और समृद्धि का आनंद लेने के लिए एक सार्वभौमिक मांग के रूप में अपनाया था। 25 सितंबर 2015 को 'ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' नामक दस्तावेज को अपनाने के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्तरवें सत्र में अगले 15 वर्षों के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। इस सत्र में, भारत सहित प्रत्येक देश ने आने वाले 15 वर्षों में लक्ष्यों और लक्ष्यों को लागू करने में हुई प्रगति के संबंध में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी स्वीकार की थी। एसडीजी 01 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था।

एस.डी.जी .14- 'पानी के नीचे जीवन'

इस सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना है। इस लक्ष्य के तहत तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए प्रासंगिक लक्ष्य जिनकी लेखापरीक्षा में जांच की गई थी, वे नीचे दिए गए हैं:

लक्ष्य	विवरण
14.1	2025 तक, सभी प्रकार के समुद्री प्रदूषण को रोकें और महत्वपूर्ण रूप से कम करें, विशेष रूप से भूमि-आधारित गतिविधियों से, जिसमें समुद्री मलबे और पोषक तत्व प्रदूषण शामिल हैं।
14.2	2020 तक, महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए समुद्री और तटीय पारितंत्रों का स्थायी प्रबंधन और संरक्षण करना, जिसमें उनके लचीलेपन को मजबूत करना शामिल है, और स्वस्थ और उत्पादक महासागरों को प्राप्त करने के लिए उनकी बहाली के लिए कार्रवाई करना।
14.3	समुद्र के अम्लीकरण के प्रभावों को कम करना और उनका समाधान करना, जिसमें सभी स्तरों पर वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाना शामिल है
14.5	2020 तक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप और सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर कम से कम 10 प्रतिशत तटीय और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करें।

भारत में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) के पास एस.डी.जी. के कार्यान्वयन और सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों को एस.डी.जी. के साथ संरेखित करने की समग्र जिम्मेदारी है। इसे एस.डी.जी. के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों की पहचान करने और उन्हें कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंपने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एस.डी.जी.-14 की दिशा में गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को एक नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया है। लेखापरीक्षा ने लक्ष्य के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सरकार के प्रयासों की समीक्षा की थी। लेखापरीक्षा ने मुख्य रूप से मंत्रालयों की कार्यनीति के साथ-साथ संबंधित संस्थानों द्वारा तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया था।

7.1 अपूर्ण हितधारक मानचित्रण

हितधारक मानचित्रण निर्णय निर्माता को यह आकलन करने में सहायता करता है कि परियोजना योजना, नीति और कार्यक्रम या अन्य कार्रवाई में हितधारक के हित को कैसे संबोधित किया जाना है। नीति आयोग ने एस.डी.जी.-14 के तहत लक्ष्यों के संबंध में हितधारकों की मानचित्रण की थी। तदनुसार, एस.डी.जी.-14 के लिए हितधारक/लाइन मंत्रालय थे- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस मानचित्रण को अगस्त 2017 और अगस्त 2018 में संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने हितधारक मानचित्र की जांच की और पाया कि कुछ महत्वपूर्ण हितधारक संगठन मानचित्र में शामिल नहीं थे। तेल प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्रीय समन्वय अभिकरण के रूप में नामित भारतीय तटरक्षक बल के पास तेल रिसाव के प्रति देश के समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करने का अधिदेश है। एस.डी.जी. 14.1 (समुद्री प्रदूषण) से संबंधित गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के बावजूद, हितधारक मानचित्र में भारतीय तटरक्षक बल को शामिल नही किया गया था।

जलपोत स्रोत प्रदूषण समुद्री जैव विविधता को प्रभावित करने वाले समुद्री प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 के तहत विभिन्न प्रावधान पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को जहाजों, जहाजों के मलबे, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत करने वाले उद्योगों और जहाज तोड़ने से होने वाले प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य करते हैं। हितधारक मानचित्रण में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय शामिल नहीं था।

एम.ओ.ई.एस. ने कहा (फरवरी 2022) कि एस.डी.जी.-14 की उपलब्धि के लिए हितधारक मानचित्रण से संबंधित सिफारिशों को नोट कर लिया गया है और इस संबंध में नीति आयोग और अन्य हितधारक मंत्रालयों के साथ इस मुद्दे को उठाया जाएगा।

7.2 राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा में कमियां

एस.डी.जी. संकेतक मात्रात्मक आउटपुट हैं जो कार्यान्वयनकर्ता को कार्यान्वयन प्रयासों की प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एस.डी.जी. के वैश्विक संकेतक रूपरेखा (जी.आई.एफ.) के रूप में 232 संकेतकों को अपनाया था। सदस्य देशों को जी.आई.एफ. के आधार पर राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (एन.आई.एफ.) तैयार करना था जो नीति निर्माताओं और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयनकर्ताओं को संबंधित एस.डी.जी. लक्ष्यों को प्राप्त करने पर उनकी प्रगति पर नजर रखने के लिए उचित निर्देश देगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) को एस.डी.जी. और संबंधित लक्ष्यों की प्रगति को मापने के लिए राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (एन.आई.एफ.) विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एम.ओ.एस.पी.आई. जुलाई 2019 में एस.डी.जी. राज्य संकेतक रूपरेखा (एस.आई.एफ.) के विकास के लिए दिशा-निर्देश लेकर आया था। एस.डी.जी. की दिशा में प्रगति का आकलन करने में एस.डी.जी. संकेतकों के महत्व को देखते हुए, राष्ट्रीय संकेतकों को देश के विशिष्ट पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वैश्विक संकेतकों के साथ संरेखित करना था। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने व्यक्तिगत एस.डी.जी. 14 लक्ष्यों के प्रति बनाए गए संकेतकों की समीक्षा की और कुछ कमियां पाई गई।

7.2.1 एस.डी.जी. 14.1 के वैश्विक संकेतकों में 'तटीय सुपोषण और प्लास्टिक मलबे के घनत्व का सूचकांक' शामिल है। जबकि एम.ओ.ई.एस. द्वारा तैयार राष्ट्रीय संकेतक तटीय जल गुणवत्ता सूचकांक (सी.डब्ल्यू.क्यू.आई.) पोषक तत्वों के प्रदूषण को ध्यान में रखता है, एम.ओ.ई.एस. को प्लास्टिक मलबे के घनत्व से संबंधित एक संकेतक तैयार करना बाकी था। एम.ओ.ई.एस. ने कहा (जनवरी 2022) कि उन्होंने 2019 में इस सूचक के संबंध में प्रारंभिक डाटा का संग्रह करना शुरू कर दिया है।

7.2.2 एस.डी.जी. लक्ष्य 14.2 के लिए वैश्विक संकेतक 'समुद्री क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण का उपयोग' था। पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण भूमि, जल और जीवित संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन को इस तरह से बढ़ावा देता है जो पारस्परिक रूप से संगत संरक्षण और सतत उपयोग प्राप्त करता है और लोगों एवं प्रकृति के लिए समान लाभ प्रदान करता है। एस.डी.जी. 14.2 के लिए राष्ट्रीय संकेतक 'मैंग्रोव के तहत क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन' और 'समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में प्रतिशत परिवर्तन' थे। हमने पाया कि संकेतक एस.डी.जी. लक्ष्य को समग्र रूप से संबोधित नहीं करते हैं और इस हद तक वैश्विक संकेतकों के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि संकेतक अनिवार्य रूप से मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन के लिए केवल विकसित कार्यक्रमों के आउटपुट को मापता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित गतिविधियों की सूची में उप-संकेतक और जैव विविधता का भी गठन होना चाहिए था, मत्स्य सूचकांकों को लक्ष्य के लिए आदर्श रूप से आउटपुट संकेतक बनाना चाहिए था।

7.2.3 एम.ओ.एस.पी.आई. द्वारा तैयार एन.आई.एफ. के अनुसार, 'सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 का कार्यान्वयन' वैश्विक संकेतक एस.डी.जी. 14.2.1 के लिए राष्ट्रीय संकेतकों में से एक के रूप में शामिल किया गया था। हमने पाया कि इस संकेतक को बाद में 2020 में इस तथ्य के कारण हटा दिया गया था कि संकेतक प्रकृति में स्थिर था और यह माप के लिए उपयुक्त नहीं था। हालांकि, तटीय वातावरण में पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिए सी.आर.जेड. का प्रवर्तन महत्वपूर्ण है। सी.आर.जेड. के साथ-साथ आई.सी.जेड.एम.पी. के कार्यान्वयन में गतिविधियों का एक क्रम शामिल है जो सी.जेड.एम.पी. की तैयारी, सी.वी.सी.ए. के सीमांकन, विभिन्न स्थानिक संदर्भ लाइनों के सीमांकन और ग्राउंड मार्किंग के साथ शुरू होता है। हालांकि, इन डिलिवरेबल्स को संकेतक रूपरेखा में नहीं लाया गया था।

7.3 डाटा गुणवत्ता संबंधी मुद्दे

एस.डी.जी. लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर प्रगति पर नजर रखने के लिए गुणवत्ता डाटा महत्वपूर्ण है। एस.डी.जी. लक्ष्यों की प्रगति पर नजर रखने के लिए विभिन्न स्रोतों से डाटा के संग्रह, विश्लेषण और एकीकरण की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा ने एस.डी.जी.-14 आउटपुट संकेतकों से संबंधित डेटा अंतराल का आकलन किया और निम्नलिखित पाया:

क) समुद्री प्रदूषण से संबंधित एस.डी.जी. 14.1 की उपलब्धि का आकलन करने के लिए सी.डब्ल्यू.क्यू.आई. महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। सी.डब्ल्यू.क्यू.आई. बनाने वाले विभिन्न मानकों को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एस.डब्ल्यू.क्यू.एम.) के तहत एम.ओ.ई.एस. द्वारा मापा जाता है। एस.डब्ल्यू.क्यू.एम. का उद्देश्य समय-समय पर भारत के तटीय जल में जल गुणवत्ता मानकों की निगरानी करना था। इस कार्यक्रम में घरेलू, औद्योगिक, कृषि और जलीय कृषि अपशिष्ट जैसे समुद्री प्रदूषण के भूमि आधारित स्रोतों पर चयनित प्रमुख कस्बों/शहरों से डाटा का संग्रह और विश्लेषण शामिल था। लेखापरीक्षा ने पाया कि डाटा संग्रह बिंदु 1990-2011 के दौरान 81 स्थानों से घटकर वर्ष 2017 में 17 हो गए थे। डाटा संग्रह बिंदुओं की संख्या को 2021 में बढ़ा कर 50 तक कर दिया गया था। साथ ही, यह पाया गया कि सभी भाग लेने वाले संस्थानों द्वारा सभी चार सत्र के लिए डाटा लगातार एकत्र नहीं किया गया था। निरंतर डाटा की कमी उन विश्लेषणों को प्रभावित करेगी जो समय के साथ डाटा पैटर्न को समझने के लिए किए जाने थे।

7.4 संकेतकों का स्थानीयकरण

एस.डी.जी. लक्ष्यों के लिए राज्य संकेतकों की समीक्षा करते समय, यह पाया गया कि अधिकांश तटीय राज्य अपनी व्यक्तिगत महत्वपूर्ण विकास प्राथमिकताओं और डाटा आवश्यकताओं के आधार पर स्थानीय संकेतकों के साथ नहीं आए थे। हमने पाया कि महाराष्ट्र और केरल राज्यों द्वारा राज्य संकेतक रूपरेखा तैयार नहीं की गई थी। यह पाया गया कि गुजरात को छोड़कर, अन्य सभी तटीय राज्यों ने राज्य विशिष्ट पर्यावरणीय पहलुओं के अनुकूल किए बिना

एम.ओ.एस.पी.आई. द्वारा विकसित राष्ट्रीय संकेतकों को अपनाया गया था। साथ ही, उन राज्यों में जहां एस.आई.एफ. तैयार किए गए थे, जिला स्तर पर आगे स्थानीयकरण केवल कर्नाटक राज्य द्वारा जिला संकेतक रूपरेखा (डी.आई.एफ.) को अधिसूचित करके किया गया था।

7.5 निष्कर्ष

- एस.डी.जी. 14 के लिए हित्तधारक मानचित्रण लक्ष्य प्राप्ति से जुडे कुछ प्रमुख घटकों में कारक नहीं है।
- एस.डी.जी. का स्थानीयकरण अपने प्रारंभिक चरण में है, जिसमें दो तटीय राज्यों ने अभी तक राज्य संकेतक रूपरेखा को अधिसूचित नहीं किया है और केवल कर्नाटक राज्य एस.डी.जी. 14 के लिए जिला संकेतक रूपरेखा विकसित कर रहा है।

अध्याय 8: निष्कर्ष एवं अभ्युक्तियां

तटीय और मुहाना पारितंत्र, वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिनमें से कई खाद्य आपूर्ति, जल-गुणवत्ता प्रक्रियाओं के विनियमन, तूफान संरक्षण और कार्बन भंडारण जैसे भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। तटीय पारितंत्र के संरक्षण और इसके स्थायी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने सी.आर.ज़ेड. विनियमों और आई.सी.ज़ेड.एम.पी. परियोजना की शुरुआत की। हमने उनकी प्रभावकारिता और प्रभावशीलता के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सी.आर.ज़ेड. विनियमों और आई.सी.ज़ेड.एम.पी. परियोजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा की गई थी।

1. सी.आर.ज़ेड. अधिसूचना 2019 के प्रावधानों के अनुसार सी.आर.जेड. क्षेत्रों में गतिविधियों को विनियमित करने के लिए केंद्र और राज्य में संस्थागत तंत्र की पर्याप्तता

केंद्र/राज्यों में मौजूद सी.आर.जेड. अधिसूचना 2019 के प्रावधानों के अनुसार सी.आर.जेड. क्षेत्रों में गतिविधियों को विनियमित करने के लिए संस्थागत तंत्र की हमारी जांच से पता चला है कि एन.सी.जेड.एम.ए. निर्धारित सदस्यों के साथ एक स्थायी निकाय नहीं था। एन.सी.ज़ेड.एम.ए. अधिकतर परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए मिलते थे और उनके द्वारा अन्य अनुसंधान और सलाहकार की भूमिका को पूरा नहीं किया गया था। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति में तकनीकी सदस्यों की कमी थी, इस प्रकार इसकी सिफारिशों में वैज्ञानिक आधार का अभाव था। राज्यों में एस.सी.ज़ेड.एम.ए. का समय पर पुनर्गठन नहीं किया गया था, महत्वपूर्ण हितधारकों की भागीदारी की कमी थी, पर्याप्त संसाधन नहीं थे, और बिना कोरम के परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई थी। कई राज्यों में डी.एल.सी. का पुनर्गठन नहीं किया गया था, और इसमें महत्वपूर्ण हितधारकों की भागीदारी का अभाव था; इस प्रकार, वह सी.आर.ज़ेड. विनियमों को लागू करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सका था। इस प्रकार, एन.सी.जेड.एम.ए., एस.सी.जेड.एम.ए. और डी.एल.सी. के गठन और कामकाज में कमियां तटीय क्षेत्रों के सतत विकास को सुनिश्चित करने में चुनौतियों का समाधान करने में उनकी प्रभावशीलता को कम कर देंगी। साथ ही, सी.आर.जेड. विनियमों के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न एजेंसियां तटीय प्रबंधन योजनाओं के साथ-साथ तट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए योजनाओं की समय पर तैयारी सुनिश्चित नहीं कर सकीं जो कि तटीय क्षेत्रों के सतत विकास की कुंजी थी। इस प्रकार, सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुसार तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों को विनियमित करने के लिए संस्थागत तंत्र कमजोर था और सीआरजेड विनियमों में परिकल्पित रूप के अनुसार प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सका था।

2. तटीय पारितंत्र के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा सी.आर.जेड. मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया

हमने जांच की कि क्या सरकार द्वारा दी गई सी.आर.जेड. मंजूरी तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए नियत प्रक्रिया के अनुसार थी। सीआरजेड विनियमों के अनुसार, विभिन्न तटीय क्षेत्रों में केवल स्वीकृत गतिविधियों की अनुमति है और परियोजनाओं को पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययनों और तटीय पारिस्थितिकी के लिए उत्पन्न जोखिमों को दूर करने की योजना के आधार पर अनुमोदित किया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि पर्यावरण प्रभाव अध्ययनों में विभिन्न अपर्याप्तताओं जैसे गैर-मान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा पर्यावरण प्रभाव रिपोर्टों को तैयार करना, पुराने बेसलाइन डाटा का उपयोग, पर्यावरण प्रभावों के पूर्ण विश्लेषण की कमी, आपदा प्रबंधन को ईआईए रिपोर्ट में पूरी तरह से न बाताया जाना शामिल थी परंतु इन ई.आई.ए. रिपोर्टों के आधार पर परियोजनाओं को एम.ओ.ई.एफ.सी.सी./एस.सी.ज़ेड.एम.ए. द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इसके अलावा, इन परियोजनाओं से पर्यावरण को होने वाले जोखिमों को दूर करने के लिए शमन योजनाएं पर्याप्त नहीं थीं क्योंकि कई परियोजनाओं में जोखिमों को केवल सरसरी तौर पर किया गया था। संचयी प्रभाव अध्ययनों को अनुमोदन के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित नहीं किया गया था, ताकि यह जांच की जा सके कि परियोजना को जोड़ने से तटीय पारिस्थितिकी में परिवर्तन होगा या नहीं। इसके अलावा, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने स्वीकार किया और बताया कि उन्होंने परियोजना के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरण मानकों को सत्यापित नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि जन सुनवाई की प्रक्रिया जिसमें स्थानीय समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों पर बहुमूल्य इनपुट शामिल होगा, की गलत गणना की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि परियोजनाओं को यह विचार किए बिना मंजूरी दी गई थी कि वे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित हैं, जो इन नाजुक और कमजोर क्षेत्रों के पारितंत्र के संतुलन को प्रभावित करेगा। एस.सी.ज़ेड.एम.ए. द्वारा अपने प्राधिकार से अधिक और अनिवार्य दस्तावेजों के बिना परियोजना को अनुमोदन प्रदान करना अनुमोदन तंत्र पर जांच को कमजोर करेगा और तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण में बाधा उत्पन्न करेगा। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि विशिष्ट परियोजनाओं को अनुमति देने के लिए सी.आर.जेड. अधिसूचनाओं में संशोधन किया गया था, इसलिए तटीय पारिस्थितिकी के लिए जोखिम को कम करने की शमन योजना सुनिश्चित नहीं की जाएगी जिससे इन परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

अतः, परियोजनाओं द्वारा पर्यावरण को प्रभावित न करने के लिए बनाए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया गया इस प्रकार, इन परियोजनाओं का तटीय पारिस्थितिकी पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

3. मंज़ूरी के बाद निगरानी के साथ-साथ सी.आर.जेड. विनियमों के प्रवर्तन तंत्र द्वारा तटीय पारितंत्रों की सुरक्षा

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और इसके अभिकरणों द्वारा उनके अनुमोदन के बाद परियोजनाओं की निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि जिन शर्तों के तहत परियोजना को मंज़ूरी दी गई थी, उनका अनुपालन किया जा रहा है। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मंज़ूरी में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल हुए थे। इसके अलावा, परियोजना प्राधिकारियों ने अनिवार्य रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की थी, जिससे निगरानी प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता था। परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा संचालन की सहमति और स्थापना की सहमति जैसी महत्वपूर्ण मंज़ूरी नहीं ली गई थीं। इस प्रकार, सी.आर.ज़ेड. विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मंज़ूरी पश्चात् तंत्र प्रभावी नहीं था। अतः, इन परियोजनाओं द्वारा तटीय पारिस्थितिकी के लिए उत्पन्न जोखिमों पर नियंत्रण कर पाना कठिन हो जाएगा।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.आर.ज़ेड. विनियमों के उल्लंघनों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र में बहुत सी कमियां थीं। सैटेलाइट ईमेजरी की मदद से, लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.आर.जेड. 1 क्षेत्रों में अनियमित विकास गतिविधियां हुई थीं जैसे कि ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं की नस्टिंग साइटों पर निर्माण और पट्टीपुलम, तमिलनाडु में सी.आर.जेड. 1 क्षेत्र में रेसट्रैक का निर्माण। जी.आई.एस. टूल्स की मदद से, हमें काचीपुरम जिले में बीच रिसॉर्ट्स के निर्माण और देवभूमि, द्वारका में नो डेवलपमेंट जोन में बनाए गए जेटी एक्सटेंशन जैसे सी.आर.जेड. 1 ए क्षेत्र में अनियमित निर्माण जैसे अप्रतिबंधित उल्लंघन मिले थे। लेखापरीक्षा ने पर्यावरण- नाजुक वेम्बनाड झील और अक्कुलम झील क्षेत्र में अतिक्रमण और सी.आर.जेड. उल्लंघन, तिरूवनंतपुरम में एन.डी.जेड. में एक मॉल का निर्माण, कर्नाटक के उडीपी जिले में नो डेवलपमेंट क्षेत्र में सड़क निर्माण, वेम्बनाड झील के आर्द्रभूमि क्षेत्र में एक वाणिज्यिक आवासीय परियोजना का निर्माण भी पाया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि कई उद्योग तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण का कारण बने जैसे गुंटूर जिले, आंध्र प्रदेश में तटीय जलीय कृषि इकाइयां और कन्याकुमारी जिले, तमिलनाडु के सी.आर.जेड. क्षेत्रों में बर्फ संयंत्रों और मछली पैकिंग इकाइयां मौजूद थीं। एस.सी.जेड.एम.ए./प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/डी.एल.सी. जैसे प्राधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार, उल्लंघनों के प्रति प्रभावी कार्रवाई के अभाव में कोई निवारण नहीं हुआ और तटीय क्षेत्रों का क्षरण लगातार हो रहा था। इस प्रकार, सी.आर.जेड. विनियमों की मंज़ूरी के बाद की निगरानी और प्रवर्तन अप्रभावी थे जिसके परिणामस्वरूप तटीय पारितंत्र में अपरिवर्तनीय परिवर्तन होंगे।

लेखापरीक्षा ने मानवजनित गतिविधियों के प्रभावों के कारण संवेदनशील और नाजुक समुद्री पारितंत्र की स्थितियों का आकलन करने के लिए नौ तटीय राज्यों में से प्रत्येक के दो तटीय

जिलों की भी नमूना जांच की थी। हमने पाया कि मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी और गोवा में कोरल जैसी तटीय जैव विविधता को उनके प्रसार और स्थिति की निगरानी के लिए डाटा की अनुपस्थिति के कारण जोखिमों का सामना करना पड़ रहा था। गोवा में तटीय रेत के टीलों को नुकसान हुआ क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति दी गई थी जहां वे मौजूद थें। मैंग्रोव भी पूरी तरह से संरक्षित नहीं थे क्योंकि गोवा में विकास परियोजनाओं के लिए मैंग्रोव काटने के मामले पाए गए थे। गुजरात में, एस.सी.जेड.एम.ए. कच्छ में मैंग्रोव विनाश को रोकने में विफल रहा और गोवा में खजान भूमि में मैंग्रोव को प्रभावित करने वाली अनुमेय गतिविधियों की अनुमति दी गई थी।

इसके अलावा, तटीय पारिस्थितिकी को कर्नाटक के तटीय जिलों में नगरपालिका के सीवेज के समुद्र में निर्वहन और महाराष्ट्र में नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा समुद्र में अनुपचारित सीवेज के निर्वहन के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि वेरावल, गुजरात में मछली प्रोसेसिंग उद्योग से अपशिष्ट को तटीय जल में डंप किया जा रहा है, और कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश में जलीय कृषि अपशिष्ट निर्वहन भी पाया गया था।

इस प्रकार, सी.आर.जेड. नियमों की मौजूदगी के बावजूद, तटीय क्षेत्र मानवजनित गतिविधि से प्रभावित होते रहे थे, जिससे संवेदनशील जैव विविधता प्रभावित हुई और परिणामस्वरूप उनका क्षरण हुआ।

4. एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.सी.जेड.एम.पी.) के तहत परियोजना विकास उद्देश्यों की उपलब्धि

आई.सी.ज़ेड.एम.पी. कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए सतत् तटीय प्रबंधन में क्षमता विकास, और गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन दृष्टिकोण का संचालन करना था। हमने पाया कि केंद्रीय स्तर पर, गंभीर रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों (सी.वी.सी.ए.) के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना तैयार नहीं की जा सकी थी तथा जोखिमों की सीमा की कोई जमीनी सच्चाई नहीं थी। इसने सी.वी.सी.ए. के संरक्षण को प्रभावित किया और उनकी सुरक्षा का उद्देश्य विफल हो गया था। गुजरात में आई.सी.जेड.एम.पी. कार्यक्रम की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आई.सी.जेड.एम. योजनाओं को तैयार करने में विलंब पाया और साथ ही विभिन्न हितधारक संस्थानों की क्षमता विकसित नहीं की गई थी। ओडिशा में भी, आई.सी.ज़ेड.एम. योजनाओं की तैयारी में विलंब हुआ था, ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओ.एस.पी.सी.बी.) और चिल्का विकास प्राधिकरण में क्षमता निर्माण के उपाय अपर्याप्त थे। इसके अलावा, ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के उपाय अपर्याप्त थे, तटीय वेस्टर डाटा के विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता अपर्याप्त थी और वैकल्पिक आजीविका के लिए की गई पहल सफल नहीं हुई थी। ओडिशा के पेंथा में मैंग्रोव के संरक्षण और तटरेखा

संरक्षण के लिए आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत किए गए उपाय सफल नहीं हुए थे। पश्चिम बंगाल में आई.सी.जेड.एम.पी. की लेखापरीक्षा जांच में भी आई.सी.जेड.एम. योजनाओं को तैयार करने में विलंब पाया गया था, और आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत की गई गतिविधियां जैसे दीघा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दीघा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, दीघा में मछली नीलामी केंद्र का नवीनीकरण तटीय क्षेत्रों के प्रदूषण को रोकने में अप्रभावी थे। इस प्रकार, भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए स्थायी तटीय प्रबंधन की क्षमता के विकास में आई.सी.जेड.एम. परियोजना ज्यादा सफल नहीं हुई थी।

5. एस.डी.जी.-14 के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन।

लेखापरीक्षा ने एस.डी.जी. 14 के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के प्रयासों की भी जांच की, जिसका उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना है। हमने पाया कि तटीय प्रबंधन के क्षेत्र में सभी हितधारकों की मैपिंग नहीं की गई थी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को प्लास्टिक मलबे की अधिकता से संबंधित एक संकेतक तैयार करना शेष था जो तटीय और समुद्री पारितंत्र को संरक्षित करने के लिए कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके अलावा, एस.डी.जी. 14.2 के लिए राष्ट्रीय संकेतक, गतिविधियों और आउटपुट के संदर्भ में पूरी तरह से निर्धारित नहीं किए गए थे। सी.आर.ज़ेड. के साथ-साथ आई.सी.ज़ेड.एम.पी. के कार्यान्वयन में उन गतिविधियों का एक क्रम शामिल है जो सी.ज़ेड.एम.पी. की तैयारी, सी.वी.सी.ए. के सीमांकन, विभिन्न स्थानिक संदर्भ रेखाओं की ग्राउंड मार्किंग और सीमांकन के साथ शुरू होता है। हालांकि, इन डिलिवरेबल्स को संकेतक रूपरेखा में शामिल नहीं किया गया था। तटीय जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए पर्याप्त डाटा संग्रह केंद्रों की कमी थी जो समय के साथ तटीय जल गुणवत्ता से संबंधित डाटा पैटर्न को समझने के लिए किए जाने वाले विश्लेषणों को प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनी संकेतक रूपरेखा को स्थानीयकृत नहीं किया था। इस प्रकार, एस.डी.जी.-14 के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

अभ्युक्तियां

1. एस.सी.जेड.एम.ए. और एन.सी.जेड.एम.ए. को तटीय पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी अनिवार्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए पूर्णकालिक सदस्यों के साथ स्थायी निकाय बनाया जा सकता है।

2. सभी संबंधित जिलों में बिना किसी देरी के डी.एल.सी. का गठन और पुनर्गठन किया जा सकता है। डी.एल.सी. की संरचना सभी संबंधित हितधारक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व

करने वाली प्रकृति में समावेशी हो सकती है।

3. एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा दिशानिर्देश लाए जा सकते हैं कि एन.सी.जेड.एम.ए./एस.सी.जेड.एम.ए. जनता के साथ अपनी चर्चाओं/बैठकों के कार्यवृत्त के बारे में एक समान तरीके से जानकारी साझा करें। एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा संवादात्मक शिकायत संबोधन तंत्र अपनाया जा सकता है।

4. मंत्रालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि पी.पी. परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले परियोजना पर्यावरण का गहन पारिस्थितिक मूल्यांकन करे और साथ ही ई.एल.ए. अधिसूचना, 2006 में पहले से परिभाषित संचयी आंकलन के अभ्यास को लागू करे।

5. एम.ओ.ई.एफ .एवं सी.सी. यह सुनिश्चित कर सकता है कि पी.पी. पर्यावरण के लिए सभी जोखिमों को संबोधित करते हुए एक व्यवहार्य ई.एम.पी. प्रस्तुत करें और प्रभाव पूर्वसूचना- विश्लेषण के साथ ई.एम.पी. काफी हद तक सुसंगत हो। इसके अलावा, शमन प्रस्तावों को ई.एम.पी. में स्पष्ट रूप से लाया जा सकता है जिससे लागत पर नियंत्रण किया जा सके।

6. एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. स्वीकृति के बाद की निगरानी को मजबूत करने के लिए विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं और संरचना पर फिर से विचार कर सकता है।

7. विशेषज्ञ सेल, जो जी.आई.एस. उपकरणों की अच्छी जानकारी रखते हैं, समुद्र तट पर बदलते परिदृश्य की प्रभावी और कुशलता से निगरानी करने और अनियमित विकास पर नजर रखने के लिए बनाए जा सकते हैं। इस तरह के निगरानी तंत्र की उपस्थिति न केवल अनियमित गतिविधियों पर नजर रखेगी बल्कि उनके लिए एक निवारक उपकरण के रूप में भी काम करेगी।

8. राज्य सरकारें मूंगा चट्टानों, कछुओं की नेस्टिंग साईट आदि के लिए मानचित्रण और प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए आवश्यक प्रयास करें।

9. पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए आई.एम.पी. को जल्द से जल्द अधिसूचित करने के लिए एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा प्रयास किए जा सकते है।

10. एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को परियोजना के तहत मजबूत किए गए एस.आई.सी.ओ.एम. और विभिन्न संस्थानों में तकनीकी विशेषज्ञता के साथ पर्याप्त श्रम शक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए श्रम शक्ति की तैनाती को युक्ति संगत बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

11. एम.ओ.ई.एस. और एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. एस.डी.जी. 14 लक्ष्यों के संबंध में सभी संबंधित संस्थानों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए हितधारक मानचित्रण की समीक्षा कर सकते हैं।

12. राज्यों में जिला संकेतक रूपरेखा का निर्माण सुनिश्चित करके हितधारक राज्यों में संकेतकों के स्थानीयकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(संजय कुमार झा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

नई दिल्ली
दिनांक: 30 मार्च 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 30 मार्च 2022

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1: सी.आर.जेड. परियोजना अनुमोदन में सम्मिलित मुख्य चरणों को शामिल करने वाला प्रोसेस फ़्लोचार्ट

(संदर्भः परिचय, रिपोर्ट का अध्याय 3)

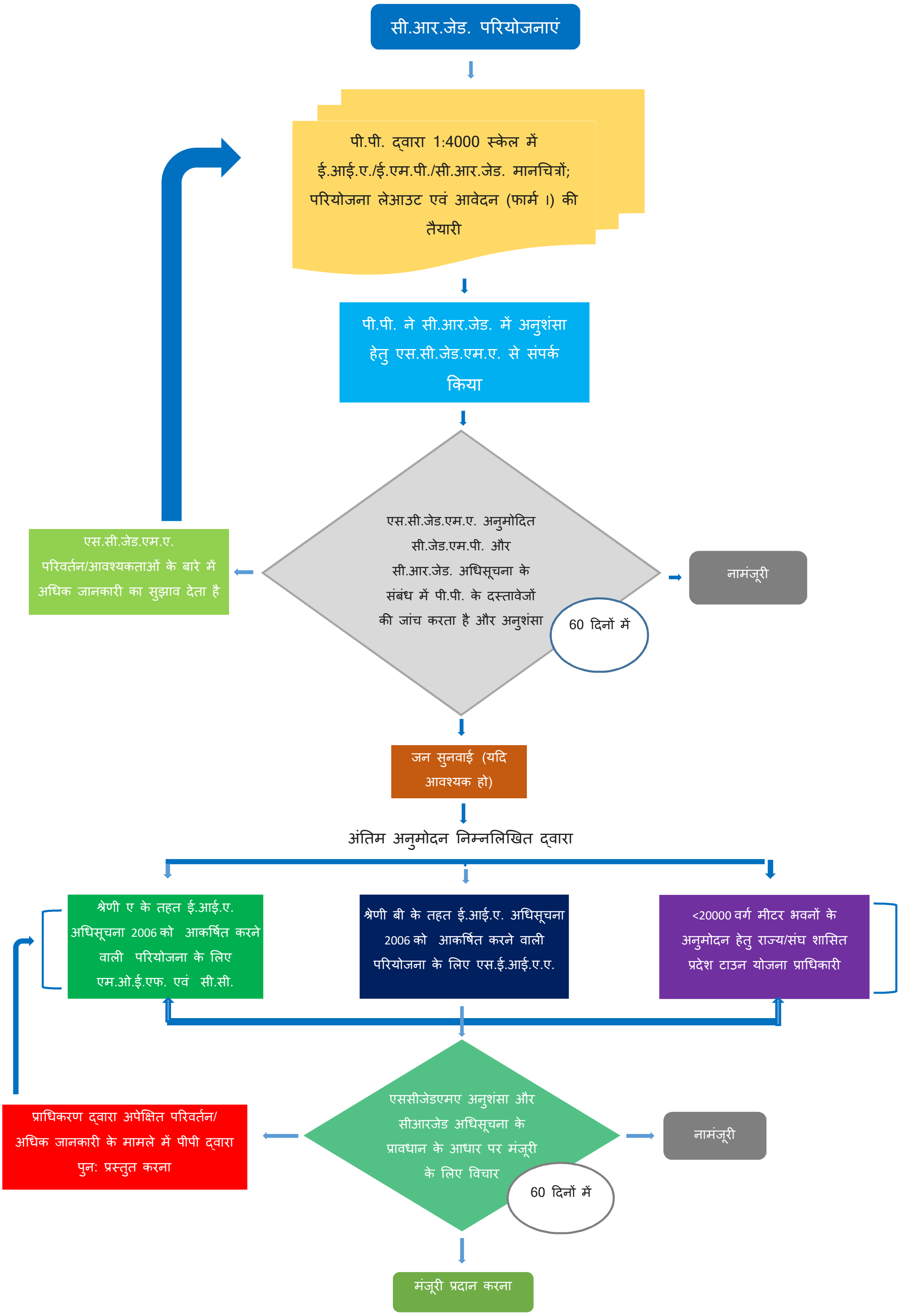

अनुलग्नक 2: ऐसे सलाहकार जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, को परियोजना की एक विशेष श्रेणी में नियुक्त किया जाना

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 3.1 (i))

क्रम.सं.	परियोजना	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा परियोजना की मंजूरी	ई.आई.ए. के लिए सलाहकार
1.	महानगर गैस लिमिटेड, महाराष्ट्र द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाना	2018	सलाहकार जे.वी. एनालिटिकल सर्विसेज, पुणे, जिन्हें पाइपलाइन क्षेत्र के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है।
2.	मैसर्स मोतीमहल होटल प्रा. लिमिटेड, कर्नाटक द्वारा मैंगलोर, दक्षिण कन्नड़ जिले में होटल भवन का निर्माण।	2017	पर्यावरण प्रबंधन योजना और आपदा प्रबंधन योजना, जो ई.आई.ए. का एक हिस्सा थी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक मान्यता प्राप्त सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया था जिसके कारण परियोजना प्रस्तावित की गई थी।
3.	महाराष्ट्र में रेडी पोर्ट लिमिटेड द्वारा बंदरगाह सुविधाओं का विस्तार	2018	नियुक्त सलाहकार द्वारा उन क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त नहीं थी जहां वायु प्रदूषण, रोकथाम, निगरानी और नियंत्रण, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, पारिस्थितिकी और जैव विविधता थी।
4.	मैसर्स ट्रॉपिकाना लिक्विड स्टोरेज (पी) लिमिटेड, कर्नाटक द्वारा करवार, कर्नाटक बंदरगाह पर पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण टर्मिनल का निर्माण।	2015	पर्यावरण प्रबंधन योजना समुद्री विज्ञान अनुसंधान संस्थान, कारवार द्वारा तैयार की गई थी, जो एक मान्यता प्राप्त सलाहकार संगठन नहीं थी।
5.	परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए इनटेक और आउटफॉल सुविधा की स्थापना मैसर्स न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुजरात द्वारा मिथिविर्दी, जिला भावनगर, गुजरात में की गई थी।	2015	इस परियोजना के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को "परमाणु ऊर्जा और ईंधन के प्रसंस्करण" क्षेत्र के लिए एन.ए.बी.ई.टी. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी।
6.	मैसर्स गुजरात औद्योगिक विकास निगम गुजरात द्वारा वागरा, जिला भरूच, दहेज (पी.सी.पी.आई.आर.) में पेट्रोलियम, रसायन और	2015	सलाहकार, एन.ई.ई.आर.आई., नागपुर को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड/भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी।

क्रम.सं.	परियोजना	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा परियोजना की मंजूरी	ई.आई.ए. के लिए सलाहकार
	पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र का विकास।		
7.	मैसर्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, महाराष्ट्र द्वारा मुंबई ट्रांसहार्बर समुद्री लिंक	2016	इस परियोजना के लिए अरूप, कंसल्टिंग इंजीनियर्स और के.पी.एम.जी. के कंसोर्टियम को कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त किया गया था। हालांकि, एन.ए.बी.ई.टी. प्रत्यायन प्रमाण पत्र मैसर्स कंसल्टिंग इंजीनियर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित अभिलेखों में संलग्न है। इसे समुद्री लिंक निर्माण क्षेत्र के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थी।
8.	भावनगर, गुजरात में मधु सिलिका प्राइवेट लिमिटेड (एम.एस.पी.एल.) द्वारा एक प्रवाही पाइपलाइन बिछाना।	2015	सलाहकार मैसर्स इंडोमर कोस्टल हाइड्रोलिक्स (पी) लिमिटेड, चेन्नई को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड/भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी।
9.	एन.एच.-8 ई, गुजरात के भावनगर-पिपावाव-पोरबंदर-द्वारका खंड के मौजूदा राजमार्ग का चौड़ीकरण और सुधार	2016	सलाहकार मैसर्स एस.टी.यू.पी. सलाहकार प्रा. लिमिटेड, कोलकाता को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड/भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी
10.	कलातालव और नर्मद गांव, तालुका और जिला भावनगर, (2846.15 एकड़) में स्थित अतिरिक्त नमक कार्य।	2017 में एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा स्वीकृत एवं मंजूरी	सलाहकार राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान-सी.एस.आई.आर. राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड/भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था
11.	मुंबई तटीय सड़क परियोजना (दक्षिण) - ग्रेटर मुंबई के मैसर्स नगर निगम द्वारा समुद्री लिंक के वर्ली छोर तक प्रिन्सेस फ्लाईओवर	2017	सलाहकार द्वारा प्रदान किए गए प्रत्यायन प्रमाणपत्र में वैधता की अवधि का उल्लेख नहीं था जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करते समय, सलाहकार इसके लिए पात्र था।

क्रम.सं.	परियोजना	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा परियोजना की मंजूरी	ई.आई.ए. के लिए सलाहकार
12.	मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र द्वारा मुंबई, मुंबई उप-शहरी, ठाणे और पालघर जिले में सी.आर.जेड. क्षेत्रों में हाई स्पीड रेलवे परियोजना	2019	कंसल्टेंट्स, मैसर्स जी.पी.एस. टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड/भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी
13.	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ., तमिलनाडु द्वारा जिला रामनाथपुरम में 2X800 मेगावाट उप्पुर सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट	2017	सलाहकार राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड/भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था।
14.	टाटा केमिकल्स लिमिटेड, गुजरात द्वारा मीठापुर में कच्छ की खाड़ी में उनके संयंत्र से अंतिम निपटान बिंदु तक उपचारित अपशिष्ट निपटान पाइपलाइन बिछाना	2017	सलाहकार राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान-सी.एस.आई.आर. राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड/भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था।
15.	मैसर्स डिविज लेबोरेटरीज लिमिटेड, आंध्रप्रदेश द्वारा पूर्वी गोदावरी जिले में बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना	2019	सलाहकार मैसर्स इंडोमर कोस्टल हाइड्रोलिक्स प्रा. लिमिटेड को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड/भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था।
16.	मैसर्स अदानी पोर्ट एवं एस.ई.जेड. लिमिटेड, आंध्र प्रदेश द्वारा कोथापट्टनम गांव, नेल्लोर जिले में अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा परिसर	2015	सलाहकार पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (ई.पी.टी.आर.आई.) को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड/भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था।
17.	मैसर्स मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा द्वारा मोरमुगाओ बंदरगाह पर जहाजों को कैपेसाइज करने के लिए इनटेक चैनल को गहरा करना	2016	सलाहकार मैसर्स डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. लिमिटेड, गुड़गांव को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड/भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था।
18.	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र द्वारा मुंबई	2015	सलाहकार मैसर्स इको केम सेल्स एवं सर्विसेज, राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण

क्रम.सं.	परियोजना	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा परियोजना की मंजूरी	ई.आई.ए. के लिए सलाहकार
	मनमाड पाइपलाइन का मार्ग बदलना		प्रत्यायन बोर्ड/भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था।
19.	मैसर्स इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, ओडिशा द्वारा आई.आर.ई.एल. कॉम्प्लेक्स, छतरपुर, गंजम जिले में 5 एम.एल.डी. हाइब्रिड डिसेलिनेशन परियोजना का प्रस्ताव	2018	यह देखा गया कि मेकॉन, रांची से संबंधित प्रत्यायन प्रमाण पत्र को मेकॉन लिमिटेड, बैंगलोर के प्रत्यायन प्रमाण पत्र के बजाय अभिलेखों में रखा गया था, जो वास्तव में शामिल था।
20.	मैसर्स चेन्नई रिवर रिस्टोरेशन ट्रस्ट, तमिलनाडु द्वारा एकीकृत कूम नदी पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन परियोजना	2017	सलाहकार मैसर्स एस.वी. एनवायरो लैब और सलाहकार, राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड/भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था।
21.	मैसर्स अडयार गेट होटल, तमिलनाडु द्वारा चेंगलपट्टू तालुक, जिला कांचीपुरम में समुद्र तट रिसॉर्ट में खुली पार्किंग को कवर्ड पार्किंग में परिवर्तित करना	2015	पी.पी. द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन योजना में इसे तैयार करने वाले मान्यता प्राप्त सलाहकार संगठन के नाम का उल्लेख नहीं था।

अनुलग्नक 3: पुराने बेस लाइन डाटा का उपयोग किया जाना

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 3.1 (ii))

क्रम. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना मंजूरी की तिथि	कितने वर्ष पुराना डाटा था
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश गैस वितरण निगम लिमिटेड (ए.पी.जी.डी.सी.) द्वारा काकीनाडा डीप पोर्ट वाटर में अपतटीय एल.एन.जी. एफ.एस.आर.यू. सुविधा का विकास	09.02.2016	3 से 4 वर्ष
2.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स अदानी पोर्ट एवं एस.ई.जेड. लिमिटेड द्वारा कोथापट्टनमगांव, नेल्लोर जिले में अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा परिसर।	19.12.2015	4 वर्ष
3.	गुजरात	परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए इनटेक और आउटफॉल सुविधा की स्थापना मैसर्स न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुजरात द्वारा मिथिविर्दी, जिला भावनगर, गुजरात में की गई थी।	03.05.2015	3 वर्ष
4.	गुजरात	मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड द्वारा मीठापुर में कच्छ की खाड़ी में उनके संयंत्र से अंतिम निपटान बिंदु तक उपचारित अपशिष्ट निपटान पाइपलाइन बिछाना	10.07.2016	6 वर्ष
5.	गुजरात	मैसर्स वेल ट्रीट एनवायरो मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशन द्वारा कोलक नदी के किनारे गहरे समुद्र तक कोलक मुहाने के जरिये कॉमन ट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्पोजल पाइपलाइन परियोजना	05.09.2016	6 वर्ष
6.	गुजरात	मैसर्स गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र (पी.सी.पी.आई.आर.) दहेज, वागरा, जिलाभरूच में विकास		
7.	कर्नाटक	मैसर्स ट्रॉपिकाना लिक्विड स्टोरेज (पी.) लिमिटेड द्वारा करवार, कर्नाटक पोर्ट में पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण टर्मिनल का निर्माण।	17.06.2015	7 वर्ष
8.	महाराष्ट्र	मैसर्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर समुद्री लिंक		
9.	महाराष्ट्र	मुंबई तटीय सड़क परियोजना (दक्षिण) - ग्रेटर मुंबई के मैसर्स नगर निगम द्वारा समुद्री लिंक के वर्ली छोर तक प्रिन्सेस फ्लाईओवर		

क्रम. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना मंजूरी की तिथि	कितने वर्ष पुराना डाटा था
10.	महाराष्ट्र	मलाड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	28.08.2017	8 वर्ष
11.	ओडिशा	मैसर्स टाटा स्टील एस.ई.जेड. लिमिटेड द्वारा गोपालपुर, गंजम, ओडिशा में बहु-उत्पाद एस.ई.जेड./औद्योगिक पार्क।	20.09.2018	2 वर्ष
12.	तमिलनाडु	मैसर्स तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ.) द्वारा जिला रामनाथपुरम में 2X800 मेगावाट उप्पुर सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट		

अनुलग्नक 4: ई.आई.ए. समुद्री वनस्पतियों और जीवों, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का आकलन करने में विफल रहा

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 3.1 (iii))

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	समुद्री वनस्पति और जीव, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम	ई.आई.ए. में शमन उपाय परिकल्पित नहीं किया गया था
1.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स कोवैलेंट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपचारित बहिःस्राव का समुद्री निपटान।	ई.आई.ए. में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पाइप लाइन सी.आर.जेड.-III क्षेत्र, 'नो डेवलपमेंट ज़ोन' और इंटर-टाइडल ज़ोन से होकर गुज़रती है, जिसमें तटरेखा के साथ 3 मीटर से कम ऊँचाई की तटीय वनस्पति के साथ रेत के टीलों के पैच होते हैं।	ई.आई.ए. में रेत के टीलों पर कोई प्रभाव शामिल नहीं था और शमन उपायों की परिकल्पना नहीं की गई थी।
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश गैस वितरण निगम लिमिटेड (ए.पी.जी.डी.सी.) द्वारा काकीनाडा डीप पोर्ट वाटर में अपतटीय एल.एन.जी. एफ.एस.आर.यू. सुविधा का विकास	इस परियोजना के ई.आई.ए. में शामिल एकमात्र शमन उपाय यह था कि पाइलिंग ऑपरेशन को एक नरम शुरुआत का उपयोग करना चाहिए ताकि उच्च शोर स्तर उत्पन्न होने से पहले समुद्री जीवों को क्षेत्र छोड़ने का समय मिल सके।	ई.आई.ए. रिपोर्ट ने अध्ययन क्षेत्र में मछलियों को छोड़कर किसी भी समुद्री जीवन रूपों पर परियोजना के प्रभाव पर विचार नहीं किया, जिसने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने पर विचार नहीं किया गया था।
3.	गोवा	मैसर्स मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मोरमुगाओ बंदरगाह पर जहाजों को कैपेसाइज करने के लिए एप्रोच चैनल को गहरा करना	1. ई.आई.ए. रिपोर्ट में कहा गया है कि हंपबैक डॉल्फ़िन और ग्रांडे द्वीप के आसपास के प्रवाल भित्तियों पर पर्यटन के कारण महत्वपूर्ण दबाव था, और संघर्ष, प्रोपेलर कार्रवाई आदि के कारण ड्रेजर और संबंधित पोत संचलन से डॉल्फ़िन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जोखिम संघर्ष	इसके लिए प्रभाव अध्ययन ई.आई.ए. में नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप कोई शमन उपाय निर्धारित नहीं किए गए थे।

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	समुद्री वनस्पति और जीव, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम	ई.आई.ए. में शमन उपाय परिकल्पित नहीं किया गया था
			होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप गंभीर या घातक चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है जब जहाजों की गति 10-14 समुद्री मील से अधिक हो जाती है और जैसा कि दृष्टिकोण चैनल में विचार किए जाने वाले जहाजों को 11 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ना था, इससे चोट लगने की संभावना थी।	
			2. ई.आई.ए. की रिपोर्ट के अनुसार, चिकालिम-सांकोले खाडी अपनी समुद्री जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जो ड्रेजिंग क्षेत्र से सिर्फ 4 किमी दूर था और मैंग्रोव और विंडोपेन सीप (प्लाकुना प्लेसेंटा) के अलावा 200 से अधिक जीव और 34 फाइटोप्लांकटन प्रजातियों को आश्रय देने के लिए जाना जाता था।), (अनुसूची-4 प्रजातियां)। ई.आई.ए. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ड्रेजिंग प्रभाव सामान्य रूप से गतिविधि के अधिकतम 4 किमी तक सीमित था।	अध्ययन क्षेत्र के भीतर ऐसे पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के लिए ड्रेजिंग का प्रभाव का अध्यन नहीं किया गया था और कोई शमन उपाय निर्धारित नहीं किया गया था।
			3. ई.आई.ए. रिपोर्ट ने प्रदर्शित किया कि जुआरी मुहाना का अंतर्ज्वारीय क्षेत्र, जिसमें अध्ययन क्षेत्र के भीतर चिकालिम-सांकोले खाडी, ग्रांडे द्वीप, काबोराज-सिरिदाओ चट्टानी पैच शामिल हैं, ने प्रजातियों की विविधता को दिखाया जिसमें 186 जलीय प्रजातियां (पेलाजिक और डेमर्सल मछलियों से युक्त 150 फिनफिश) शामिल हैं और 36 शेल मछली	हालाँकि, रिपोर्ट में भूमि सुधार, खनन, औद्योगिकरण और ड्रेजिंग जैसे प्रभावों को सूचीबद्ध किया गया है जो समुद्री वनस्पतियों और जीवों के लिए काफी खतरा हैं। उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए किए जाने वाले शमन

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	समुद्री वनस्पति और जीव, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम	ई.आई.ए. में शमन उपाय परिकल्पित नहीं किया गया था
			जिसमें क्रस्टेशियंस और मोलस्क शामिल हैं)। ग्रांडे द्वीप मूंगा, स्पंज, मछली में समृद्ध था और काबोराज-डोना पाउला-सिरिदाओ के बीच के अंतर्ज्वारीय आवासों में उच्च समुद्री शैवाल की बहुतायत और विविधता थी।	उपायों को ई.आई.ए. में विस्तृत नहीं किया गया था।
4.	गुजरात	मैसर्स अदानी पेट्रोनेट (दहेज) पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अडानी पेट्रोनेट (दहेज) पोर्ट, भरूच जिले का विस्तार	ई.आई.ए. रिपोर्ट में कंक्रीट कास्टिंग, निर्माण उपकरण की सफाई, वाहन गैरेज कार्यशाला, निर्माण उपकरण के संचालन से तेल रिसाव और डीजल जेनरेटिंग सेट के दौरान अपशिष्ट जल के उत्पादन की परिकल्पना की गई थी और यह तटरेखा के पास समुद्री पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए कहा गया था।	ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रभावों की पहचान के बावजूद, कोई शमन उपाय नहीं बताया गया था।
			इंटरटाइडल मैक्रो बेंथोस की आबादी ने मध्यम समूह विविधता के साथ मैक्रो बेंटोस के अपेक्षाकृत उच्च स्थायी स्टॉक का संकेत दिया। ई.आई.ए. ने आगे कहा कि पुनर्ग्रहण से लगभग 23 हेक्टेयर बेंटिक आवास प्रभावित होगा और बेंटिक जीवों की कोई पुनर्वास संभव नहीं थी क्योंकि पुनर्ग्रहण के कारण निवास स्थायी रूप से खो जाएगा।	परियोजना क्षेत्र में बेंटिक जीवों के संरक्षण के लिए कोई शमन उपायों की परिकल्पना नहीं की गई थी।
5.	गुजरात	परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए इनटेक और आउटफॉल सुविधा की स्थापना मैसर्स न्यूक्लियर पावर	1. ई.आई.ए. रिपोर्ट ने संकेत दिया कि परियोजना क्षेत्र फाइटोप्लांकटन और ज़ूप्लैंकटन के मामले में मध्यम उत्पादक था। राइज़ोफोरा और एविसेनिया प्रजातियों से युक्त मैंग्रोव	ई.आई.ए. रिपोर्ट और सी.आर.जेड. मंजूरी दोनों परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास इस तरह के विविध वनस्पतियों

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	समुद्री वनस्पति और जीव, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम	ई.आई.ए. में शमन उपाय परिकल्पित नहीं किया गया था
		कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुजरात द्वारा मिथिविर्दी, जिला भावनगर, गुजरात में की गई थी।	वनस्पति अलंग शिपयार्ड के पास नदी के किनारे और कैसिया प्रजाति, प्रोसोपिस, अज़ादिराछा प्रजातियों से युक्त तटीय वनस्पतियों अच्छी संख्या में पाई गई थी। अलंग शिपयार्ड के निकट परियोजना क्षेत्र में टाइडल फ्लैट्स/मडफ्लैट्स का विशाल विस्तार था।	और जीवों पर परियोजना के प्रभावों पर चुप थे। चूंकि प्रभावों की पहचान नहीं की गई थी, कोई शमन उपाय निर्धारित नहीं किए गए थे।
			2. ई.आई.ए. रिपोर्ट में कहा गया है कि कंडेनसर कूलिंग वॉटर (सी.सी.डब्ल्यू.) का तापमान समुद्र के पानी के परिवेश के तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा और यह शायद समुद्री पारितंत्र पर एकमात्र बड़ा प्रभाव होगा। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध वैज्ञानिक आंकड़ों से यह समझा जा सकता है कि तापमान बढ़ने से पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिससे जैविक ऑक्सीजन की मांग (बी.ओ.डी.) बढ़ जाती है।	बढ़े हुए तापमान के प्रभाव का अध्ययन केवल मछलियों के लिए किया गया था, वह भी तब जब मछली की लैंडिंग क्षेत्र में सबसे कम बताई गई थी। इसका अध्ययन फाइटोप्लांकटन और ज़ोप्लांकटन के लिए नहीं किया गया था, जो मध्यम उत्पादकता दिखाते थे।
			3. समुद्री ई.आई.ए. के अनुसार, अलंग-सोसिया शिप ब्रेकिंग यार्ड (ए.एस.एस.बी.वाई.) परियोजना क्षेत्र से 5 किमी दक्षिण में स्थित था और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जहाज तोड़ने वाले यार्ड के अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में भारी धातु संदूषण था। इसके अलावा, खंभात की खाड़ी में एक प्रस्तावित कल्पसर परियोजना बांध छाया (मीठी विरडी) स्थल के उत्तर में 18	परियोजना पर अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड और कल्पसार बांध के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया था। चूंकि कोई प्रभाव नहीं पहचाना गया था, कोई शमन उपायों की परिकल्पना नहीं की गई थी।

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	समुद्री वनस्पति और जीव, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम	ई.आई.ए. में शमन उपाय परिकल्पित नहीं किया गया था
			किलोमीटर की दूरी पर था। परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) की साइट चयन रिपोर्ट (जून 2007) ने सिफारिश की थी कि प्रस्तावित साइट में बहुत अधिक तीव्रता के भूकंप की स्थिति में बांध के टूटने से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थल के अपस्ट्रीम में कल्पसार बांध में बाढ़ आने के प्रभाव की जांच करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि कल्पसर बांध गहरे गाद के ऊपर स्थित था।	
6.	महाराष्ट्र	मैसर्स नगर निगम द्वारा मुंबई तटीय सड़क परियोजना (दक्षिण) - ग्रेटर मुंबई के समुद्री लिंक के वर्ली छोर तक प्रिन्सेस फ्लाईओवर का निर्माण।	1. ई.आई.ए. ने निर्धारित किया कि परियोजना क्षेत्र में लवणीकरण, अम्लीकरण और तटरेखा क्षरण होने से मैग्रोव, जलीय जीव, मछली और प्रवासी पक्षियों के प्रजनन और खाद्य श्रृखंला प्रभावित होंगे।	ऐसे में सुझाए गए परिणामों में शमन के उपाय अधूरे हैं जैसे धूल, पानी का छिड़काव और शोर आदि की निगरानी सीधे संबंधित नहीं हैं
			2. ई.आई.ए. रिपोर्ट ने प्रभावों की पहचान की, जैसे: तलछट में प्लम का निर्माण जो मछली और बेंटोस को प्रभावित करता है। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाली मैलापन में वृद्धि, पानी के पी.एच. मान में वृद्धि के कारण अल्गल पनपना, पानी में कम घुलित ऑक्सीजन के साथ तापमान में वृद्धि, तत्काल, लंबे समय तक समुद्री जीवों के लिए संवेदनशील, आवश्यक प्रजनन और नर्सरी आवासों की अवधि में गिरावट के कारण व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों में दीर्घकालिक कमी आई है।	यह देखा गया है कि शमन उपायों का सुझाव दिया गया जैसे सर्वोत्तम व्यावहारिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, तरल और ठोस कचरे का उचित प्रबंधन और पर्याप्त शोर नियंत्रण उपायों ने पहचाने गए प्रभाव से सीधे संबंधित नहीं है।

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	समुद्री वनस्पति और जीव, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम	ई.आई.ए. में शमन उपाय परिकल्पित नहीं किया गया था
7.	महाराष्ट्र	मैसर्स नगर निगम ग्रेटर मुंबई द्वारा मलाड सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण	1. ई.आई.ए. रिपोर्ट ने अकेले मलाड एस.टी.पी. पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मुंबई शहर में और उसके आसपास पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए मौजूदा सुविधाओं के विकास को पूरा किया। इस प्रकार यह परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी को शामिल करने में विफल रहा, जिसमें बेंथोस, फाइटोप्लांकटन, ज़ोप्लांकटन शामिल थे।	चूंकि ई.आई.ए. में स्थलीय और जलीय जीवों का कोई विवरण शामिल नहीं किया गया था, उन पर किसी प्रभाव की पहचान नहीं की गई थी और न ही शमन उपायों की परिकल्पना की गई थी।
8.	महाराष्ट्र	मैसर्स नगर निगम गैस लिमिटेड द्वारा उरण (जिला रायगढ़) से नवी मुंबई महानगर में पाइपलाइन तक प्राकृतिक गैस बिछाना।	यह पाइपलाइन उरण, बोकाडवीरा, द्रोणागिरी, फुंडे, सोनारी, जसई, उल्वे और किल्लेगौथन के गांवों से गुजर रही थी, जो सभी मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध थे। ई.ए.सी. बैठक के दौरान पी.पी. द्वारा दी गई प्रस्तुति में मैंग्रोव के घने पैच से गुजरने वाली पाइपलाइन की एक तस्वीर भी दिखाई गई।	मैंग्रोव के सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए शमन योजना तैयार करने के बजाय, ई.आई.ए. रिपोर्ट ने पाइपलाइन के मार्ग के साथ मैंग्रोव की उपस्थिति से इनकार किया।
9.	महाराष्ट्र	मैसर्स रेडी पोर्ट लिमिटेड द्वारा पोर्ट रेडी, सिंधु दुर्ग में सुविधाओं का विस्तार	ई.आई.ए. रिपोर्ट ने केवल ड्रेज्ड सामग्री के साथ क्षेत्र के सुधार के दौरान पानी की गंदलेपन को एक प्रभाव के रूप में पहचाना।	बेन्थोस और समुद्री आवासों के नुकसान के संदर्भ में ई.आई.ए. ने भूमि सुधार और ड्रेजिंग के प्रभावों पर विचार नहीं किया; समुद्री पर्यावरण के लिए पहचाने गए खतरों के लिए भी कोई शमन उपायों का प्रस्ताव नहीं किया गया था।

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	समुद्री वनस्पति और जीव, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम	ई.आई.ए. में शमन उपाय परिकल्पित नहीं किया गया था
10.	महाराष्ट्र	जे.एस.डब्ल्यू. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा तालुका पालघर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र के नंदगांव में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड जेट्टी का निर्माण	ई.आई.ए. रिपोर्ट के अनुसार पूरी सुविधा का निर्माण पुनः प्राप्त भूमि पर किया जाना था। हमने देखा कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में नंदगांव में जेट्टी का केवल वैचारिक लेआउट उपलब्ध था। हालांकि, ई.आई.ए. रिपोर्ट में कहीं भी इस अवधारणात्मक लेआउट पर आगे विचार नहीं किया गया था।	चूंकि भूमि सुधार के किसी भी प्रभाव की पहचान नहीं की गई थी, इसलिए शमन के उपायों की परिकल्पना नहीं की गई थी।
11.	महाराष्ट्र	मैसर्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर समुद्री लिंक का निर्माण	एम.सी.जेड.एम.ए. ने अपनी सिफारिश में कहा कि परियोजना प्रस्तावक को एक विशेषज्ञ एजेंसी से परामर्श करना था, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले मडफ्लैट्स को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नियमित रूप से निर्माण कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना था। इसके अलावा, प्रस्तावक को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बी.एन.एच.एस.) से सुरक्षा उपायों के बारे में विशेषज्ञ राय लेनी थी ताकि फ्लेमिंगो आवास में गड़बड़ी को कम किया जा सके।	चूंकि कोई प्रभाव नहीं पहचाना गया था इसलिए न तो प्रस्तावक द्वारा मडफ्लैट्स और फ्लेमिंगो पर प्रभावों के मूल्यांकन के लिए कोई अध्ययन किया गया और न ही किसी विशेषज्ञ एजेंसी से परामर्श लिया गया और ना ही कोई शमन उपायों की परिकल्पना की गई थी।
12.	ओडिशा	मैसर्स टाटा स्टील एस.ई.जेड. लिमिटेड द्वारा गोपालपुर, गंजम, ओडिशा में बहु-उत्पाद एस.ई.जेड./औद्योगिक पार्क का निर्माण	परियोजना क्षेत्र ने फाइटोप्लांकटन, ज़ोप्लांकटन और बेन्थिक जैव विविधता (पॉलीचेट वर्म्स, क्रस्टेशियंस, गैस्ट्रोपोड्स इत्यादि) के मामले में समृद्ध विविधता दिखाई, इसलिए परियोजना में पाइपलाइन बिछाने की परिकल्पना की गई है।	बेंथिक जीवों पर खाई के इस तरह के प्रभाव को कम करने के उपायों का अध्ययन नहीं किया गया था।
13.	तमिलनाडु	मैसर्स ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा जिला रामनाथपुरम में	ई.आई.ए. रिपोर्ट में परियोजना क्षेत्र में पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र जैसे रेत	चूंकि किसी प्रभाव की पहचान नहीं की गई थी, इसलिए शमन के उपायों

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	समुद्री वनस्पति और जीव, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम	ई.आई.ए. में शमन उपाय परिकल्पित नहीं किया गया था
		समुद्री शैवाल का इनटेक और आउटफॉल सुविधा	के टीले, समुद्री घास या मैंग्रोव का उल्लेख है।	की परिकल्पना नहीं की गई थी।
14.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, कोलकाता पोर्ट (पश्चिम बंगाल) में हुगली नदी के ऊपरी किनारे और हुगली नदी के पश्चिमी तट पर तीसरे ऑयल जेट्टी, मिनी बल्क कैरियर हैंडलिंग सुविधा की स्थापना	ई.आई.ए. रिपोर्ट से पता चला है कि इस क्षेत्र में फाइटोप्लांकटन, ज़ोप्लांकटन और बेंथोस का समृद्ध घनत्व था। हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी-बूटियाँ और पर्वतारोही, फ़र्न प्रजातियाँ शामिल हैं। अध्ययन क्षेत्र में हुगली नदी के मुहाने पर नयाचार द्वीप शामिल है, जिसमें मैंग्रोव थे।	ई.आई.ए. रिपोर्ट में मैंग्रोव सहित फाइटोप्लांकटन, जूप्लांकटन, बेंथोस, वनस्पति पर प्रभाव की पहचान नहीं की गई थी। चूंकि प्रभावों की पहचान नहीं की गई थी, इसलिए कोई शमन उपाय निर्धारित नहीं किया गया था।

अनुलग्नक 5: ई.आई.ए. या तो आपदा प्रबंधन योजना से वंचित था, इसके विशिष्ट विवरण या उपयुक्त डी.एम.पी. तैयार करने का दायित्व परियोजना प्रस्तावक पर छोड़ दिया गया था

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 3.1 (iv))

ऐसे मामले जहां आपदा प्रबंधन योजना के विशिष्ट विवरण तैयार करने का दायित्व पीपी पर छोड़ दिया गया था				
क्रम सं.	**राज्य**	**परियोजना का नाम**	**मानदंड**	**टिप्पणीयां**
1.	गोवा	मैसर्स मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मोरमुगाओ बंदरगाह पर जहाजों को कैपेसाइज करने के लिए एप्रोच चैनल को गहरा करना	आपात स्थिति जैसे जहाजों से जुड़ी दुर्घटनाएं, जहाजों से तेल रिसाव, बंदरगाह की सीमा और बर्थ के भीतर बोर्ड जहाजों पर आग/विस्फोट, समुद्र में जहाज के इंजन का टूटना और भूकंप ई.आई.ए. रिपोर्ट में वर्णित थी। परियोजना स्थल भारत का भूकंपीय मानचित्र के तहत एक मध्यम तीव्रता वाले क्षेत्र में जो जोन-III के अंतर्गत आता था।	हमने पाया कि आपदा प्रबंधन योजना में वर्णित आपात स्थितियों के लिए कोई शमन उपाय शामिल नहीं हो पाया था।
2.	कर्नाटक	मैसर्स न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट द्वारा न्यू मैंगलोर पोर्ट में वेस्टर्न डॉक आर्म में चार बर्थ का विकास	प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था।	
3.	महाराष्ट्र	मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मुंबई, मुंबई उप-शहरी, ठाणे और पालघर जिले (पी.एच.) में सी.आर.जेड. क्षेत्रों में हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट का निर्माण	ई.आई.ए. रिपोर्ट में बताया गया है कि परियोजना स्थल को जोन -III के तहत वर्गीकृत किया गया था, जो एक मध्यम तीव्रता वाला भूकंप क्षेत्र था और पश्चिमी तट कभी-कभी भयंकर चक्रवाती तूफानों का क्षेत्र था।	आपदा प्रबंधन योजना में ऐसी आपदा के दौरान पी.पी. द्वारा उठाए जाने वाले शमन उपायों की परिकल्पना नहीं की गई थी और जहां भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं का उपयोग निर्माण और संचालन चरण के लिए किया गया था।

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मानदंड	टिप्पणीयां
4.	महाराष्ट्र	मेसर्स दाजिकाका गाडगिल डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड द्वारा मौजा कर्दे, जिला रत्नागिरि महाराष्ट्र में होटल बिल्डिंग (रिजॉर्ट-3) का निर्माण	परियोजना स्थल को भारतीय मानक ब्यूरो 2000 के भूकंपीय मानचित्र, जोन IV के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जो कि एक उच्च जोखिम क्षेत्र है।	ऐसी आपदा के दौरान आपदा प्रबंधन योजना में आपदाओं के प्रकार और पी.पी. द्वारा किए जाने वाले शमन उपायों का वर्णन अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
5.	महाराष्ट्र	मेसर्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक का निर्माण	रैपिड ई.आई.ए. रिपोर्ट 2012 के अनुसार,परियोजना स्थल को भारतीय मानक ब्यूरो, के भूकंपीय मानचित्र के अंतर्गत जोन-III एक मध्यम तीव्रता वाले क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया गया था। पश्चिमी तट कभी-कभी भयंकर चक्रवाती तूफान आते थे।	आपदा प्रबंधन योजना में ऐसी आपदा के दौरान पी.पी. द्वारा उठाए जाने वाले शमन उपायों का विवरण नहीं दिया गया था और यह भी कि इस सी- लिंक के निर्माण के लिए भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं का उपयोग किया जाना था।
6.	महाराष्ट्र	मैसर्स दाजिकाका गाडगिल डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड द्वारा मौजे कार्दे, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र में होटल बिल्डिंग (रिर्जाट-2) का निर्माण	ई.आई.ए. रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना स्थल को भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) 2000 के जोन-IV के तहत वर्गीकृत किया गया था, जो कि भारत के भूकंपीय मानचित्र में एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एम.एम. (संशोधित मर्कल्ली तीव्रता) पैमाने पर तीव्रता VII के अनुरूप बड़ी क्षति हुई थी।	यह पाया गया कि ऐसी आपदा के दौरान पी.पी. द्वारा आपदाओं के प्रकार और शमन उपायों को दर्शाने वाली आपदा प्रबंधन योजना पी.पी. द्वारा तैयार नहीं की गई थी।
7.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, कोलकाता पोर्ट पर हुगली नदी के पश्चिमी तट और तीसरी तेल जेट्टी के अपस्ट्रीम पर मिनी बल्क कैरियर हैंडलिंग सुविधा की स्थापना	प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था।	

ऐसी परियोजनाएं जहां ई.आई.ए. रिपोर्ट में कोई आपदा प्रबंधन योजना शामिल नहीं थी		
क्रम सं.	**राज्य**	**परियोजना का नाम**
1.	गुजरात	मैसर्स टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड द्वारा मांडवी, जिला कच्छ में ग्रीनफील्ड बीच रिज़ॉर्ट का विकास।
2.	गुजरात	मैसर्स वेल ट्रीट एनवायरो मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशन द्वारा कोलक नदी के किनारे कोलक एस्चुरी के रास्ते गहरे समुद्र तक कॉमन ट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्पोजल पाइपलाइन परियोजना
3.	गुजरात	मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड द्वारा मीठापुर कच्छ की खाड़ी में मरीन आउटफॉल पॉइंट पर उपचारित अपशिष्ट जल के निपटान के लिए उपचारित अपशिष्ट निपटान पाइपलाइन और डिफ्यूज सिस्टम बिछाना
4.	गुजरात	सड़क एवं भवन विभाग द्वारा बेट और ओखा, द्वारका के बीच समुद्री पुल का निर्माण
5.	गुजरात	निरमा लिमिटेड द्वारा ग्राम कलातलव और नर्मद, तालुका और जिला भावनगर में स्थित अतिरिक्त नमक कार्य (2846.15 एकड़)
6.	कर्नाटक	मैसर्स ट्रॉपिकाना लिक्विड स्टोरेज (पी) लिमिटेड द्वारा करवार, कर्नाटक पोर्ट में पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण टर्मिनल का निर्माण।
7.	महाराष्ट्र	बी.पी.सी.एल. द्वारा मुंबई मनमाड पाइपलाइन का मार्ग बदलना आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित प्रतिष्ठानों के जोखिम मूल्यांकन अध्ययन को पी.पी. को जारी किए गए निकासी पत्र में एक विशिष्ट शर्त के रूप में रखा गया था।
8.	तमिलनाडु	मेसर्स ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा जिला रामनाथपुरम में समुद्री शैवाल का इंटेक और आउटफॉल की सुविधा
9.	तमिलनाडु	प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया।

अनुलग्नक 6: एम.ओ.ई.एफ.एवं सी.सी. द्वारा दी गई मंजूरी जहां महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाएँ परियोजना प्रस्तावक पर छोड़ दी गई थीं ताकि मंजूरी देने के बाद इसकी तैयारी और इसका पालन किया जा सके

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 3.2 (i))

क्रम. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मंजूरी प्रदान करने से पूर्व महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं को सुनिश्चित नहीं किया गया था	टिप्पणीयां
1.	गुजरात	मेसर्स गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा दहेज, वागरा, जिला भरूच में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र (पी.सी.पी.आई.आर.) का विकास	निकासी पत्र में एक विशिष्ट शर्त, निर्धारित की गई थी कि सी.आर.जेड. क्षेत्र में मैंग्रोव और मडफ्लैट के संरक्षण के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से एक फर्म और समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जानी थी और इसके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन निर्धारित किया जाना था। योजना की निगरानी एक समिति द्वारा की जानी थी, जिसमें परियोजना समर्थकों, गुजरात राज्य वन विभाग और गुजरात समुद्री बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल थे।	यह पाया गया था कि सी.आर.जेड. क्षेत्र में मैंग्रोव और मडफ्लैट के संरक्षण के लिए कार्य योजना परियोजना को मंजूरी देने से पहले पूर्व-आवश्यकता के रूप में नहीं बनाई गई थी। मंत्रालय ने क्षेत्र में मैंग्रोव और मडफ्लैट के संरक्षण का मामला पी.पी. की सुविधा पर छोड़ दिया है।
			निकासी पत्र की एक अन्य विशिष्ट शर्त के लिए एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ संस्थान द्वारा तटीय प्रबंधन योजना के लिए वैज्ञानिक अध्ययन की तैयारी की आवश्यकता है। नदी की पारिस्थितिकी और तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों द्वारा परिणाम कार्यान्वित किए जाने थे। सर्वोत्तम पुनर्चक्रण प्रथाओं की खोज के अलावा, परियोजना के लिए पानी की भारी मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक जल संसाधनों की खोज की जानी थी।	मंजूरी देने से पहले मंत्रालय द्वारा शर्त को एक पूर्वापेक्षा बना दिया जाना चाहिए था क्योंकि किसी भी पी.पी. के लिए अपनी परियोजना के लिए मंत्रालय से मंजूरी पत्र प्राप्त करने के बाद वैज्ञानिक अध्ययन करने और वैकल्पिक तरीकों या संसाधनों का पता लगाने की संभावना नहीं है।
2.	गुजरात	मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड द्वारा मीठापुर कच्छ की खाड़ी में	मंजूरी पत्र की एक विशिष्ट शर्त के लिए पी.पी. को पोशित्रा खाड़ी की समुद्री और स्थानिक प्रजातियों सकुराओलिस गुजराटिका और	चूंकि एक परियोजना शुरू करने के बाद आधार रेखा को पूर्वव्यापी रूप से दर्ज नहीं किया जा

क्रम. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मंजूरी प्रदान करने से पूर्व महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं को सुनिश्चित नहीं किया गया था	टिप्पणीयां
		उनके संयंत्र से अंतिम निपटान बिंदु तक उपचारित अपशिष्ट निपटान पाइपलाइन बिछाना	एंटेयोलिडिएला पॉशित्रा (मोलस्क प्रजातियां), तटीय जैव विविधता के लिए आधार रेखा विकसित करने और समुद्री घास के बेडों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही द्वि-वार्षिक निगरानी की आवश्यकता होती है।	सकता था, इस तरह की शर्त को मंजूरी पत्र में शामिल करना व्यर्थ था। इसे परियोजना की मंजूरी के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में बनाया जाना चाहिए था।
3.	गुजरात	प्रमुख ऑर्गेनाइजर्स एल.एल.पी. द्वारा सूरत के बारबोधन गांव में आवासीय परियोजना 'सन सिटी' का निर्माण	पी.पी. द्वारा प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र का कुछ भाग सी.आर.जेड.-III के अंतर्गत आता था। पी.पी. से संशोधित परियोजना लेआउट मानचित्र के लिए जोर देने के बजाय, जी.सी.जेड.एम.ए. ने पी.पी. से केवल यह शर्त रखी कि वह सीआरजेड-III में कोई निर्माण गतिविधि नहीं करेगा।	गुजरात एस.सी.जेड.एम.ए. ने एस.ई.आई.ए.ए. को अपने अनुशंसा पत्र में एक शर्त रखी थी कि पी.पी. एन.डी.जेड. में कोई निर्माण नहीं करेगा। एस.ई.आई.ए.ए. ने इस शर्त के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंजूरी देने से पहले संशोधित परियोजना लेआउट मानचित्र पर जोर नहीं दिया।
4.	गुजरात	मैसर्स टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड द्वारा मांडवी, जिला कच्छ में ग्रीनफील्ड बीच रिज़ॉर्ट का विकास।	टी.सी.जी.एल. द्वारा प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र का कुछ हिस्सा नो डेवलपमेंट जोन (एन.डी.जेड.) यानी एचटीएल से 200 मीटर लैंडवर्ड साइड के भीतर पड़ रहा था।	गुजरात एस.सी.जेड.एम.ए. ने एम.ओई.एफ. एवं सी.सी. को लिखे अपने अनुशंसा पत्र में एक शर्त रखी थी कि पी.पी. एन.डी.जेड. में कोई निर्माण नहीं करेगा। ईएसी ने इस शर्त के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पीपी से संशोधित परियोजना लेआउट मानचित्र पर जोर नहीं दिया।

क्रम. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मंज़ूरी प्रदान करने से पूर्व महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं को सुनिश्चित नहीं किया गया था	टिप्पणीयां
5.	कर्नाटक	मेसर्स मोतीमहल होटल प्रा. लिमिटेड द्वारा मैंगलोर, दक्षिण कन्नड़ जिले में होटल भवन का निर्माण	प्रस्तावित परियोजना स्थल सी.आर.जेड.-द्वितीय क्षेत्र में पड़ता है और प्रस्तावित निर्माण गतिविधि गुरुपुर नदी के एच.टी.एल. से 34 मीटर की दूरी पर थी। क्लीयरेंस लेटर में कहा गया है कि पार्किंग स्थल को एच.टी.एल. से 200 मीटर के 'नो डेवलपमेंट जोन' से बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।	यह पाया गया कि ई.ए.सी. ने एन.डी.जेड. से परे पार्किंग स्थल को स्थानांतरित करने के लिए इसे पी.पी. पर छोड़ दिया और मंज़ूरी के लिए परियोजना की सिफारिश करने से पहले एक संशोधित वैचारिक योजना की आवश्यकता की मांग की।
			निकासी पत्र के लिए आवश्यक है कि संबंधित प्राधिकरण के परामर्श से एक मजबूत वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।	वर्षा जल संचयन योजना की प्रस्तुति को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व पूर्व-आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था।
6.	महाराष्ट्र	मेसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मुंबई, मुंबई उप-शहरी, ठाणे और पालघर जिले (पी.एच.) में सी.आर.जेड. क्षेत्रों में हाई स्पीड रेलवे परियोजना का निर्माण	परियोजना की सिफारिश करते समय ईएसी ने मांग की कि मैंग्रोव सेल, ठाणे, वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा व्यापक मैंग्रोव वृक्षारोपण और प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए।	व्यापक मैंग्रोव वृक्षारोपण और प्रबंधन योजना की तैयारी को पूर्व-अपेक्षित शर्त नहीं बनाया गया था बल्कि इसके बजाय निकासी पत्र में एक विशिष्ट शर्त के रूप में रखा गया था।
			परियोजना की सिफारिश करते समय ई.ए.सी. की आवश्यकता थी कि राज्य में संबंधित एजेंसी के परामर्श से तत्काल कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना के साथ ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य के लिए एक मजबूत संरक्षण और प्रबंधन योजना विकसित की जाए।	परियोजना को मंज़ूरी देने से पहले इस आवश्यकता को पूरा करने पर जोर नहीं दिया गया।
			आगे की जांच और परियोजना कार्यक्रम के हिस्से के रूप में संभावित समावेशन के लिए सी.आर.जेड. मंज़ूरी के छह महीने के भीतर एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को प्रस्तुत किया जाना था।	इस प्रकृति का व्यवहार्यता अध्ययन अधिमानतः परियोजना मंज़ूरी की पूर्वापेक्षाओं का एक हिस्सा होना चाहिए था। इस मामले

क्रम. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मंजूरी प्रदान करने से पूर्व महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं को सुनिश्चित नहीं किया गया था	टिप्पणीयां
				में, पी.पी. द्वारा बाद में ऐसा कोई अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
			विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने दहानु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण से एक अलग मंजूरी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला क्योंकि दहानु तालुका को 1991 से विशेष सुरक्षा प्राप्त थी (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. - सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर - इस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से नाजुक घोषित करने वाली एक अधिसूचना पारित की थी और अन्य बातों के अलावा, क्षेत्र में खतरनाक उद्योग प्रतिबंधित किये थे।)	हमने पाया कि मंजूरी प्रदान करने से पहले दहानु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण से अलग मंजूरी प्राप्त करना पूर्व-आवश्यकता के रूप में नहीं किया गया था।
7.	महाराष्ट्र	मेसर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई द्वारा मलाड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	मैंग्रोव पुनर्रोपण को सी.आर.जेड. निकासी पत्र की एक विशिष्ट शर्त बना दिया गया था। अनापत्ति पत्र के अनुसार इस परियोजना के अंतर्गत मैंग्रोव आच्छादन क्षेत्र का पांच गुना अर्थात 180 हेक्टेयर (36 हेक्टेयर X 5) फिर से भरना था। पी.पी. ने हालांकि मंत्रालय से संपर्क किया और कहा कि उसके लिए 180 हेक्टेयर भूमि पुनर्रोपण के लिए प्राप्त करना संभव नहीं होगा और विशिष्ट स्थिति में संशोधन करने और 5 गुना प्रभावित मैंग्रोव के साथ क्षेत्र के पांच गुना पुनर्रोपण की स्थिति को बदलने का अनुरोध किया। दिसंबर 2018 में निकासी पत्र को संशोधित करके इसे मंजूरी दी गई थी	हमने पाया कि मंत्रालय ने सी.आर.जेड.-I क्षेत्र में इस विशेष परियोजना को अनुमति देने के लिए सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 में संशोधन किया। मंत्रालय ने आगे मंजूरी पत्र की विशिष्ट शर्त में संशोधन की अनुमति दी। ये दोनों अपवाद समुद्री पर्यावरण के संरक्षण की भावना के विरुद्ध थे, जो कि मंत्रालय का वास्तविक अधिदेश है।
			पी.पी. ने 196वीं ई.ए.सी. बैठक में सूचित किया कि उसने पहले ही ठाणे जिले में मैंग्रोव पुनर्रोपण के लिए उपयुक्त 24 हेक्टेयर सरकारी	भूमि अधिग्रहण एक समय लेने वाली प्रक्रिया है लेकिन एम.ओ.ई.एफ.एंडसी.सी. ने मैंग्रोव

क्रम. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मंज़ूरी प्रदान करने से पूर्व महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं को सुनिश्चित नहीं किया गया था	टिप्पणीयां
			भूमि का अधिग्रहण कर लिया था और इसे आगे की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुंबई मैंग्रोव सेल) को सौंप दिया गया था। बाकी 11 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था। तथापि, अभिलेखों में भूमि के इस अधिग्रहण के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया।	पुनर्रोपण के लिए भूमि अधिग्रहण को मंज़ूरी देने के लिए पूर्व-आवश्यकता नहीं बनाया है। इस मामले में प्रभावित मैंग्रोव मुंबई क्षेत्र में सबसे अच्छा स्टॉक थे। साथ ही, परियोजना मंज़ूरी की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था।
8.	महाराष्ट्र	मैसर्स नगर निगम द्वारा मुंबई तटीय सड़क परियोजना (दक्षिण) - ग्रेटर मुंबई के प्रिंसेस फ्लाईओवर से सागर लिंक के वर्ली छोर तक के निर्माण	सी.आर.जेड. की मंज़ूरी के अनुसार, प्रस्तावक को डोमेन विशेषज्ञता वाले संस्थान से एक समुद्री जैव विविधता संरक्षण योजना विकसित करनी थी और इसे एक वर्ष के भीतर एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को प्रस्तुत करना था।	समुद्री जैव विविधता संरक्षण योजना के अभाव में स्वीकृति प्रदान करने से स्वीकृति प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो गया।
9.	महाराष्ट्र	मेसर्स दाजिकाका गाडगिल डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड द्वारा मौजा कर्दे, जिला रत्नागिरि महाराष्ट्र में होटल बिल्डिंग (रिजॉर्ट-3) का निर्माण	प्रस्तावित स्थल के भूकर मानचित्र (1:4000 स्केल) से पता चलता है कि रिज़ॉर्ट 3 का एक हिस्सा 'नो डेवलपमेंट ज़ोन (एन.डी.जेड.)' में था, जिसका उपयोग साइट प्लान के अनुसार सर्विस रोड और पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए किया जाना था। लेकिन मंज़ूरी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एन.डी.जेड. क्षेत्र में कोई निर्माण (सीमेंटेड/कंक्रीटाइज्ड पार्किंग स्पेस सहित) नहीं किया जाना चाहिए।	ई.एसी. ने पी.पी. को परियोजना की सिफारिश करने से पहले एन.डी.जेड. क्षेत्र से परे पार्किंग स्थान/सर्विस सड़कों के निर्माण को दर्शाने वाली एक संशोधित साइट योजना प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा था और इसे सुनिश्चित किए बिना एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा परियोजना के लिए मंज़ूरी पत्र जारी किया गया था।

क्रम. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मंजूरी प्रदान करने से पूर्व महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं को सुनिश्चित नहीं किया गया था	टिप्पणीयां
			क्लीयरेंस लेटर की शर्त यह थी कि संबंधित प्राधिकरण के परामर्श से एक मजबूत वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।	परियोजना की सिफारिश करने से पहले योजना को पूर्व-आवश्यकता के रूप में नहीं बनाया गया था
10.	महाराष्ट्र	मैसर्स दाजिकाका गाडगिल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौजे चंद्रनगर, रत्नागिरी जिला, महाराष्ट्र में होटल भवन का निर्माण। और मैसर्स दाजिकाका गाडगिल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौजे करदे, रत्नागिरी जिला, महाराष्ट्र में होटल भवन का निर्माण।	मंजूरी पत्र में कहा गया है कि संबंधित प्राधिकरण के परामर्श से एक मजबूत वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।	वर्षा जल संचयन योजना को स्वीकृति प्रदान करने से पहले पूर्व-आवश्यकता के रूप में नहीं बनाया गया था।
11.	उड़ीसा	मेसर्स टाटा स्टील एस.ई.जेड. लिमिटेड द्वारा गोपालपुर, गंजम, ओडिशा में बहु-उत्पाद एसईजेड/औद्योगिक पार्क का निर्माण	सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के अनुसार ओडिशा सी.जेड.एम.पी. को अगस्त 2018 में एम.ओ.ई.एफ. और सीसी द्वारा अनुमोदित किया गया था और इस परियोजना को सितंबर 2018 में मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना के ई.सी./सी.आर.जेड. निकासी पत्र में एक विशिष्ट शर्त डाली गई थी कि पीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के अनुरूप परियोजना है। हालांकि हमने पाया कि परियोजना का मूल्यांकन सी.आर.जेड. अधिसूचना 1991 जोनेशन के अनुसार किया गया था	ई.ए.सी. ने पी.पी. पर ही नए सी.जेड.एम.पी. के अनुपालन की जिम्मेदारी छोड़ दी, जबकि इस तरह के अनुपालन पर विचार-विमर्श करने और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ईएसी की है। इस मामले में मंत्रालय को तभी मंजूरी देनी चाहिए थी जब पी.पी. ने नए सी.जेड.एम.पी. के आधार पर नए सिरे से सीमांकन किया हो।

क्रम. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मंजूरी प्रदान करने से पूर्व महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं को सुनिश्चित नहीं किया गया था	टिप्पणीयां
12.	तमिलनाडु	मैसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड द्वारा कामराजार बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल का सामान्य उपयोगकर्ता कोयले को हैंडल के लिए मौजूदा का संशोधन।	मंजूरी पत्र में एक विशिष्ट शर्त यह निर्धारित करती है कि पी.पी. को कोयले की हैंडलिंग के कारण आग की रोकथाम के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार और कार्यान्वित करनी होगी।	कोयला प्रबंधन के कारण आग से बचाव की योजना के बिना परियोजना को मंजूरी देकर मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन और शमन पहलू की अवहेलना की।
			पी.पी. को समुद्री और इंटरटाइडल बायोटोप्स के बायोटा की पुष्प संरचना की सूची बनानी थी। आविष्कार करना था और संभावित प्रभावों के आधार पर एक विस्तृत समुद्री जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन योजना तैयार करना था।	इस तरह की सूची को किसी भी पर्यावरण प्रबंधन योजना के आधार के रूप में काम करना था और यह तथ्य कि यह काम मंजूरी देने से पहले समाप्त नहीं हुआ था, पी.पी. द्वारा किए गए प्रभाव आकलन पर संदेह पैदा करता है।
13.	तमिलनाडु	मेसर्स चेन्नई मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड शोलिंगनल्लूर द्वारा प्रस्तावित 36 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) से ट्रीटेड सीवेज के निर्वहन के लिए बकिंघम कैनाल को मेन कन्वेक्शन का संरेखण	मंजूरी पत्र में एक विशिष्ट शर्त यह निर्धारित करती है कि निर्माण और परिचालन चरण के दौरान बकिंघम नहर के समुद्री पर्यावरण को एक मजबूत समुद्री पर्यावरण प्रबंधन योजना के माध्यम से पाया जाना था।	परियोजना को मंजूरी दिए जाने से पहले समुद्री पर्यावरण प्रबंधन योजना को आदर्श रूप से पी.पी. द्वारा तैयार किया जाना था और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

अनुलग्नक 7: ई.एम.पी. के लिए अलग बजट का प्रावधान न किया जाना

(संदर्भ: रिपोर्ट के पैरा 3.2 (ii))

क्रम सं.	परियोजना का नाम	टिप्पणीयां
1.	मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड, गुजरात (2017) द्वारा मीठापुर कच्छ की खाड़ी में अपने संयंत्र से अंतिम निपटान बिंदु तक उपचारित अपशिष्ट निपटान पाइपलाइन बिछाना	पर्यावरण प्रबंधन गतिविधियों के संचालन के लिए अलग से कोई बजट निर्धारित नहीं किया गया था
2.	मैसर्स मधु सिलिका प्राइवेट लिमिटेड गुजरात (2015) द्वारा भावनगर क्रीक में उपचारित बहिःस्राव का निर्वहन	पी.पी. ने ई.एम.पी. को लागू करने के लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की
3.	मैसर्स न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, कर्नाटक (2016) द्वारा न्यू मैंगलोर पोर्ट में वेस्टर्न डॉक आर्म में चार बर्थ का विकास	हालांकि, परियोजना के लिए 30 लाख रुपये की लागत वाली एक ई.एम.पी. निर्धारित की गई थी, विस्तृत बजट (पूंजीगत और आवर्ती लागत) का ई.आई.ए .में उल्लेख नहीं किया गया था।
4.	मैसर्स महानगर गैस लिमिटेड, महाराष्ट्र (2018) द्वारा उरण (जिला रायगढ़) से नवी मुंबई नगर निगम पाइपलाइन तक प्राकृतिक गैस बिछाना	पी.पी. ने विस्तृत ई.एम.पी. बजट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।
5.	मेसर्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, महाराष्ट्र (2016) द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक का निर्माण	हालांकि, परियोजना के लिए ₹ 335 करोड़ की लागत वाली एक ई.एम.पी. निर्धारित की गई थी, विस्तृत बजट (पूंजीगत और आवर्ती लागत) का उल्लेख ई.आई.ए. में नहीं किया गया था।
6.	बी.पी.सी.एल., महाराष्ट्र (2015) द्वारा मुंबई मनमाड पाइपलाइन का पुनर्मार्ग	पी.पी. ने विस्तृत ईएमपी बजट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया
7.	मैसर्स टाटा स्टील एस.ई.जेड. लिमिटेड, ओडिशा (2018) द्वारा गोपालपुर, गंजम, ओडिशा में बहु-उत्पाद एस.ई.जेड./औद्योगिक पार्क	हालांकि, इस परियोजना के लिए ₹ 45.28 करोड़ की लागत वाली एक ई.एम.पी. निर्धारित की गई थी; ई.आई.ए. में विस्तृत बजट (पूंजीगत और आवर्ती लागत) का उल्लेख नहीं किया गया था।.
8.	मैसर्स रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तमिलनाडु (2018) द्वारा चेन्नई में खाद्य तेल ट्रांजिट टर्मिनल की पाइपलाइन की रिलेइंग और पुनर्विकास	हालांकि, इस परियोजना के लिए ₹ 1.5 लाख की लागत वाली एक ई.एम.पी. निर्धारित की गई थी; ई.आई.ए. में विस्तृत बजट (पूंजीगत और आवर्ती लागत) का उल्लेख नहीं किया गया था।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	टिप्पणीयां
9.	मेसर्स चेन्नई रिवर रिस्टोरेशन ट्रस्ट, तमिलनाडु (2017) द्वारा एकीकृत कूम नदी पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन परियोजना	पी.पी. ने विस्तृत ई.एम.पी. बजट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।

अनुलग्नक 8: ऐसे मामले जहां समग्र प्रभाव का आकलन करने के लिए संचयी अध्ययन नहीं किए गए थे

(संदर्भः रिपोर्ट के पैरा 3.3)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना के नाम	टिप्पणियां
1.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स कोवैलेंट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपचारित बहिःस्राव का समुद्री निपटान	एक फार्मा उद्योग आउटफॉल से 1.9 किमी दूर था। दोनों पाइपलाइनों से निकलने वाले अपशिष्टों के प्रभाव की जांच करने के लिए संचयी अध्ययन नहीं किया गया था।
2.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स हयासिंथ फार्मा प्रा. लि. द्वारा उपचारित बहिःस्राव का समुद्री निपटान	ई.ए.सी. ने क्षेत्र में कई आउटफॉल बिंदुओं से उत्पन्न जोखिम का आकलन करने के लिए एक संचयी प्रभाव अध्ययन की इच्छा जताई थी। हालांकि, पी.पी. ने इसका आकलन नहीं किया था।
3.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स डिविज लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा पूर्वी गोदावरी जिले में बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना	रिकॉर्ड पर कुछ भी इंगित नहीं करता है कि आसपास के अन्य समुद्री बहिर्वाहों की पहचान करने और संचयी मूल्यांकन की आवश्यकता के लिए एक समान अध्ययन किया गया था
4.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स अडानी पोर्ट एवं एस.ई.जेड. लिमिटेड द्वारा कोथापट्टनम गांव, नेल्लोर जिले में अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा परिसर	परियोजना के लिए टी.ओ.आर. को आसपास के अन्य समुद्री बहिर्वाहों को ध्यान में रखते हुए, समुद्री निपटान की एक संचयी प्रभाव अध्ययन की आवश्यकता थी। हालांकि, पी.पी. द्वारा ए.पी.सी.जेड.एम.ए. को ऐसा कोई अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
5.	गोवा	मैसर्स मुरगांव पत्तन न्यास (एम.पी.टी.) द्वारा मुरगांव बंदरगाह पर जहाजों को कैपेसाइज करने के लिए एप्रोच चैनल को गहरा करना	प्रस्तावित परियोजना एम.पी.टी. परिसर के सक्रिय "पोर्ट बेसिन/नेविगेशनल चैनल" क्षेत्र के भीतर थी। जुआरी नदी के किनारे कई उद्योगों और कई बार्ज यार्ड और जहाज निर्माण इकाइयों के साथ इस क्षेत्र में पहले से ही बड़े पैमाने पर गतिविधियां चल रही थीं। ई.आई.ए. रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया था कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव संचयी प्रकृति के होंगे। परंतु पी.पी. ने उनका अध्ययन नहीं किया था।
6.	गुजरात	मैसर्स मधु सिलिका प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भावनगर क्रीक में उपचारित बहिःस्राव का निर्वहन	चित्रा जी.डी.सी. के मौजूदा 20 एम.एल.डी. निपटान के अलावा पी.पी. द्वारा निपटान के कारण क्रीक पर प्रभाव का आकलन करने के लिए संचयी अध्ययन नहीं किया गया था।

क्र.सं.	राज्य	परियोजना के नाम	टिप्पणियां
7.	महाराष्ट्र	मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मुंबई, मुंबई उप-शहरी, ठाणे और पालघर जिले (पी.एच.) में सी.आर.जेड. क्षेत्रों में हाई स्पीड रेलवे परियोजना	ठाणे क्रीक की जैव विविधता पर ठाणे क्रीक ब्रिज III जैसी अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन करने के लिए संचयी अध्ययन नहीं किया गया था।
8.	महाराष्ट्र	मैसर्स दाजिकाका गाडगिल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौजे करदे, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र में होटल बिल्डिंग (रिसॉर्ट 3) का निर्माण	दो समान होटल निर्माण स्थलों (रिज़ॉर्ट 1 और 2) से निकटता के कारण संचयी प्रभावों का आकलन नहीं किया गया था।
9.	महाराष्ट्र	मैसर्स दाजिकाका गाडगिल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौजे करदे, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र में होटल बिल्डिंग (रिसॉर्ट 2) का निर्माण	दो समान होटल निर्माण स्थलों (रिज़ॉर्ट 1 और 3) से निकटता के कारण संचयी प्रभावों का आकलन नहीं किया गया था।
10.	महाराष्ट्र	मैसर्स दाजिकाका गाडगिल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चन्द्रनगर, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र में होटल बिल्डिंग (रिसॉर्ट 1) का निर्माण	दो समान होटल निर्माण स्थलों (रिज़ॉर्ट 2 और 3) से निकटता के कारण संचयी प्रभावों का आकलन नहीं किया गया था।
11.	ओड़िशा	5 एम.एल.डी. संकर विलवणीकरण परियोजना के लिए विलवणीकरण संयंत्र.	समुद्र में मौजूदा एस.टी.पी. निर्वहन के अलावा नमकीन अपशिष्ट के निपटान से समुद्री पर्यावरण को नुकसान का आकलन करने के लिए संचयी अध्ययन पी.पी. द्वारा नहीं किया गया था।

अनुलग्नक 9: जन सुनवाई से संबंधित मुद्दे

(संदर्भः रिपोर्ट के पैरा 3.5)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना के नाम	जन सुनवाई से संबंधित मुद्दे	टिप्पणियांs
1.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स अडानी पोर्ट एवं एस.ई.जेड. लिमिटेड द्वारा कोथापट्टनम गांव, नेल्लोर जिले में अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा परिसर	जन सुनवाई से संबंधित अभिलेखों की जांच करते समय यह पाया गया कि सभी दस्तावेज स्थानीय भाषा में थे।	ई.ए.सी. द्वारा स्थानीय भाषा में सामग्री पर विचार-विमर्श करने के लिए अपनाई गई पद्धति का वर्णन नहीं किया गया था। इसके अलावा, बैठक के कार्यवृत्त, जन शिकायतें, उनके संकल्प ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं थे
2.	गोवा	मैसर्स मुरगांव पत्तन न्यास द्वारा मुरगांव बंदरगाह पर जहाजों को कैपेसाइज करने के लिए एप्रोच चैनल को गहरा करना	ई.ए.सी. ने पी.पी. से ई.आई.ए. रिपोर्ट के खंड- II को अपलोड करने के लिए कहा था क्योंकि यह दावा किया गया था कि जन सुनवाई की कार्यवाही उक्त खंड में शामिल थी।	यह अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था, इस प्रकार, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका था कि क्या नियत प्रक्रिया का पालन किया गया था।
3.	गुजरात	एन.एच.ए.आई. द्वारा मौजूदा राजमार्ग का विस्तार और सुधार	जन सुनवाई के दौरान दी गई सूचना और ई.आई.ए. में दी गई सूचना के बीच अंतर है।	जन सुनवाई में, पी.पी. के अनुसार, परियोजना के लिए कुल 35652 पेड़ काटे जाने थे, हालांकि, ई.आई.ए. रिपोर्ट के अनुसार, 15000 पेड़ काटे जाने थे।
4.	महाराष्ट्र	मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मुंबई, मुंबई उप-शहरी, ठाणे और पालघर जिले (पी.एच.) में सी.आर.जेड. क्षेत्रों में हाई स्पीड रेलवे परियोजना	i. 30 दिनों की न्यूनतम नोटिस अवधि का प्रावधान न करना।	12 स्थानों पर जन सुनवाई हुई थी और इन स्थानों पर नोटिस की अवधि केवल 03 से 15 दिनों के बीच थी।
			ii. जन सुनवाई के लिए विज्ञापन, एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक और क्षेत्रीय स्थानीय भाषा दैनिक में प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता है।	नोटिस केवल स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।
			iii. जन सुनवाई में दी गई सूचना और ई.ए.सी. बैठक के	सुरंगों के निर्माण के कारण ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो पर कंपन के प्रभाव के मुद्दे पर, पी.पी. ने

क्र. सं.	राज्य	परियोजना के नाम	जन सुनवाई से संबंधित मुद्दे	टिप्पणियांs
			दौरान दी गई सूचना के बीच अंतर है।	जन सुनवाई में प्रस्तुत किया कि कंपन क्रीक की सतह तक नहीं फैलेंगे, इसलिए फ्लेमिंगो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन पी.पी. ने ई.ए.सी. को अपनी प्रस्तुति में कहा कि जब तक वास्तव में काम शुरू नहीं हुआ, तब तक फ्लेमिंगो पर कंपन के प्रभाव की भविष्यवाणी करना संभव नहीं था।
5.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया डॉक परिसर, कोलकाता पोर्ट (पश्चिम बंगाल) में हुगली नदी के तृतीय तेल घाट के अपस्ट्रीम और पश्चिमी तट पर मिनी बल्क कैरियर हैंडलिंग सुविधा की स्थापना	लोक सुनवाई प्रक्रिया के अनुसार, अंतिम ई.आई.ए. रिपोर्ट में मूल्यांकन के लिए भेजे जाने से पूर्व उन मामलों को दूर करने के लिए कार्य योजना और वित्तीय आवंटन के साथ जन सुनवाई में व्यक्त मामलों को शामिल करना चाहिए।	मंत्रालय को भेजी गई ई.आई.ए. रिपोर्ट लोगों की प्रतिक्रियाओं एवं, जन सुनवाई में उठाए गए मामलों को दूर करने के लिए पी.पी. द्वारा की गई कार्रवाई से वंचित थी।

अनुलग्नक 10: परियोजना समर्थकों द्वारा अनिवार्य दस्तावेजों को जमा न करना

(संदर्भः रिपोर्ट के पैरा 3.7.2)

क्र.सं.	परियोजना/राज्य के नाम	रैपिड ई.आई.ए.[72]	आपदा प्रबंधन रिपोर्ट	जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन योजना	चिन्हित की गई एचटीएल एवं एल.टी.ए.ल सहित सी.आर. जेड. मानचित्र[73]	सी.आर. जेड. मानचित्र पर रखी गई परियोजना का खाका	सी.आर. जेड. जोनों सहित मानचित्र	अपशिष्ट निर्वहन के लिए एस.पी.सी.बी. से अनापत्ति प्रमाण पत्र
1.	मैसर्स मुरगांव पत्तन न्यास, गोवा द्वारा मुरगांव पोर्ट पर जहाजों के कैपेसाइज़ के लिए एप्रोच चैनल को गहरा करना (2016)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
2.	टी.आई.सी., शौचालय ब्लॉक, वर्षा आश्रय गज़ेबोस, उटोर्डा, गोवा की स्थापना	×	×	×	×	×	×	×
3.	मोबाइल शौचालय ब्लॉक (जी.टी.डी.सी.), क्वेरिम बीच, गोवा का प्रावधान	×	×	×	×	×	×	×
4.	रिसॉर्ट का निर्माण (अमित सी प्रभु), गोवा	×	×	×	×	×	×	✓
5.	आवासीय घरों का निर्माण (एनिसिटो फर्मिनो फर्नान्डीस), गोवा	लागू नहीं	×	×	×	×	×	लागू नहीं
6.	आवासीय घर का निर्माण (एटेलविना रॉड्रिक्स), गोवा	लागू नहीं	×	×	×	×	×	लागू नहीं
7.	सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण (जी.टी.डी.सी.), कैंडोलिम बीच, गोवा	×	×	×	×	×	×	×
8.	शौचालय ब्लॉक, वर्षा आश्रय और टी.आई.सी., तेरेखोल, गोवा का निर्माण	×	×	×	×	×	×	×

¤ ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्थलीय घटक शामिल नहीं था

72 समुद्री और स्थलीय घटकों सहित
73 अधिकृत एजेंसी द्वारा

क्र.सं.	परियोजना/राज्य के नाम	रैपिड ई.आई.ए.[74]	आपदा प्रबंधन रिपोर्ट	जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन योजना	चिन्हित की गई एचटीएल एवं एल.टी.ए.ल सहित सी.आर.जेड. मानचित्र[75]	सी.आर.जेड. मानचित्र पर रखी गई परियो-जना का खाका	सी.आर.जेड. जोनों सहित मानचित्र	अपशिष्ट निर्वहन के लिए एस.पी.सी.बी. से अनापत्ति प्रमाण पत्र
9.	स्थायी शौचालय ब्लॉक, पर्यटन रुचि के स्थानों का उन्नयन/सौंदर्यीकरण (जी.टी.डी.सी.), पालोलेम बीच, कानाकोना, गोवा	×	×	×	×	×	×	×
10.	पणजी में मौजूदा घाट पर टर्मिनल भवन का निर्माण	×	×	×	×	×	×	×
11.	रुआ डी ओरेम क्रीक और कन्वेंशन सेंटर, गोवा का सौंदर्यीकरण	×	×	×	×	×	×	×
12.	बीच फ्रंट प्रोमेन्डेड, गोवा का सौंदर्यीकरण	×	×	×	×	×	×	×
13.	आवासीय घर का निर्माण (लुइसा डिसूजा), गोवा	लागू नहीं	×	×	×	×	×	लागू नहीं
14.	कोलवा (एस.आई.डी.सी.एल.), गोवा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	×	×	×	×	×	×	✓
15.	एस.टी.पी. का निर्माण (एस.आई.डी.सी.एल.), बंदोरा, गोवा	×	×	×	×	×	×	✓
16.	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण (1एम.एल.डी.) (एस.आई.डी.सी.एल.), दुरभात, गोवा	×	×	×	×	×	×	✓
17.	आवासीय घरों का निर्माण (युवराज के. बंदोदकर), गोवा	लागू नहीं	×	×	×	×	×	लागू नहीं
18.	नई के.सी.एल. संग्रहण इकाई का निर्माण (जुआरी एग्रो केम.) गोवा	×	×	×	×	×	×	✓

74 समुद्री और स्थलीय घटकों सहित
75 अधिकृत एजेंसी द्वारा

क्र.सं.	परियोजना/राज्य के नाम	रैपिड ई.आई.ए.[76]	आपदा प्रबंधन रिपोर्ट	जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन योजना	चिन्हित की गई एचटीएल एवं एल.टी.ए.ल सहित सी.आर.जेड. मानचित्र[77]	सी.आर.जेड. मानचित्र पर रखी गई परियो-जना का खाका	सी.आर.जेड. जोनों सहित मानचित्र	अपशिष्ट निर्वहन के लिए एस.पी.सी.बी. से अनापत्ति प्रमाण पत्र
19.	मैसर्स अडानी पेट्रोनेट (दाहेज) पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा अदानी पेट्रोनेट (दाहेज) पोर्ट, जिला भरूच का विस्तार (2016)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
20.	गुजरात के मैसर्स टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मांडवी, जिला कच्छ में ग्रीनफील्ड बीच रेसॉर्ट का विकास (2015)	✓	✓	✓	×	✓	×	×
21.	मैसर्स मधु सिलिका प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा भावनगर क्रीक, भावनगर में 10 एम.एल.डी. औद्योगिक अपशिष्ट का निर्वहन (2015)	¤	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22.	मैसर्स वेल ट्रीट एनवायरो मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशन, गुजरात (2016) द्वारा कोलक नदी के साथ गहरे समुद्र तक कॉमन ट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्पोजल पाइपलाइन परियोजना	✓	✓	×	✓	✓	×	✓
23.	मैसर्स टी.सी.एल., गुजरात, (2017) द्वारा मीठापुर में कच्छ की खाड़ी में मरीन आउटफॉल पॉइंट पर ट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्पोजल पाइपलाइन बिछाना	¤	✓	✓	×	✓	×	✓
24.	अहीर साल्ट एंड एलाइड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल, पाइपलाइन रोड कनेक्टिविटी, गांधीधाम, कच्छ के साथ मौजूदा जेट्टी का पुनरुद्धार	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×

76 समुद्री और स्थलीय घटकों सहित

77 अधिकृत एजेंसी द्वारा

क्र.सं.	परियोजना/राज्य के नाम	रैपिड ई.आई.ए.[78]	आपदा प्रबंधन रिपोर्ट	जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन योजना	चिन्हित की गई एचटीएल एवं एल.टी. ए.ल सहित सी.आर. जेड. मानचित्र[79]	सी.आर. जेड. मानचित्र पर रखी गई परियो-जना का खाका	सी.आर. जेड. जोनों सहित मानचित्र	अपशिष्ट निर्वहन के लिए एस.पी.सी. बी. से अनापत्ति प्रमाण पत्र
25.	प्रमुख ऑर्गनाइजर्स एल.एल.पी., गुजरात द्वारा बारबोधन गांव, ओलपाड तालुका, सूरत में आवासीय (सबप्लॉट टाइप) उद्देश्य परियोजना 'सन सिटी'	✓	✓	×	✓	✓	✓	×
26.	सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात द्वारा बेट और ओखा, द्वारका के बीच समुद्री पुल का निर्माण	¤	✓	×	✓	✓	✓	✓
27.	निरमा लिमिटेड द्वारा गांव कलातलाव और नर्मद, तहसील और जिला भावनगर में स्थित अतिरिक्त नमक कार्य (2846.15 एकड़)	¤	✓	×	×	✓	×	✓
28.	मुंबई तटीय सड़क परियोजना (दक्षिण) - मैसर्स ग्रेटर मुंबई (2017) नगर निगम,महाराष्ट्र द्वारा प्रिंसेस फ्लाईओवर से सी लिंक के वर्ली छोर तक	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
29.	मैसर्स ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड (2016), तमिलनाडु द्वारा जिला रामनाथपुरम में समुद्री शैवाल की इनटेक और आउटफॉल सुविधा	✓	×	×	✓	✓	×	×

---

78 समुद्री और स्थलीय घटकों सहित

79 अधिकृत एजेंसी द्वारा

क्र.सं.	परियोजना/राज्य के नाम	रैपिड ई.आई.ए.[80]	आपदा प्रबंधन रिपोर्ट	जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन योजना	चिन्हित की गई एचटीएल एवं एल.टी. ए.ल सहित सी.आर. जेड. मानचित्र[81]	सी.आर. जेड. मानचित्र पर रखी गई परियो-जना का खाका	सी.आर. जेड. जोनों सहित मानचित्र	अपशिष्ट निर्वहन के लिए एस.पी.सी. बी. से अनापत्ति प्रमाण पत्र
30.	मैसर्स चेन्नई मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड शोलिंगनल्लूर (2017), तमिलनाडु द्वारा प्रस्तावित 36 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) से ट्रीटेड सीवेज के निर्वहन के लिए बकिंघम नहर को मुख्य संदेश देने का संरेखण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
31.	मत्स्य विभाग, तमिलनाडु द्वारा पुलिकट गांव में बार माउथ की स्थायी स्थिरता के लिए प्रशिक्षण दीवारों का निर्माण	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓
32.	तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट कंपनी, तमिलनाडु द्वारा उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन रोड और एन्नोर पोर्ट रोड का विस्तार	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓
33.	मैसर्स अलवरपेट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु द्वारा चेन्नई के तिरुवोट्टियूर गांव में मॉल का विकास	×	×	×	×	×	×	×
34.	मत्स्य विभाग, तमिलनाडु द्वारा वेल्लापल्लम गांव, नागापट्टिनम में मत्स्य पालन बंदरगाह का विकास	✓	✓	✓	✓	✓	×	×

80 समुद्री और स्थलीय घटकों सहित

81 अधिकृत एजेंसी द्वारा

क्र.सं.	परियोजना/राज्य के नाम	रैपिड ई.आई.ए.[82]	आपदा प्रबंधन रिपोर्ट	जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन योजना	चिन्हित की गई एचटीएल एवं एल.टी. ए.ल सहित सी.आर. जेड. मानचित्र[83]	सी.आर. जेड. मानचित्र पर रखी गई परियो- जना का खाका	सी.आर. जेड. जोनों सहित मानचित्र	अपशिष्ट निर्वहन के लिए एस.पी.सी. बी. से अनापत्ति प्रमाण पत्र
35.	मत्स्य विभाग, कुड्डालोर द्वारा मुधुनगर, कुड्डालोर में मत्स्य पालन बंदरगाह का नवीनीकरण	✓	×	×	✓	✓	×	×
36.	ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, तमिलनाडु द्वारा इको-पार्क भारती नगर, टोंडियारपेट गाँव, चेन्नई का प्रस्तावित विकास	×	×	×	✓	✓	×	×
37.	मत्स्य पालन के सहायक निदेशक, नागापट्टिनम उत्तर, तमिलनाडु द्वारा थारंगमबाड़ी, नागापट्टिनम जिले में नए मत्स्य पालन बंदरगाह का निर्माण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
38.	मत्स्य पालन के सहायक निदेशक, रामेश्वरम, तमिलनाडु द्वारा कुंथुकल, रामनाथपुरम जिले में मछली लैंडिंग केंद्र का निर्माण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
39.	अपर निदेशक (आतिथ्य), पर्यटन विभाग, केरल सरकार, तमिलनाडु द्वारा कन्याकुमारी में सरकारी अतिथि गृह भवन (केरल सरकार) का निर्माण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
40.	प्रजापिता ब्रहमा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तमिलनाडु द्वारा ब्रहम कुमारी बीना, कन्याकुमारी द्वारा आवासीय भवन का निर्माण,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×

82 समुद्री और स्थलीय घटकों सहित

83 अधिकृत एजेंसी द्वारा

क्र.सं.	परियोजना/राज्य के नाम	रैपिड ई.आई.ए.[84]	आपदा प्रबंधन रिपोर्ट	जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन योजना	चिन्हित की गई एचटीएल एवं एल.टी.ए.ल सहित सी.आर.जेड. मानचित्र[85]	सी.आर.जेड. मानचित्र पर रखी गई परियोजना का खाका	सी.आर.जेड. जोनों सहित मानचित्र	अपशिष्ट निर्वहन के लिए एस.पी.सी.बी. से अनापत्ति प्रमाण पत्र
41.	ई.ई., भवन और निर्माण प्रभाग I, पी.डब्ल्यू.डी., तमिलनाडु द्वारा तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सेल्वी जे जयललिता के लिए स्मारक का निर्माण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
42.	मैसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, तमिलनाडु द्वारा एर्नावुर गांव, थिरुवोट्टियूर, थिउवल्लूर जिले में प्रस्तावित आवासीय परिसर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
43.	मैसर्स तमिलनाडु स्लम क्लीयरेंस बोर्ड, तमिलनाडु द्वारा मयलापुर गांव के आर.एस. सं. 7581, 7582 में चार शोर एस्टेट में मकान निर्माण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
44.	मैसर्स हिंदुजा फाउंड्रीज, तमिलनाडु द्वारा सर्वेक्षण संख्या 39 ए और 39 बी, काठीवाक्कम गांव, अंबात्तूर तालुक में फाउंड्री इकाई का आधुनिकीकरण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
45.	मैसर्स जी.वी.डी. इंटरनेशनल, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा सूखी मछली और ठंडी ताजी मछली की पैकिंग का प्रस्तावित निर्माण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
46.	मत्स्य विभाग, पोन्नेरी, तमिलनाडु द्वारा टूना फिशिंग हार्बर, तिरुवोट्टियूर, चेन्नई का निर्माण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×

84 समुद्री और स्थलीय घटकों सहित

85 अधिकृत एजेंसी द्वारा

अनुलग्नक 11: ऐसे मामले जहां पी.पी. द्वारा निकासी पत्र के साथ-साथ एस.सी.जेड.एम.ए. सिफारिशों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था

(संदर्भ रिपोर्ट का पैरा 4.1.1)

क्रं.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अवलोकन
1.	गोवा	मेसर्स मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मोरमुगाओ बंदरगाह पर जहाजों को कैपेसाइज करने के लिए एप्रोच चैनल को गहरा करना	ई.आई.ए. रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत 35 लाख रुपये का प्रावधान करना था। तथापि, पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत पी.पी. द्वारा किसी भी निधि का प्रावधान नहीं किया गया था।
2.	गुजरात	गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रस्तावित पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रासायनिक विशेष निवेश क्षेत्र (पी.सी.पी.आई.आर.) का विकास	i. तटीय प्रबंधन योजना के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन एक विशेषज्ञ संस्थान द्वारा तैयार किया जाना था और इसे सभी हितधारकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। हालांकि, पी.पी. द्वारा अध्ययन नहीं किया गया था।
			ii पी.पी. को पर्यावरण नीति तैयार करनी थी और उसे अपने निदेशक मंडल से अनुमोदित कराना था। हालांकि, पी.पी. द्वारा पर्यावरण नीति तैयार नहीं की गई थी।
3.	गुजरात	उपचारित बहिःस्राव पाइपलाइन बिछाना और भावनगर क्रीक में अपशिष्ट का निपटान	i पाइपलाइन आउटलेट और क्रीक आउटफॉल पर ऑनलाइन निगरानी सेंसर उपलब्ध कराए जाने थे। हालांकि, पी.पी. द्वारा कोई निगरानी सेंसर प्रदान नहीं किये गये थे।
			ii. 25 हेक्टेयर भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण किया जाना था जिसकी रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण विभाग/एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को दी जानी थी। पी.पी द्वारा आज तक (अगस्त 2021) कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया था।
4.	गुजरात	गांव मोराई, वापी में सी.ई.टी.पी. के लिए कोलक नदी के किनारे	पी.पी. को एक वरिष्ठ कार्यकारी की देखरेख में निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अलग पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता थी। पीपी ने प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया।

क्रं.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अवलोकन
		गहरे समुद्र तक पाइपलाइन बिछाना	
5.	गुजरात	मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड द्वारा मीठापुर में कच्छ की खाड़ी में उनके संयंत्र से अंतिम निपटान बिंदु तक उपचारित अपशिष्ट निपटान पाइपलाइन बिछाना	i पोशित्रा खाड़ी की समुद्री और तटीय जैव विविधता के लिए बेसलाइन डेटा विकसित किया जाना था और समुद्री घास के बिस्तरों, और स्थानिक प्रजातियों सकुराओलिसगुजराटिका और एंटेओलीडिएलापोशित्रा पर विशेष ध्यान देने के साथ द्वि-वार्षिक निगरानी की जानी थी। पी.पी. द्वारा आधारभूत अध्ययन नहीं किए गए थे।
			ii. जी.सी.जेड.एम.ए. को वार्षिक पर्यावरण लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। पी.पी. द्वारा वार्षिक पर्यावरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
			iii. व्यापक ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार की जानी थी और जी.सी.जेड.एम.ए. को प्रस्तुत की जानी थी। पी.पी. ने जी.सी.जेड.एम.ए. को कोई व्यापक ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
6.	गुजरात	मिथिरोहर, गांधीधाम, कच्छ में तरल भंडारण टर्मिनल, पाइपलाइन, सड़क संपर्क, रेलवे लाइन और साइडिंग के साथ मौजूदा जेट्टी का पुनरुद्धार	i पी.पी. को अपनी गतिविधियां शुरू करने से पहले विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों से सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करनी थीं। जी.पी.सी.बी. ने केवल पांच पाइपलाइन बिछाने के लिए समेकित सहमति और प्राधिकरण (सी.सी.ए.) प्रदान किया, ii. साइट के दौरे के दौरान, हमने देखा कि पी.पी. ने 1800-मीटर लंबाई की छह पाइपलाइनें बिछाई थीं। iii. इस प्रकार, पी.पी. ने जीपीसीबी से सीसीए प्राप्त किए बिना एक अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाई और संचालित की।
			iv. पी.पी. को परियोजना शुरू होने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर जी.ई.सी. / वन विभाग के परामर्श से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव वृक्षारोपण करना था। पी.पी. द्वारा कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया (अगस्त 2021)।
			v. पी.पी. को जी.ई.सी./वन विभाग/जी.ई.ई.आर. फाउंडेशन के परामर्श से बड़े पैमाने पर हरित पट्टी विकास गतिविधि शुरू करने और वन विभाग/एस.ई.आई.ए.ए. को एक व्यापक योजना

क्रं.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अवलोकन
			प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। पी.पी. ने न तो वन विभाग/जी.ई.सी./जी.ई.ई.आर. फाउंडेशन से परामर्श किया और न ही कोई व्यापक योजना प्रस्तुत की।
			vi. पी.पी. को ई.एम.पी. के अनुसार हरित पट्टी विकास के लिए पूंजीगत लागत और रखरखाव लागत के रूप में ₹ 20.67 लाख और ₹ 2.51 लाख खर्च करने थे। पी.पी. ने आज तक इस उद्देश्य के लिए कोई व्यय नहीं किया है।
7.	गुजरात	ग्राम कालातालाव और नर्मद, भावनगर में स्थित अतिरिक्त नमक कार्य (2395.15 एकड़)	i जी.सी.जेड.एम.ए. के साथ-साथ एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा बताई गई शर्त के अनुसार, पी.पी. को अतिरिक्त 50 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव वृक्षारोपण करने की आवश्यकता थी। पी.पी. द्वारा इस शर्त का पालन नहीं किया गया था
			ii. पी.पी. एक प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से एक व्यापक ई.आई.ए. कमीशन करेगा। पी.पी. द्वारा व्यापक ई.आई.ए. तैयार नहीं किया गया था
			iii. पी.पी. को प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में मैंग्रोव और अन्य तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति को कवर करते हुए पर्यावरण निगरानी पर नियमित रूप से अध्ययन करना था और हर साल एफ.एंड.ई. विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। पी.पी. द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया था।
			iv. पी.पी. को एफ.एंड.ई. विभाग और एस.ई.आई.ए.ए. को तटीय और समुद्री पर्यावरण में आधारभूत पर्यावरणीय गुणवत्ता के संबंध में परिवर्तनों को दर्शाते हुए वार्षिक पर्यावरण लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। पी.पी. द्वारा इस शर्त का पालन नहीं किया गया था
8.	गुजरात	सड़क एवं भवन विभाग, जामनगर, गुजरात सरकार द्वारा बेट द्वारका और ओखा के बीच समुद्री पुल का निर्माण	i पी.पी. को अलग पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता थी। पी.पी. द्वारा ऐसा कोई सेल नहीं बनाया गया था।
			ii. भूमि के गैर-कृषि उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। गैर-कृषि उपयोग की अनुमति के बिना कृषि भूमि पर निर्माण शिविर स्थापित किया गया था।

क्रं.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अवलोकन
			iii. कार्य क्षेत्र में भगोड़े उत्सर्जन की निगरानी से संबंधित अभिलेखों को बनाए रखने की आवश्यकता है। ऐसे अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जाता था।
			iv. उपयोग किया हुआ तेल केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को बेचा जाएगा। पी.पी. के अनुसार, उपयोग किया हुआ तेल स्थानीय विक्रेताओं को बेचा जा रहा था, न कि पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को।
			v. पी.पी. द्वारा तटीय और समुद्री पर्यावरण में आधारभूत पर्यावरणीय गुणवत्ता के संबंध में परिवर्तनों को दर्शाने वाली वार्षिक पर्यावरण लेखा परीक्षा रिपोर्ट वन और पर्यावरण विभाग को प्रस्तुत की जानी थी। निर्माण शुरू होने के बाद वार्षिक पर्यावरण लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।
			vi. निर्माण शिविर सी.आर.जेड. क्षेत्र के बाहर रखा जाना था। हमने उस क्षेत्र के लिए गूगल मानचित्र के साथ-साथ स्वीकृत सी.जेड.एम.पी. का उपयोग करते हुए देखा कि निर्माण शिविर का एक हिस्सा सी.आर.जेड. क्षेत्र के अंतर्गत आता है
			vii. समुद्री जल में ईंधन और अन्य दूषित पदार्थों से सतही अपवाह के प्रवेश को रोकने के लिए बनने वाले सैटलिंग तालाब और तेल रिसेप्टर्स का निर्माण/स्थापना। परियोजना स्थल पर इस तरह के सैटलिंग तालाब और/या तेल रिसेप्टर्स नहीं देखे गए थे।
9.	कर्नाटक	कर्नाटक मैसर्स ट्रॉपिकाना लिक्विड स्टोरेज (प्रा.) लिमिटेड द्वारा कर्नाटक बंदरगाह, कारवार में पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण टर्मिनल का निर्माण।	कोई उचित तेल रिसाव आकस्मिक योजना नहीं बनाई गई है। तेल रिसाव से बचने के लिए बूम/स्किमी आदि से युक्त समर्पित नावों को तैनात नहीं किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक ने अग्निशामक और तेल रिसाव शमन उपायों के लिए कारवार बंदरगाह के साथ समझौता नहीं किया था।
			ii. पाइपलाइन में रिसाव की पहचान करके पंपिंग को तुरंत बंद करने के लिए के लिए कोई कम्प्यूटरीकृत एस.सी.ए.डी.ए. (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा स्वचालन) प्रणाली नहीं है।
			iii. परियोजना प्रस्तावक ने एक वरिष्ठ कार्यकारी की देखरेख में निर्धारित पर्यावरण सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अलग पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की है।

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अवलोकन
10.	केरल	मैसर्स टी.आर.आई.एफ. द्वारा कोचीन आवासीय विकास परियोजना कोच्चि प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एर्नाकुलम	ई.सी. की विशिष्ट शर्त I(iv) के अनुसार, एच.टी.एल. से 0-200 मीटर के भीतर कोई विकास नहीं होगा। हमने देखा कि परियोजना का पूरा निर्माण एच.टी.एल. के 200 मीटर के भीतर किया गया था। ई.सी. की शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी./ के.सी.जेड.एम.ए. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
			ii. ई.सी. की विशिष्ट शर्त I (xxx) निर्धारित करती है कि, ई.पी. अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत, पी.पी. के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी यदि परियोजना का निर्माण ई.सी. के बिना शुरू किया गया था। मुख्य नगर नियोजक, तिरुवनंतपुरम ने इस शर्त के अधीन भवनों के लेआउट और भूखंड के उपयोग को मंजूरी दी (जून 2012) कि परियोजना के लिए ई.सी. प्राप्त किया जाना चाहिए और, कोच्चि नगर निगम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण सी.आर.जेड. विनियमों के अनुसार है। तथापि, कोच्चि निगम ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ई.सी. के निर्गम (फरवरी 2016) से पहले परियोजना के लिए भवन अनुज्ञापत्र (मार्च 2011 एवं जुलाई 2012) जारी किया है। इस संबंध में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी./के.सी.जेड.एम.ए. द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
			iii. सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के खंड 3 (xi) भूजल की निकासी की अनुमति केवल तभी है जब पीने, बागवानी, कृषि और मत्स्य पालन के लिए सामान्य कुओं के माध्यम से मैन्युअल रूप से किया जाता हो और जहां पानी का कोई अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं हो। लेकिन जे.पी.वी. के दौरान यह देखा गया कि पानी का मुख्य स्रोत भूजल था जिसके लिए पानी की सभी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक ट्यूबवेल का निर्माण किया गया था।
			iv. ई.सी. की विशिष्ट शर्त II (vi) के अनुसार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) की स्थापना को एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और परियोजना के संचालन के लिए प्रारंभ होने से पहले इस संबंध में एक रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

क्रं.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अवलोकन
			परियोजना को एस.टी.पी. की स्थापना पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणीकरण के बिना प्रारंभ किया गया था।
11.	केरल	मैसर्स ईस्ट वेनिस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अलाप्पुझा पश्चिम गांव, जिला अलाप्पुझा में स्टार होटल का निर्माण	बेसमेंट के निर्माण की अनुमति तभी दी जाती है, जब राज्य भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो। बेसमेंट निर्माण के लिए भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिया गया था।
12.	महाराष्ट्र	मुंबई तटीय सड़क परियोजना (दक्षिण) - ग्रेटर मुंबई के मैसर्स नगर निगम द्वारा सी लिंक के वर्ली छोर तक प्रिंसेस फ्लाईओवर	इवेंट परियोजना में मछुआरा समुदायों के पुनर्वास और पुनर्वास की स्थिति इन समुदायों के मौजूदा आजीविका पैटर्न को प्रभावित करती है। मुख्य रिपोर्ट में लिया गया अवलोकन मुख्य रिपोर्ट में लिया गया है।
13.	महाराष्ट्र	मेसर्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक (एम.एम.आर.डी.ए.)	i एम.एम.आर.डी.ए. को यह सुनिश्चित करना था कि परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान मछली पकड़ने की गतिविधि बाधित न हो और परियोजना के कारण प्रभावित मछुआरों को व्यवसाय के नुकसान का आकलन करना था।
			ii. एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने एम.टी.एच.एल. के लिए 47.41 हेक्टेयर वन भूमि को डायवर्जन के लिए अनुमोदित (जनवरी 2016) किया, बशर्ते एम.एम.आर.डी.ए. राज्य सरकार के परामर्श से एविफौना के लिए वैकल्पिक आवास/घर का निर्माण और रखरखाव करेगा जिनके घोंसले के पेड़ इस परियोजना में काटे जाने हैं। पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से कृत्रिम रूप से बने पक्षियों के घोंसले का उपयोग वन क्षेत्र और वन क्षेत्र से सटे मानव बस्तियों सहित क्षेत्र में किया जाएगा, जिसे परियोजना के लिए डायवर्ट किया जा रहा है। मुख्य वन संरक्षक (टी), ठाणे ने एम.टी.एच.एल. के निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पेड़ों को काटने की अनुमति दी (मई 2017)।

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अवलोकन
			यह देखा गया कि यद्यपि परियोजना के लिए कुल 669 पेड़ों को हटाया गया था, लेकिन प्रभावित जीव जंतुओं के लिए कोई वैकल्पिक आवास/घर नहीं बनाया गया था। एम.एम.आर.डी.ए. ने कहा (सितंबर 2021) कि उप वन संरक्षक, अलीबाग द्वारा मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य के लिए ₹ 61 लाख के साथ कृत्रिम घोंसलों के निर्माण के उद्देश्य के लिए ₹ 1.50 लाख के अनुमान के आधार पर (नवंबर 2016) वन विभाग के पास ₹ 62.50 लाख जमा किए थे।
14	तमिलनाडु	मैसर्स चेन्नई रिवर रिस्टोरेशन ट्रस्ट द्वारा एकीकृत कूम नदी पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन परियोजना	i सी.आर.जेड. क्षेत्र में कूम नदी की गाद निकालने की अनुमति केवल 5,08,177 घन मीटर की मात्रा के लिए दी गई थी। इसके विरुद्ध लोक निर्माण विभाग ने 8,94,757 घन मीटर (अर्थात) टी.एन.एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा अनुमत मात्रा से 3,86,580 घन मीटर अधिक मात्रा में नदी से सिल्ट निकालने का कार्य किया था।
			ii. ड्रेजिंग के माध्यम से उत्पन्न सिल्ट को वैज्ञानिक रूप से सी.आर.जेड. क्षेत्र के बाहर नष्ट किया जाना था। बंधन और भूनिर्माण परिवर्तन निषिद्ध गतिविधियाँ थीं। लोक निर्माण विभाग ने उत्पन्न सिल्ट का केवल 40 प्रतिशत ही डंप यार्ड में नष्ट किया, और शेष सिल्ट नदी के किनारे जमा की गई, जिसके कारण परिदृश्य को प्रभावित करने वाले बांधों का निर्माण हुआ। उपरोक्त उल्लंघनों का पता न तो टी.एन.एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा और न ही डी.सी.जेड.एम.ए., चेन्नई क्षेत्र द्वारा लगाया गया था। इस प्रकार उपरोक्त उल्लंघनों के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, अत्यधिक सिल्ट के अनधिकृत डंपिंग और पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कारण, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने ₹ 32.17 करोड़ की लागत से पार्कों, वॉकवे, नेचर ट्रेल पार्क आदि के निर्माण / विकास की अपनी महत्वाकांक्षी कूम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और परियोजना से संबंधित सभी अनुबंधों को समाप्त कर दिया।

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अवलोकन
15.	महाराष्ट्र	मुम्बई मनमाड पाइपलाइन की रीरुटिंग	मंजूरी पत्र में कहा गया है कि सभी प्रमुख जल निकायों में, मैंग्रोव को नुकसान से बचाने के लिए क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (एच.डी.डी.) का उपयोग किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय कार्यालय, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी., नागपुर को निरीक्षण के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन की निगरानी तथा बी.पी.सी.एल. को अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। क्षेत्रीय कार्यालय ने परियोजना की निगरानी नही की तथा बी.पी.सी.एल. ने आवश्यक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत नही की। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर ने बताया कि (जनवरी 2021) बी.पी.सी.एल. द्वारा एच.डी.डी. से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई। आगे यह भी बताया गया कि जनशक्ति की कमी के कारण निगरानी नही हो पाई।
16.	तमिलनाडु	मेसर्स चेन्नई मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड शोलिंगनल्लूर द्वारा प्रस्तावित 36 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) से ट्रीटेड सीवेज के निर्वहन के लिए बकिंघम नहर को कन्वेयिंग मेन का संरेखण	i परियोजना की अवधि के दौरान अपने कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सी.ई.आर.) को पूरा करने के लिए परियोजना लागत का 2 प्रतिशत आवंटन। किए गए उपायों का लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए और हर छह महीने में सी.जेड.एम.ए. को भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस शर्त का पालन नहीं किया गया।
			ii. भूजल की गुणवत्ता/भारी धातुओं और अन्य जहरीले संदूषकों के लीचिंग की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए परियोजना स्थल में और उसके आसपास नियमित रूप से मिट्टी और भूजल परीक्षण। इस शर्त का पालन नहीं किया गया।
			iii. सीवेज के उपचार के लिए समयबद्ध कार्य योजना और औद्योगिक और अन्य अनुप्रयोगों के लिए परिणामी अपशिष्ट का उपयोग किया जाना था। इस शर्त का पालन नहीं किया गया।
			iv. परियोजना प्रस्तावक की वेबसाइट पर निर्धारित शर्तों पर अनुपालन रिपोर्ट अपलोड करने का कार्य नहीं किया गया था

क्रं.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अवलोकन
			v. पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित निधि से मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय को वर्षवार व्यय की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी
17.	तमिलनाडु	मैसर्स रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा चेन्नई में खाद्य तेल ट्रांजिट टर्मिनल की पाइपलाइन और पुनर्विकास की रिलेइंग	i परियोजना की अवधि के दौरान अपने कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सी.ई.आर.) को पूरा करने के लिए परियोजना लागत का 2 प्रतिशत आवंटन किया जाना था। किए गए उपायों का लेखा-जोखा रखा जाना था और हर छह महीने में एस.सी.जेड.एम.ए. को भी प्रस्तुत किया जाना था। इस शर्त का पालन नहीं किया गया।
			ii. परियोजना प्रस्तावक की वेबसाइट पर निर्धारित शर्तों पर अनुपालन रिपोर्ट अपलोड करना आवश्यक था। इस शर्त का पालन नहीं किया गया।
			iii. मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय को पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित धनराशि से वर्षवार व्यय की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था। इस शर्त का पालन नहीं किया गया।
18.	तमिलनाडु	टी.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. द्वारा जिला रामनाथपुरम में 2X800 मेगावाट उप्पुर सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट	i परियोजना की अवधि के दौरान अपने कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सी.ई.आर.) को पूरा करने के लिए परियोजना लागत का 2 प्रतिशत आवंटन किया जाना था। किए गए उपायों का लेखा-जोखा रखा जाना था और हर छह महीने में एस.सी.जेड.एम.ए. को भी प्रस्तुत किया जाना था। इस शर्त का पालन नहीं किया गया।
			ii. परियोजना प्रस्तावक की वेबसाइट पर निर्धारित शर्तों पर अनुपालन रिपोर्ट अपलोड करना आवश्यक था। इस शर्त का पालन नहीं किया गया।
			iii. पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित धनराशि से वर्षवार व्यय की रिपोर्ट मंत्रालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करने का निर्धारण किया गया था। इस शर्त का पालन नहीं किया गया।

अनुलग्नक 12: ऐसे मामले जहां परियोजना प्रस्तावक द्वारा अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 4.1.2 (i)

राज्य	परियोजना का नाम
गोवा	मेसर्स मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मोरमुगाओ बंदरगाह पर जहाजों को कैपेसाइज करने के लिए एप्रोच चैनल को गहरा करना
गुजरात	i राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा एन.एच.-8 ई के भावनगर-पिपावाव-पोरबंदर-द्वारका खंड के मौजूदा राजमार्ग को 2-लेन पेव्ड शोल्डर/ 4 लेन/6 लेन में चौड़ीकरण और सुधार
	ii. गुजरात लिमिटेड के मैसर्स टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा मांडवी, जिला कच्छ में ग्रीनफील्ड बीच रिज़ॉर्ट का विकास।
	iii. मैसर्स वेलट्रीट एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा कोलक इस्चुअरी, वापी के माध्यम से कोलाकुप्टो गहरे समुद्र में नदी के किनारे कॉमन ट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्पोजल पाइपलाइन परियोजना
कर्नाटक	मैसर्स ट्रॉपिकाना लिक्विड स्टोरेज (पी) लिमिटेड द्वारा करवार, कर्नाटक पोर्ट में पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण टर्मिनल का निर्माण।
केरल	i मैसर्स टी.आर.आई.एफ. कोच्चि प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एर्नाकुलम द्वारा कोचीन आवासीय विकास परियोजना: 8 अर्धवार्षिक रिपोर्टों की तुलना में, केवल 3 अनुपालन रिपोर्ट के.एस.पी.सी.बी. को प्रस्तुत की गई थी।
	ii. मैसर्स ईस्ट वेनिस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अलाप्पुझा वेस्ट विलेज, जिला अलाप्पुझा में स्टार होटल का निर्माण
तमिलनाडु	i मैसर्स चेन्नई रिवर रिस्टोरेशन ट्रस्ट द्वारा एकीकृत कूम नदी पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन परियोजना
	ii. मेसर्स ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा जिला रामनाथपुरम में समुद्री शैवाल का इंटेक और आउटफॉल सुविधा
	iii. थिरुविका ब्रिज से कोट्टूरपुरम ब्रिज तक 400 मीटर अपस्ट्रीम से अड्यार नदी (2000 मीटर - 4000 मीटर चेनेज) की इको-रिस्टोरेशन
	iv. मेसर्स चेन्नई मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड शोलिंगनल्लूर द्वारा प्रस्तावित 36 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) से ट्रीटेड सीवेज के निर्वहन के लिए बकिंघम नहर को कन्वेयिंग मेन से संरेखण
	v. मैसर्स रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा चेन्नई में खाद्य तेल ट्रांजिट टर्मिनल की पाइपलाइन की रिलेइंग और पुनर्विकास
	vi. टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. द्वारा जिला रामनाथपुरम में 2X800 मेगावाट उप्पुर सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट

अनुलग्नक 13: परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय विवरण का ना दिया जाना

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 4.1.2 (ii))

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1.	मेसर्स चेन्नई मेट्रो वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड शोलिंगनल्लूर, तमिलनाडु द्वारा प्रस्तावित 36 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) से ट्रीटेड सीवेज के निर्वहन के लिए बकिंघम नहर का कन्वेयिंग मेन से संरेखण
2.	मैसर्स रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा चेन्नई में खाद्य तेल ट्रांजिट टर्मिनल की पाइपलाइन की रिलेइंग और पुनर्विकास
3.	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ., तमिलनाडु द्वारा जिला रामनाथपुरम में 2X800 मेगावाट उप्पुर सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट
4.	मैसर्स टी.आर.आई.एफ. द्वारा कोचीन आवासीय विकास परियोजना कोच्चि प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एर्नाकुलम, केरल
5.	मैसर्स ट्रॉपिकाना लिक्विड स्टोरेज (पी.) लिमिटेड, कर्नाटक द्वारा करवार, कर्नाटक पोर्ट पर पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण टर्मिनल का निर्माण
6.	एम.एम.पी.एल. रीरूटिंग प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र
7.	मेसर्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, महाराष्ट्र द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक
8.	मुंबई तटीय सड़क परियोजना (दक्षिण) - ग्रेटर मुंबई, महाराष्ट्र के मैसर्स नगर निगम द्वारा सी लिंक के वर्ली छोर तक प्रिंसेस फ्लाईओवर
9.	मैसर्स नगर निगम ग्रेटर मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा मलाड सीवेज उपचार संयंत्र
10.	अलीबाग, जिला में हॉलिडे रिज़ॉर्ट का निर्माण। मैसर्स सावित्री नंदकिशोर दूबे, महाराष्ट्र द्वारा रायगढ़
11.	उरण से नवी मुंबई नगर निगम, मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को प्राकृतिक गैस के परिवहन और वितरण का प्रस्ताव
12.	मौजे चंद्रनगर, ताल: दापोली, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र में प्लॉट पर रिज़ॉर्ट का निर्माण
13.	मौजे करदे, ताल में प्लॉट पर रिज़ॉर्ट का निर्माण दापोली, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र
14.	मौजे चंद्रनगर, ताल में प्लॉट पर रिज़ॉर्ट का निर्माण दापोली, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र
15.	मेसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र द्वारा मुंबई, मुंबई उप-शहरी, ठाणे और पालघर जिले (पी.एच.) में सी.आर.जेड. क्षेत्रों में हाई स्पीड रेलवे परियोजना
16.	मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, महाराष्ट्र द्वारा तालुका पालघर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र के नंदगांव में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड जेट्टी'
17.	मेसर्स रेडी पोर्ट लिमिटेड, महाराष्ट्र द्वारा पोर्ट रेडी, सिंधुदुर्ग में सुविधाओं का विस्तार

अनुलग्नक 14: एस.सी.जेड.एम.ए. ने संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) से सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्रमाणपत्र के अभाव में सिफारिशें दीं।

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 4.1.2 (iii)

केंद्रीय नमूना परियोजनाएं	
तमिलनाडु	i मैसर्स चेन्नई रिवर रिस्टोरेशन ट्रस्ट द्वारा एकीकृत कूम नदी पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन परियोजना
	ii. मेसर्स ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा जिला रामनाथपुरम में समुद्री शैवाल का इंटेक और आउटफॉल सुविधा
	iii. थिरुविका ब्रिज से कोट्टूरपुरम ब्रिज तक 400 मीटर अपस्ट्रीम से अडयार नदी (2000 मीटर - 4000 मीटर चेनेज) का इको-रिस्टोरेशन
महाराष्ट्र	बी.पी.सी.एल. द्वारा मुंबई मनमाड पाइपलाइन का रीरूटिंग
राज्य नमूना परियोजनाएं	
तमिलनाडु	i टूना फिशिंग हार्बर का निर्माण, तिरुवोट्टियूर
	ii. मैसर्स पेरुंगुडी डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड द्वारा कांचीपुरम जिले के शोलिंगनल्लूर तालुक, कोट्टीवाक्कम गांव में आवासीय भवनों का निर्माण।
	iii. सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, नागपट्टिनम (दक्षिण) द्वारा वेल्लापल्लम, नागापट्टिनम में फिशिंग हार्बर का प्रस्तावित विकास।
	iv. सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, कुड्डालोर द्वारा मुधुनगर, कुड्डालोर में फिशिंग हार्बर का नवीनीकरण।
	v. मैसर्स टीएन रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (टी.एन.आर.डी.सी.एल.) द्वारा उत्तर चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन रोड और एन्नोर पोर्ट रोड का प्रस्तावित चौड़ीकरण।
महाराष्ट्र	मझगांव, मुंबई में संपत्ति पर पुनर्विकास, मेसर्स सुमेर बिल्डकॉर्प प्राइवेट द्वारा "हार्बर हाइट्स" के रूप में नाम बदला गया।
गोवा	i बैना में 20 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण
	ii. मडगांव में 20 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण
	iii. दरभट में 1 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण

संक्षेपाक्षर		
1.	बेनफिश	पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी संघ लिमिटेड
2.	बी.आई.एस.	भारतीय मानक ब्यूरो
3.	बी.ओ.डी.	बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग
4.	सी.ए.ए.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण
5.	सी.सी.ए.	समग्र सहमति और प्राधिकरण
6.	सी.डी.ए.	चिल्का विकास प्राधिकरण
7.	सी.ओ.डी.	रासायनिक ऑक्सीजन की मांग
8.	सी.आर.जेड.	तटीय विनियमन क्षेत्र
9.	सी.टी.ई.	स्थापना के लिए सहमति
10.	सी.टी.ओ.	संचालन के लिए सहमति
11.	सी.वी.सी.ए.	अत्याधिक संवेदनशील तटीय क्षेत्र
12.	सी.डब्ल्यू.एल.एस.	कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य
13.	सी.डब्ल्यू.क्यू.आई.	तटीय जल गुणवत्ता सूचकांक
14.	सी.जेड.एम.पी.	तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं
15.	डी.आई.एफ.	जिला संकेतक रूपरेखा
16.	डी.एल.सी.	जिला स्तरीय समितियां
17.	डी.एम.पी.	आपदा प्रबंधन योजना
18.	डी.ओ.एफ.ई.	वन और पर्यावरण विभाग (राज्य निकाय)
19.	डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
20.	डी.पी.टी.	दीनदयाल पत्तन ट्रस्ट
21.	डी.एस.डी.ए.	दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण
22.	ई.ए.सी.	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
23.	ई.आई.ए.	पर्यावरण प्रभाव आकलन
24.	ई.एम.पी.	पर्यावरण प्रबंधन योजना
25.	ई.पी. अधिनियम	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
26.	ई.एस.ए.	पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र
27.	एफ. एंड ए.आर.डी.	मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास...
28.	जी.ई.ई.आर.	गुजरात पारिस्थितिक शिक्षा और अनुसंधान फाउंडेशन

29.	जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
30.	जी.ओ.एम.एम.एन.पी.	मन्नार की खाड़ी का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान
31.	एच.टी.एल.	उच्च ज्वार रेखा
32.	आई.सी.जेड.एम.पी.	एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम
33.	आई.एम.पी.	एकीकृत प्रबंधन योजनाएं
34.	आई.यू.सी.एन.	प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ
35.	आई.डब्ल्यू.ए.आई.	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
36.	जे.पी.वी.	संयुक्त भौतिक सत्यापन
37.	जे.टी.सी.	संयुक्त तकनीकी समिति
38.	के.सी.बी.ए.	कच्छ ऊंट प्रजनक संघ
39.	एल.टी.एल.	निम्न ज्वार रेखा
40.	एम.सी.जी.एम.	ग्रेटर मुंबई नगर निगम
41.	एम.सी.	नगर निगम
42.	एम.एल.डी.	प्रति दिन लाखों लीटर
43.	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
44.	एम.ओ.ई.एस.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
45.	एम.ओ.एस.पी.आई.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
46.	एम.पी.सी.बी.	महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
47.	एम.टी.	मैट्रिक टन
48.	एन.ए.बी.ई.टी.	शिक्षा और प्रशिक्षण के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
49.	एन.बी.डब्ल्यू.एल.	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
50.	एन.सी.एस.सी.एम.	सतत तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र
51.	एन.सी.जेड.एम.ए.	राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण
52.	एन.डी.जेड.	नो डेवलपमेंट जोन
53.	एन.जी.टी.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण
54.	एन.आई.एफ.	राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा
55.	एन.आई.ओ.	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान
56.	एन.पी.एम.यू.	राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई

57.	एन.डब्ल्यू.	राष्ट्रीय जलमार्ग
58.	पी.सी.बी.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
59.	पी.डी.ओ.	कार्यक्रम विकास कार्यालय
60.	पी.एच.ई.डी.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी निदेशालय
61.	पी.पी.	परियोजना प्रस्तावक
62.	क्यू.सी.आई.	क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया
63.	एस.सी.ए.डी.ए.	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा स्वचालन
64.	एस.डी.जी.	सतत विकास लक्ष्य
65.	एस.सी.जेड.एम.ए.	राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण
66.	एस.ई.आई.ए.ए.	राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
67.	एस.आई.सी.ओ.एम.	सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट
68.	एस.आई.एफ.	राज्य संकेतक रूपरेखा
69.	एस.पी.एम.यू.	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई
70.	एस.टी.पी.	मलजल उपचार संयंत्र
71.	टी.ओ.आर.	संदर्भ की शर्तें
72.	टी.पी.डी.	टन प्रति दिन
73.	टी.एस. नहर	त्रिवेंद्रम- शोरनूर नहर
74.	यू.एन.डी.पी.-जी.ई.पी.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरण सुविधा
75.	डब्ल्यू.बी.एफ.सी.एल.	पश्चिम बंगाल मत्स्य पालन निगम लिमिटेड
76.	डब्ल्यू.क्यू.एम.बी.एस.	जल गुणवत्ता निगरानी बोया प्रणाली
77.	डब्ल्यू.क्यू.एम.एस.	जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली
78.	डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.	विश्व वन्यजीवन कोष

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
www.cag.gov.in